मध्यप्रदेश शासन

2021 - 2022 वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

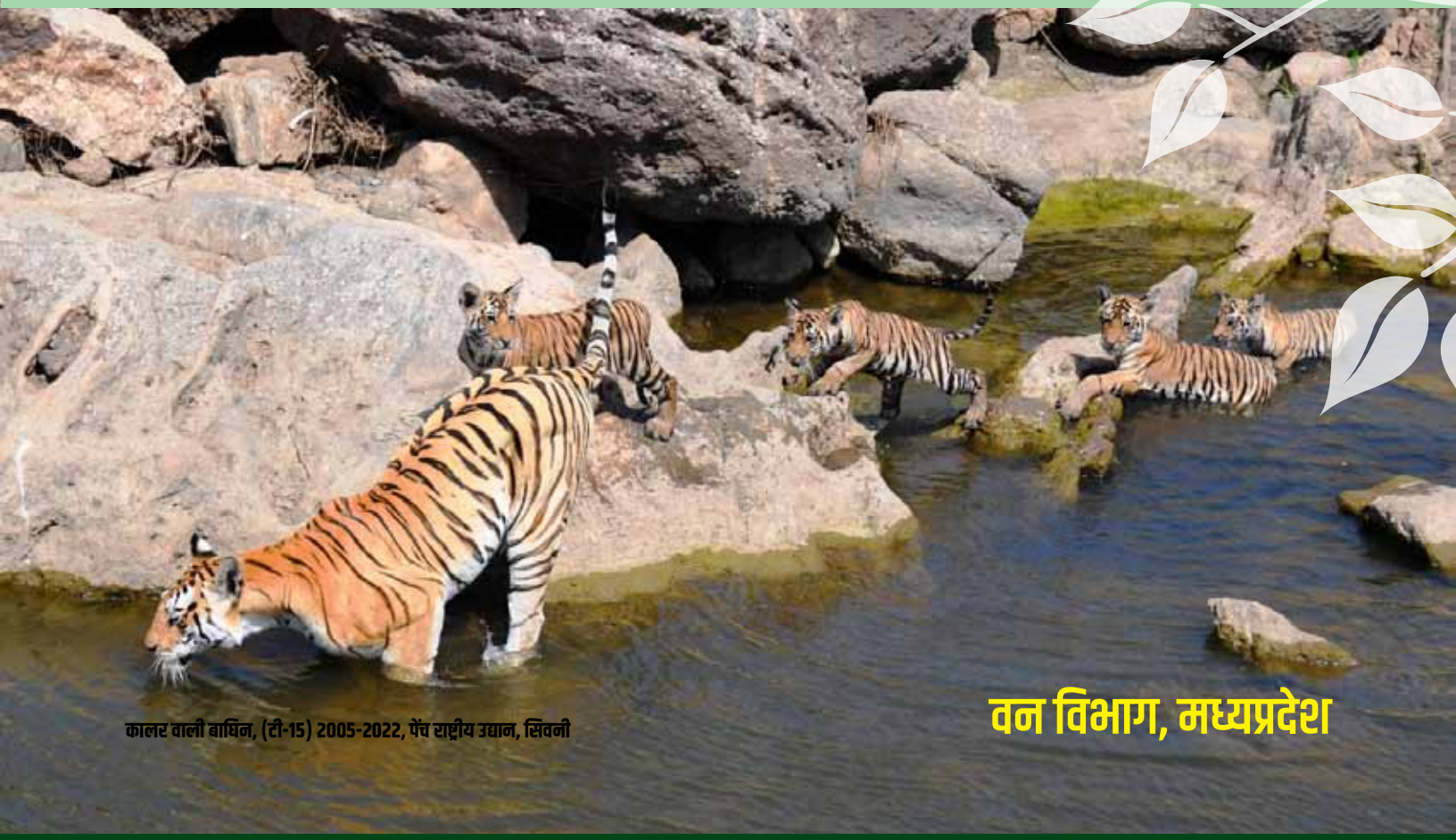

कालर वाली बाघिन, (टी-15) 2005-2022, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी

वन विभाग, मध्यप्रदेश

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला
International Herbal Fair

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2021 – 2022

वन विभाग, मध्यप्रदेश

o"k 2021&22

e/;ins'k 'kklu ou foHkkx

foHkkx dk uke	:	ou foHkkx
ekuuh; ou e=h	:	Mk-dqoj fot; 'kkg
lfpoky;		
vij eq[; lfpo	:	Jh v'kksd o.kkoky 31-03-2020 ls fujUrj
lfpo	:	Jherh inefi;k ckyd".ku 30-03-2021 ls fujUrj
inu lfpo@fo'k"k dr0;LFk vf/kdkjh	:	Jh lqt; ekgjqj 25-07-2018 ls 31-10-2021 rd Jh vrqy feJk 31-01-2021 ls fujUrj
vij lfpo	:	Jh vrqy feJk 25-07-2018 ls 31-10-2021 rd Jh v'kksd dqekj 07-12-2021 ls fujrj
mi lfpo	:	Jh ekfgr cqnl 12-04-2021 ls fujUrj
voj lfpo	:	Jherh fot;k iqoVdj 04-09-2018 ls fujrj
foHkkxk/;{k		
i/kku eq[; ou lqj{kd ,oa ou cy iqe[k] e-i-	%	Jh jktsa'k JhokLro 01-06-2020 ls 30-04-2021 rd Jh jes'k dqekj xqIrk 01-05-2021 ls fujUrj

i'kkldh; ifronu o"k 2021&22

fo"k; Øe

Øekd	Hkkx &1	i"B Øekd
	v/;k;& ,d	
1.1	सामान्य	01
1.2	विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	03
1.3	प्रशासित अधिनियम	04
	v/;k;&nk	
1.4	विभागीय संरचना	06
	स्थापना	08
	सतर्कता एवं शिकायत	15
	मानव संसाधन विकास	15
	नीति विश्लेषण	20
	संयुक्त वन प्रबंधन	20
	ग्रीन इंडिया मिशन	23
	निगरानी एवं मूल्यांकन	27
	अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी	29
	भू–प्रबंध	31
	कैम्पा	34
	सूचना प्रौद्योगिकी	38
	वन संरक्षण	41
	उत्पादन	45
	वन्यप्राणी प्रबंधन	47
	कार्य आयोजना	54
	वन भू–अभिलेख	56
	समन्वय	58
	प्रोजेक्ट	58

	v/;k;&rhu	
1.5	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम	59
1.6	मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ	68
1.7	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	76
1.8	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड	81
1.9	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड	85
1.10	मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन	87
	Hkkx&2 ctV fogxkoykdu	
2.1	आयोजना व्यय	92
2.2	आयोजनेत्तर व्यय एवं राजस्व	93
	Hkkx&3 ;kstuk,a	
3.1	कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन	95
3.2	वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	96
	Hkkx&4	
4.1	पुरस्कार	101
4.2	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	106
	Hkkx&5	
	विभाग के प्रकाशन	108
	Hkkx&6 ifjf'k"V	
1	क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण	109
2	कार्यपालिक पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी	110
3	लिपिकिय पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी	111
4	विविध एवं चतुर्थ श्रेणी वृत्तवार, पदवार जानकारी	112
5	वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि	113
6	वर्ष 2021 में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण	114
7	वर्ष 2021–22 मे प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचलित कार्यों की सूची	116
8	वृत्तवार/वर्षवार अवैध कटाई के प्रकरण	120

9	वृत्तवार/वर्षवार अवैध चराई के प्रकरण	121
10	वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन के प्रकरण	123
11	वृत्तवार/वर्षवार अतिक्रमण के प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र	125
12	वृत्तवार/वर्षवार अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र	127
13	वृत्तवार/वर्षवार दर्ज वन अपराध प्रकरण	129
14	वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन मे जप्त वाहनों की संख्या	131
15	वृत्तवार/वर्षवार न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण	132
16	वृत्तवार/वर्षवार वन अपराध एवं अन्य विविध प्राप्तियॉ	133
17	वृत्तवार/वर्षवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र	135
18	वृत्तवार/वर्षवार म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण	136
19	प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची	137
20	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय एवं अषासकीय सदस्य	138
21	संरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय पार्क की अधिसूचनायें	139
22	वन्यप्राणी संचुरी की अधिसूचनायें	140
23	ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना	142
24	भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन	144

Hkkx&1

v/;k; & ,d

1-1 lkekU;

भारत की संस्कृति में मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रकाशपुंज है जिसकी आभा पूरे देश को आलोकित करती है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्यप्राणियों की विविधता के लिये जाना जाता है। यहॉ वनों के रहने और नदियों के बहने में एक अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। वनों की गोद से निकलती सोन, नर्मदा, ताप्ती, चम्बल के साथ सिंध, बेतवा, केन, धसान, तवा, क्षिप्रा, कालीसिंध जैसी सर सरिताएं यहॉ के जन जीवन को प्रभावित और परितृप्त करती हैं। मध्यप्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलांए एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर आधारित जनसंख्या का पोषण कर पाती है। यहॉ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन, मिश्रित तथा साल के वन है। मंडला, डिण्डोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन हैं चंबल क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन है, तथा शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। वनों से लकड़ी के अलावा बांस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघुवनोंपज एवं औषधीय प्रजातियॉ मिलती हैं। प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से भी परिपूर्ण है। वनों में तथा वनों की सीमा के आस–पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अतः वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्त्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सशक्त हो और वन एक प्राकृतिक धरोहर के रुप में संवहनीय, संरक्षित एवं संवर्द्धित संसाधन के रुप में विकसित होता रहे।

मध्यप्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 से ही वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हो गया था और संभवतः मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां भारत की प्रथम वन नीति 1894 से ही वनों की कार्य आयोजना बनाने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर चालू किया गया। इस गौरवमय परम्परा को आगे बढ़ाने में आज भी वन विभाग गौरवान्वित महसूस करता है।

वर्तमान में वन विभाग में शासन स्तर पर वनमंत्री की सहायता प्रमुख मुख्य सचिव, सचिव, पदेन सचिव, अपर सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के दल द्वारा की जाती है। वन विभाग के अधीन विभिन्न गतिविधियां विभिन्न शाखा प्रमुखों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनके मध्य समन्वय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख करते हैं।

1-1-1 i/kku e[; ou lj{kd ,o ou cy iem[k द्वारा प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही वे अन्य विभाग प्रमुख एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल, उपक्रम एवं संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं।

1-1-2 i/kku e[; ou lj{kd ¼oU;ik.kh½ द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण किया जाता है।

1-1-3 i/kku e[; ou lj{kd ¼dk;l vk;kstuk ,o ou Hkw&vfHkys[k½ द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण तथा वन भू–अभिलेख का संधारण किया जाता है।

1-1-4 i/kku e[; ou lj{kd ¼mRiknu½ द्वारा कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती लकड़ी, जलाऊ, बॉस एवं खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन एवं व्यापार किया जाता है तथा वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तार व्यवस्था की जाती है। विभाग के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति का मुख्य दायित्व इन्हीं का है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा के कैडर प्रबंधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2015 के अनुक्रम में राज्य शासन के निर्देशानुसार विभाग की अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का नियंत्रण प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं।

1-1-5 i/kku e[; ou lj{kd ¼vuqlU/kku foLrkj ,o ykdokfudh ½ द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वन क्षेत्रों का विस्तार एवं वन के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

1-1-6 i/kku e[; ou lj{kd ¼dSEik½ द्वारा विभाग अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के अन्तर्गत वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण तथा विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है।

1-1-7 i/kku e[; ou lj{kd ¼lj{k.k½ द्वारा वनों के संरक्षण एवं प्रशासन सुदृढीकरण के कार्य सम्पादित किए जाते है ।

1-1-8 i/kku e[; ou lj{kd ¼if'k{k.k½ मानव संसाधन के दक्षता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्य सम्पादित करते है, तथा प्रदेश के वन विद्यालय का प्रबंधन करते हैं।

1-1-9 foHkkx d vUrxr vkus okys eMy@miØe@lLFkk,

1- e/;izns'k jkT; ou fodkl fuxe & राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

2- e/;izns'k jkT; y?kqouksit ¼O;kikj ,o fodkl½ lgdkjh la?k & मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के

ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

3- jkT; ou vuqla/kku laLFkku & राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन, वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।

4- e/;izns'k jkT; tSo fofo/krk cksM & राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2005 से किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है।

5- e/;izns'k bdksi;Vu fodkl cksM & वन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई, 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है।

6- e/;izns'k jkT; cksl fe'ku & मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन किया जा रहा है।

1-1 foHkkx esa izfrikfnr uhfr lEc/kh fo"k;

वन विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनसे वन उत्पाद प्राप्त किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वन विभाग की निम्नानुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. राज्य में वनों की जैव विविधिता का संरक्षण, जिसमें वन्य पशुओं एवं वनस्पति का संरक्षण सम्मिलित है।
2. राज्य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर–वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्य निस्तार सुविधाओं का निर्धारण।
3. संयुक्त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण।

4. जनहानि, पशु हानि के संबंध मे नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के आखेट के लिये नियम।

5. वन तथा वन्य प्राणी विषयक।

6. गैर–वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्तार।

7. भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा और कार्यपालिक, लिपिकीय एवं अन्य विविध सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर)।

   mnkgj.kkFk ¼&नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, अवकाश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

1-3 i'kkfl r vf/kfu;e

1. Hkkjrh; ou vf/kfu;e] 1927 ¼Øekd 16@1927½ & यह अधिनियम वनों की उपज की अभिवहन और इमारती लकड़ियों तथा वन–उपज पर उगाहने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम है। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 से प्रभावशील है। ग्राम वन एवं संरक्षित वन के संवर्धन एवं प्रबन्धन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को और सशक्त एवं प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 तथा मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम 2015 बनाकर दिनांक 04 जून 2015 से प्रभावशील किया गया है।

2. oU; tho ¼lj{k.k½ vf/kfu;e] 1972 ¼Øekd 53@1972½ & यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है। यह अधिनियम 09 सितम्बर, 1972 से प्रभावशील है।

3. e-i- dk"B fpjku ¼fofu;eu½ vf/kfu;e] 1984 ¼Øekd 13@1984½ & यह अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये–आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन – संक्रिया तथा काष्ठ चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम है। अधिसूचना क्रमांक 3415–X–3–83 दिनांक 15 दिसम्बर 1983 द्वारा अध्यादेश क्रमांक 11/1983 प्रवृत किया गया था जिसका स्थान मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13/1984 ने ग्रहण किया। अधिनियम क्रमांक 13/1984 को भूतलक्षी प्रभाव देकर 15 दिसम्बर, 1983 से ही प्रवृत किया गया।

4. ou ¼lj{k.k½ vf/kfu;e] 1980 ¼Øekd 69@1980½ & यह अधिनियम वनों के संरक्षण के लिये और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम है। यह अधिनियम दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 से प्रभावशील है।

5. e-i-ou mit ¼0;kikj fofu;eu½ vf/kfu;e] 1969 ¼dekd 9@1969½ & यह अधिनियम ^^fofufn"V oukit^^ के व्यापार विनियमन हेतु है, जो 01 नवम्बर, 1969 से प्रभावशील है।

6. e-i- rUnw iRRkk ¼0;kikj fofu;eu½ vf/kfu;e] 1964 ¼Øekad 29@1964½ & यह अधिनियम तेंदूपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु है। यह अधिनियम 28 नवम्बर, 1964 से प्रभावशील है।

7. e-i- ou Hkwfe 'kk'or iV~Vk ifrlgj.k vf/kfu;e] 1973 & उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये है। यह अधिनिमय 01 अक्टूबर, 1973 से प्रभावशील है।

8. e-i- ykd okfudh vf/kfu;e] 2001 ¼Øekad 10@ 2001½ & यह अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुगम बनाने हेतु है। यह अधिनियम 12 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील है।

9. tSofofo/krk vf/kfu;e] 2002 ¼Øekad 18@2003½ & यह अधिनियम जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तथा अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग हेतु है। यह अधिनियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21, नवंबर, 2014 से संशोधित होकर दिनांक 21, नवंबर, 2014 से प्रभावशील है।

10. e-i- vkfne tutkfr;ksa dk lj{k.k ¼o{kksa esa fgr½ vf/kfu;e] 1999 & आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से उसके खेतों पर खडे हुये वृक्षों में उनके हित का संरक्षण करने के लिये मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 बनाया गया है, जो 24 अप्रैल 1999 से प्रभावशील है।

v/;k;&nks

i/kku e[; ou lj{kd

¼ou cy i e[k½

1-4 foHkkxh; lajpuk

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

e[;ky; Lrj ij dk;jr 'kk[kk,

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू–अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रंबधन
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–AIS–।। (**A**) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ–साथ वन भू–अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1-4-1 v/khuLFk {k=h; dk;ky;

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण rkfydk Øekd 1-1 में दर्शित है।

rkfydk Øekd& 1-1

{k=h; bdkbZ;k dk fooj.k

bdkbZ;k dk izdkj	bdkbZ la[;k
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण,

वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण ifjf'k"V&1 पर है।

1-4-2 LFkkiuk

प्रशासन–1 शाखा वन विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। यह शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के सीधे नियंत्रण में कार्य करती है। साथ ही शासन के वरिष्ठतम कार्यालय से तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों से हमेशा सम्पर्क बना रहता है।

शाखा में भारतीय वन सेवा के संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नतियॉ, पदस्थितियॉ/स्थानांतरण एवं विभागीय जांच, आदि से संबंधित कार्य किये जाते है।

इसी प्रकार शाखा द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग एवं राज्य वन संबंद्ध सेवा का प्रबंधन, स्थाईकरण, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति, पदस्थिति/स्थानांतरण, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच से संबंधित समस्त कार्य किये जाते है।

इसके अतिरिक्त शाखा के पेंशन कक्ष द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करना तथा प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्यवाही की जाती है।

i'kkldh; ljpuk

¼v½ Hkkjrh; ou lsok

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित संवर्ग अनुसार

म.प्र. के लिए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या 296 है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदों के विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वनं सरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के रूप में पदस्थ रहते हैं, जो विभाग प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्य वन बल को नियंत्रित करना एवं राज्य शासन को तकनीकी विषयों में सहयोग प्रदान करना है। वन विभाग के मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं में प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदस्थ रहते हैं जो विभाग के तकनीकी विषयों में कार्य सम्पादित करते हैं।

क्षेत्रीय पदस्थापना में सामान्यतः मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी वन वृत्त में पदस्थ होते हैं इनका कार्य वन मण्डल कार्यालयों (क्षेत्रीय/उत्पादन) पर नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन का होता है।

मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जो अनुसंधान विस्तार वृत्तों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वृत्त के अन्तर्गत आने वाली वन रोपणियों आदि के संचालक एवं प्रबंधन का कार्य करते हैं।

कार्य आयोजना इकाईयों में भारतीय वन सेवा अधिकारी की वरिष्ठता क्रम में पदस्थिति की जाती है तथा वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहतें हैं जो वनमण्डलों हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय वनमण्डलों में पदस्थ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं बाँस मिशन आदि संस्थानो में पदस्थ रहतें हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक –1.2 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad &1-2

Hkkjrh; ou lsok ¼e/;izns'k lsok½ dh infLFkfr

¼01-10-2021 dh fLFkfr esa½

in	l[;k	dk;Zjr	
		inksUufr fo:)	yhu fjtoZ@vlsoknh;
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	01	01	-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	05	01 ¼fo'ks"k izdkj esa[; ou lajf{kd] dSEik½ 01 ¼fo'ks"k izdkj esa[; ou lajf{kd] vuqlU/kku ,oa izf'k{k.k½

in	l[;k	dk;jr	
		inks d fo:)	yho fjto@vlxh;
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	22	-
मुख्य वन संरक्षक	51	27	-
वन संरक्षक	40	10	-
उप वन संरक्षक	59	66	02
dy ofj"B in	**180**	**131**	**-**
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	11	-
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	24	-
प्रशिक्षण रिजर्व	06	-	-
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	17	-
अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति	-	01	-
निलंबित	-	04	-
dy ikf/kdr l[;k	**296**	**188**	**04**

¼c½ jkT; ou lok

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डलों में उप वनमण्डल स्तर पर, टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारण्यों में सहायक संचालक एवं उत्पादन एवं अनुसंधान विस्तार वृत्तों में सहायक वन सरंक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासकीय नियन्त्रण बनाये रखते हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक –1.3 में दर्शित है :–

rkfydk Øekd& 1-3
jkT; ou lok dh infLFkfr

¼01-10-2021 dh fLFkfr e½

Ø-	lox dk uke	Lohdr inks dh l[;k	dk;jr l[;k	fjDr
1-	राज्य वन सेवा 'अ' – विभाग में कार्यरत	359	222	119
	'ब' – प्रतिनियुक्ति पर	00	18	00
;kx		**359**	**240**	**119**

¼l½ e-i- jkT; ou ¼jktif=r½ lsok&

इन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं:–

¼v½ लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी – ये अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय के नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

¼c½ विधिक सलाहकार – विधिक सलाहकार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति से होती है। इनकी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाती है। इनका कार्य न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग प्रदाय करना होता है। वर्तमान में विधिक सलाहकार का पद रिक्त है।

¼l½ अनुसंधान अधिकारी – वन विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला हेतु स्वीकृत है। ये अधिकारी कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला में पदस्थ हैं तथा यह वन्यप्राणी अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं।

¼n½ प्रचार अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रचार– इन अधिकारियों का कार्य वन विभाग की गतिविधियों विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा मीडिया से सतत संपर्क रखना है।

¼b½ संचालक बजट/उप संचालक बजट/वित्त अधिकारी – ये अधिकारी म.प्र. राज्य वित्त सेवा से वन विभाग में पदस्थ किये जाते हैं। इनका कार्य वन विभाग में बजट नियंत्रण एवं बजट संबंधी, कार्यों में विभाग को सहयोग प्रदान करना होता है।

¼Q½ तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर – ये अधिकारी म.प्र. वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।

¼t½ सहायक शल्य चिकित्सक/पशु चिकित्सक – ये अधिकारी म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा विभाग से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यप्राणियों की देख–रेख एवं चिकित्सा का कार्य संपादित किया जाता है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक –1.4 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad& 1-4

jkT; ou ¼jktif=r½ lsok dh infLFkfr

¼01-10-2021 dh fLFkfr e½

Ø-	lsoxZ dk uke	Lohd`r inksa dh la[;k	dk;Z jr la[;k	fjDr
1-	लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी	20	05	15
2-	विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
3-	अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा	01	00	01
4-	प्रचार अधिकारी	01	01	00

Ø-	lox dk uke	Lohd`r inks dh la[;k	dk;Zjr la[;k	fjDr
5-	संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	01	00
6-	उप संचालक, बजट/वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	06	02	04
7-	तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर	01	00	01
8-	सहायक संचालक, प्रचार	01	00	01
9-	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा)	02	01	01
10-	सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	10	10	00
	;kx	**44**	**20**	**24**

¼>½ प्रशासन एक शाखा में कर्मचारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार एवं प्रशासन में कसावट हेतु समय–समय पर आंतरिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम सुखद प्राप्त हुये हैं।

v/khuLFk dk;Zikfyd lsok,a

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के स्वीकृत पदों का विवरण rkfydk Øekad 1.5 में दर्शित में है।

rkfydk Øekad& 1-5
v/khuLFk dk;Zikfyd lsokvksa dh infLFkfr

¼01-12-2021 dh fLFkfr esa½

Ø	in	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1	वनरक्षक	14024	12329	1695
2	वनपाल	4194	2527	1667
3	उप वन क्षेत्रपाल	1258	544	714
4	वन क्षेत्रपाल	1194	813	381
	;kx	**20670**	**16281**	**4457**

fyfidh; lok,a

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण rkfydk Øekad 1-6 में दर्शित है।

rkfydk Øekad& 1-6
fyfidh; lokvk dh infLFkfr

¼01-12-2021 dh fLFkfr esa½

Ø	in	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1.	सहायक ग्रेड–3	1487	1227	280
2.	सहायक ग्रेड–2	379	206	173
3.	लेखापाल	244	166	78
4.	सहायक ग्रेड–1	192	68	124
5.	लेखा अधीक्षक	75	56	19
6.	अधीक्षक	35	17	18
7.	वरिष्ठ निज सहायक	15	2	13
8.	निज सहायक	45	20	25
9.	शीघ्र लेखक	80	57	23
10.	स्टेनो टायपिस्ट	57	20	37
11.	मानचित्रकार	203	175	28
	;ksx	**2812**	**2014**	**818**

prqFkZ J.kh lok,a

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण rkfydk Øekad 1-7 esa दर्शित है।

rkfydk Øekad& 1-7
prqFkZ J.kh lokvk dh infLFkfr

¼01-12-2021 dh fLFkfr esa½

Ø	in	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1.	सुपरवाईजर	20	9	11
2.	दफ्तरी	195	77	118
3.	भृत्य/अर्दली/खलासी/फर्रास	950	687	263
	;ksx	**1165**	**773**	**392**

fofo/k

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों का विवरण rkfydk Øekd 1-8 ,o 1-9 में दर्शित है।

rkfydk Øekd &1-8

fofo/k inks dh infLFkfr

¼01-12-2021 dh fLFkfr e½

Ø	in	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1.	वाहन चालक	613	293	320
2.	मुख्य महावत	14	3	11
3.	महावत	35	12	23
4.	सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी)	49	36	13
	;ksx	**711**	**344**	**367**

vuqdEik fu;qfDr

rkfydk Øekd & 1-9

vuqdEik fu;qfDr izdj.k

¼01-12-2021 dh fLFkfr e½

fooj.k		o"kZ				
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
प्रकरण संख्या		40	138	132	143	440
निराकृत (नियुक्ति)		22	76	53	51	310
अमान्य प्रकरण		05	08	00	00	00
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	03	13	73	19	03
	प्रक्रियाधीन (शासन/मुख्यालय/वृत/वमंअ/आवेदक)	10	41	06	73	127
	;ksx izdj.k	**13**	**54**	**79**	**79**	**130**

दिनांक 05.08.16 से अनुकंपा नियुक्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक/व.मं.अ. को जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं।

nfud oru Hkkxh

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है, जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 6867 है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 6704 को स्थाई कर्मी किया जाकर उनका वेतनमान निर्धारण किया गया है।

1-4-3 lrdrk ,o f'kdk;r

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का है जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.10 में दर्शित है।

rkfydk Øekd & 1-10

yfcr ,o fujkd`r idj.kk dh tkudkjh

¼ekg 1 vi`y&2021 ls 30 vDVcj&2021 dh fLFkfr e½

विभागीय जॉच, आरोप ज्ञापन एवं अपील/पुनर्विलोकन प्रकरण

idj.k dk fooj.k	iol 'ks"k	1 vi`y 2021 ls 30 vDVcj 21 rd ikIr idj.k	dqy idj.k	1 vi`y 2021 ls 30 vDVcj 21 fujkd`r@ 'kklu dk if"kr idj.k	1 uoEcj 2021 dh fLFkfr e yfcr idj.k
विभागीय जांच प्रकरण	19	05	24	3/0	21
आरोप ज्ञापन प्रकरण	12	03	15	03	12
अपील/पुनर्विलोकन प्रकरण	21/30 (51)	03/06 (09)	24/36 (60)	11/06 (17)	13/30 (43)

1-4-4 ekuo lalk/ku fodkl

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय की मानव संसाधन विकास शाखा के निर्देशन एवं प्रशासन में प्रदेश के 9 प्रशिक्षण संस्थान (वन विद्यालय) निम्नानुसार संचालित हैं, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-11

Ø-	ou fo|ky;	fu;=.kdrk vf/kdkjh	{kerk
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	प्राचार्य, वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय	125
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	संचालक, वन विद्यालय, अमरकंटक	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	संचालक, वन विद्यालय, बैतूल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	संचालक, वन विद्यालय, शिवपुरी	125
5	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	वनमंडलाधिकारी, रीवा क्षेत्रीय व.मं.	80
6	वन विद्यालय, झाबुआ	वनमंडलाधिकारी, झाबुआ क्षे.व.मं.	50
7	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन	वनमंडलाधिकारी, उत्तर सिवनी क्षे.व.मं.	125
8	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी (जिला–होशंगाबाद)	उप संचालक, सतपुड़ा बा.रि.,पचमढ़ी	50
9	जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला	उप संचालक, बांधवगढ़ बा.रि.,उमरिया	50

इन प्रशिक्षण शालाओं का उपयोग सीधी भर्ती के वन रक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण तथा पदोन्नत वन पालों के सेवा कालीन प्रशिक्षण देने में किया जा रहा है। इन शालाओं के प्रभारी पदों पर भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदस्थिति की जाती है। इन प्रशिक्षण शालाओं में भी प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे प्रशासनिक खण्ड, व्याख्यान कक्ष, क्रीड़ागन, छात्रावास इत्यादि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उप वन क्षेत्रपाल पद से पदोन्नत वनक्षेत्रपालों के लिये वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट में 6 माह का नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से नियमित प्रशिक्षणों को प्राप्त कर भारतीय वन सेवा अधिकारियों, राज्य वन सेवा अधिकारियों, सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपालों एवं वनरक्षकों के लिये वनमंडलों में क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि के दौरान आयोजित किये जाते हैं। इन क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों व रुपरेखा को निर्धारित किया जाकर सभी वन वृत्तों एवं वनमंडलों को उपलब्ध कराए गये हैं।

fofHkUu if'k{k.k dk;Øeksa dk lapkyu &

¼1½ leLr 9 ou fo|ky;ksa esa if'k{k.k dk;Øeksa dk lapkyu&

- पदोन्नत वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 दिन प्रथम एवं 15 दिन द्वितीय सत्र)
- वनपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (45 दिवसीय)
- वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह)

(2½ lh/kh HkrhZ ds lgk;d ou laj{kd ,oa ou{ks=iky ds if'k{k.k&

- सहायक वन संरक्षक का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- वनक्षेत्रपालों का केन्द्रीय अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण

¼3½ foHkkxh; ijh{kk &

- सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये

if'k{k.k dk;Øe& जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.12 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-12

1-	Hkkjrh; ou lsok& (कुल प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष)	&	कुल 4 माह मसूरी अकादमी में प्रशिक्षण, 16 माह का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण, 11 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 5 माह का रेंज प्रभार एवं 12 माह का उपवनमंडल प्रभार। वर्तमान में निम्न भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं:–

Ø-	o"kZ	Hkk-o-l- if'k{kq l[;k
1	2017-19	04
2	2018-20	09
3	2019-21	08
dqy&		21

2-	jkT; ou lsok (कुल प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष)	&	2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 8 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 4 माह का रेंज प्रशिक्षण एवं 1 वर्ष का उपवनमंडल का प्रभार। वर्तमान में 06 देहरादून एवं 06 बर्नीहाट से 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत कुल 12 सहायक वन संरक्षक फील्ड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
3-	lh/kh HkrhZ ds ou{ks=iky (कुल प्रशिक्षण अवधि 3 वर्ष 6 माह)	&	18 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 6 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 1 माह का बीट प्रभार, 5 माह का आर.ए. सर्किल प्रभार, एवं 1 वर्ष का रेंज का प्रभार। वर्तमान में कुल 17 वनक्षेत्रपाल विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

<table>
<tr><td>4-</td><td>ouj{kd
(कुल प्रशिक्षण अवधि 6 माह)</td><td>&</td><td>वन विद्यालयों में सीधी भर्ती के वनरक्षकों के लिये 6 माह के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। वर्तमान में कोविड–19 के कारण 01.09.2021 से अप्रशिक्षित वनरक्षकों को ऑनलाईन मोड में निम्नानुसार वन विद्यालयों प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं :–
<table>
<tr><td>Ø</td><td>ou fo|ky;</td><td>ouj{kd if'k{k dh l[;k</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बालाघाट</td><td>35</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बैतूल</td><td>21</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शिवपुरी</td><td>26</td></tr>
<tr><td>4</td><td>लखनादौन</td><td>33</td></tr>
<tr><td></td><td>dqy&</td><td>115</td></tr>
</table>
-</td></tr>
<tr><td>5-</td><td>ouiky
(कुल प्रशिक्षण अवधि 45 दिवस)</td><td></td><td>वन विद्यालय, अमरकंटक में अप्रशिक्षित वनपालों के लिये दिनांक 01.10.2021 से ऑनलाईन मोड में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें 35 वनपाल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।</td></tr>
</table>

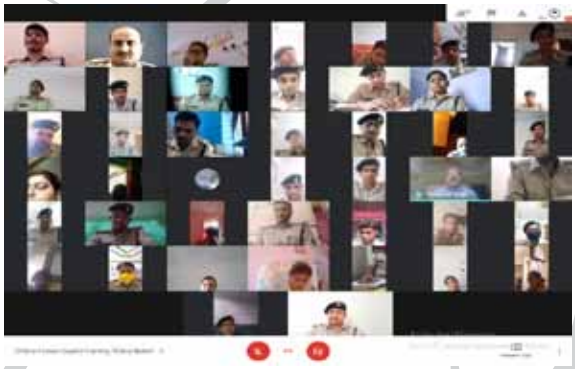

vU; fjÝ'kj dkl&

- सेवारत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये अनिवार्य अल्पकालीन (5 दिवसीय एवं 2 दिवसीय) रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कोविड–19 के कारण Online/Virtual Mode में माह जनवरी 2021 से अब तक 118 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।
- राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिये 5 दिवसीय एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कोविड–19 के कारण Online/Virtual Mode में माह जनवरी 2021 से अब तक 81 राज्य वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।

- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वनक्षेत्रपालों के लिये आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम से 5 सप्ताह का आफलाईन मोड में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण (Foundation Course) माह नवम्बर 2021 एवं जनवरी 2022 में आयोजित कराया जाना है।
- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त सहायक वन संरक्षकों के लिये आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम आफलाईन मोड में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण (Foundation Course) माह नवम्बर 2021 एवं जनवरी 2022 में आयोजित कराया जाना है।
- वनरक्षक से वनक्षेत्रपाल स्तर के क्षेत्रीय अमले का रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन दिनांक 01 सितम्बर 2021 से प्रारंभ करने हेतु निम्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु 2 एवं 5 दिवसीय माड्यूल तैयार कर समस्त वन विद्यालयों को प्रेषित किये गये हैं, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.13 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-13

क्रमांक	प्रशिक्षण विषय	अवधि
1	वन सुरक्षा	5 दिवस
2	वन्यप्राणी संरक्षण	5 दिवस
3	कार्य आयोजना	5 दिवस
4	मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	2 दिवस
5	मार्किंग, विदोहन एवं डिपो से निवर्तन	5 दिवस
6	रोपणी प्रबंधन एवं वृक्षारोपण	5 दिवस

वर्तमान में वन विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

foHkkxh; ijh{kk&

- lh/kh Hkrh d jktif=r ou vf/kdkfj;k dh foHkkxh; ijh{kk & वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये प्रतिवर्ष दो बार, जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती हैं। वर्तमान में कोविड–19 को परिस्थितियों के कारण 16 क्षेत्रीय वन वृत्तों में दिनांक 27–30 जुलाई 2021 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें 700 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है।

c tV /kujkf'k&

- समस्त वन विद्यालयों के संचालन एवं प्रशिक्षणों पर होने वाले व्यय के भुगतानों के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 में मानव संसाधन विकास शाखा द्वारा संचालित योजना क्रमांक 4462–वन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालक के अंतर्गत निम्नानुसार उपमदों में राशि उपलब्ध कराई गई है । जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-14

dzekad	ctV mi en	miyC/k jkf'k ¼# yk[k e½	0;; jkf'k ¼# yk[k e½
1	12–मजदूरी	156.93	65.14
2	22–कार्यालय व्यय– 008 अन्य नैमतिक व्यय	27.20	7.95
3	24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण 002 प्रशिक्षण	392.24	20.84
4	41–छात्रवृत्ति एवं 002 वृत्तियां	393.77	274.78
5	51–अन्य प्रभार	6.18	1.11
	;kx&	**976.32**	**369.82**

1-4-5 uhfr fo'y"k.k

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैन्युअल के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को सौंपा गया जिसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। आगामी कार्यवाही प्रचलित है।

1-4-6 l;Dr ou izca/ku

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है :–

¼1½ ou lqj{kk lfefr % सघन वन क्षेत्र में वनखंड सीमा की 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को ^^ou lqj{kk lfefr^^ कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है।

(2) xzke ou lfefr :बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखण्ड की सीमा से पॉच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समिति को ''ग्राम वन समिति'' कहा जाता है। ग्राम वन समिति के

सहयोग से पुनर्स्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर ग्राम वन समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है।

(3) bdk fodkl lfefr % जैव विविधता के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में ''ईको विकास समिति'' गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य ईको विकास कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

संकल्प के अनुसार ग्रामसभा स्तर पर वन प्रबंधन से जुडने के लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा –6 के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके, वनक्षेत्र की स्थिति के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व यथासंभव, ग्रामसभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतक 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रदेश में वन समितियों की कुल संख्या 15608 है, जिनके द्वारा 79705 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-15

समितियों एवं कार्यों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9784	37799 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4773	36377 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	1051	5529 वर्ग किमी
;kx &	15608	79705 oxZ fdeh

l;qDr ou izca/ku lfefr;k dk l'kfDrdj.k &

- xzke ou fu;e] 2015 & आरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिये म.प्र. राजपत्र में 4 जून, 2015 को ग्राम वन नियम का प्रकाशन किया गया।
- ljf{kr ou izca/ku fu;e] 2015 & संरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिए म.प्र. राजपत्र 04 जून, 2015 को म.प्र. संरक्षित वन नियम का प्रकाशन किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत 108 समितियों को आवंटित 24467.021 हेक्टेयर संरक्षित वनों को संबंधित कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों से संबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

1- dk"B ,o ckl fonkgu dk ykHkka'k forj.k &

- dk"B dk ykHkka'k & जिला स्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाता है।
- ckl dk ykHkka'k & प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता है।

विगत पांच वर्षो में लाभांश का वितरण का जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.16 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-16

foxr 05 o"kksa ds ykHkka'k dk fooj.k

ykHkka'k ink; o"kZ	dk"B ykHkka'k ¼jkf'k :-djksM+ esa½	ckl ykHkka'k ¼jkf'k :-djksM+ esa½	dqy ykHkka'k ¼jkf'k :-djksM+ esa½
2016-17	35.94	3.28	39.22
2017-18	52.58	0.51	53.09
2018-19	19.18	0	19.18
2019-20	22.56	11.39	33.95
2020-21	10.37	00.03	10.40

xke ou lfefr] cMh uYnh] >kcqvk }kjk fnukad 26 tuojh 2006 dks mixg ls fy;k x;k fp=

xke ou lfefr] cMh uYnh] >kcqvk }kjk fnukad 26 uoEcj 2021 dks mixg ls fy;k x;k fp=

lenk; dh Hkkxhnkjh ls oukoj.k esa of)% Mªku fp= xke ou lfefr cMh uYnh] >kcqvk dh orZEkku fLFkfr

l{e icU/k ;kstuk d ek/;e l lfefr;k dk l'kfDrdj.k %&

वर्ष 2020–21 में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 500 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएं स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 546 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर समितियों के माध्यम से उपचार संपन्न कराया गया है। संकल्प के प्रावधानों के अनुसार सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोपज वन समिति को प्रदान की गयी है। इस रणनीति को लागू करने से समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। वनों के आसपास रहने वाले समुदाय एवं विशेषकर आदिवासी समुदाय में सर्वाधिक परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करते है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वनों के प्रबंधन से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। प्रदेश के अन्तर्गत 553 सूक्ष्म प्रबंध योजनाऐं स्वीकृति की गई है, जिससे 2783 घ.मी. काष्ठ, 6670 नो.टन बांस,4241 जलाऊ चटटे तथा 241 टन घास का उत्पादन हुआ है। प्राप्त वनोपज का अनुमानित मूल्य 7.31 करोड़ है। oueMyokj fooj.k ifjf'k"V &23 e nf'kr g A

1-4-7 xhu bf.M;k fe'ku

e/; iznS'k dh ;kstuk

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''नेशनल एक्शन प्लान फार क्लाईमेट चेज''के 8 मिशनों में से एक ''नेशनल मिशन फार ए ग्रीन इंडिया'' के तहत 50 लाख हे. क्षेत्र में वनावरण तैयार किया जाना, 50 लाख हे. क्षेत्रों वनों को सुधारना एवं वनों पर आधारित 30 लाख परिवारों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ग्रीन इंडिया मिशन द्वारा ईको सिस्टम सेवाओं के विकास को स्थानीय समुदायों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से उपचार प्रस्तावित है, जिसके तहत वनों का सुधार एवं पुनरूद्धार के साथ–साथ वन आश्रित स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक एंव वन आधारित आजीविका के साधन उपलब्ध कराना एवं उनकी क्षमता विकास किया जाना प्रस्तावित है।

foLrkj %

प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर 8 एल –1 लैंडस्कैप की पहचान की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 20 वनमण्डलों में 127 एल–2 लेवल लैण्डस्केप (मिलीवाटरशेड) के 745 एल–3 लेवल लैण्डस्केप (माइक्रो वाटरशेड) शामिल है।

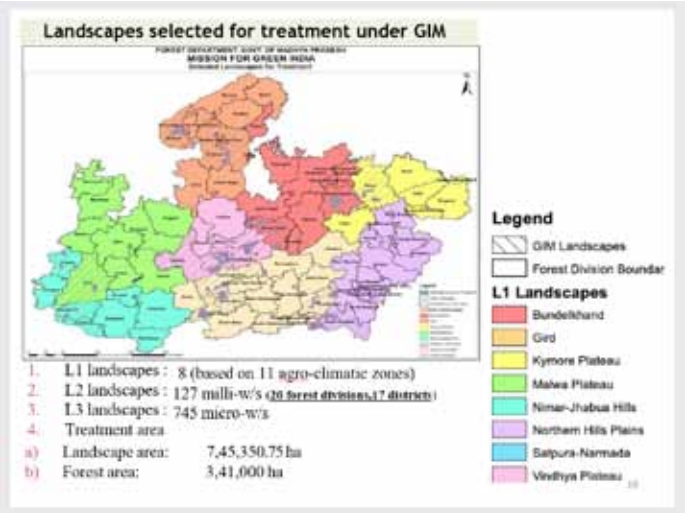

foRrh; 0;oLFkk %

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित National Executive Council चौथी बैठक दिनांक 03.01.2018 में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालीन परियोजना (पांच वर्षीय पर्सपक्टीव प्लान) रूपये 3157.36 करोड़ 3,40,700 हे. की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 के लिए ए.पी.ओ. रूपये 396.7258 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में (60:40 के अनुपात) में क्रियांवित किया जाना निर्धारित है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.17 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-17

Ik;koj.k ou ,o tyok;q ifjorru e=ky; dk Lohdfr fnukd ,o jkf'k	ikIr jkf'k yk[k e			iz f"kr mi;kfxrk izek.k i=	
	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	उपयोग में ली गई राशि	रिमार्क
10.09.2018 –4180.265	1022.497	681.664	1704.161	1626.04	–
30.03.2019 –1393.00	0	0	0	0	वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नही होने से राशि आहरित नही की जा सकी।
07.06.2019	1532.35	1021.69	2554.23	3293.52	राशि रूपये 1532.35 लाख रिवेलिडेट की गई।
13.12.2019 –3065.298	1560.43	1040.29	2600.72		एपीओ वर्ष 2019–20 की प्रथम किश्त की राशि 3065.298 विमुक्त की गई
26.06.2020 –2621.721	1573.03	1048.69	2621.72	3551.73	राशि रूपये 2621.712 लाख रिवेलिडेट की गई।
28.09.2021 –2844.00	1194.40	796.27	1990.67	1356.36	माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में उपयोग की गई राशि

ixfr %

i ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से 2021–22 दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में रू. 114.715 करोड़ रूपये प्राप्त हुए एवं 98.27 करोड़ रूपये के व्यय से 20,098 हे. क्षेत्र को उपचारित कर 45,84,043 पौधों का रोपण किया गया है।

ii 4,027 परिवारों को रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध करने हेतु विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

iii वनों पर जलाऊ लकड़ी का दबाव कम करने करने हेतु 4,618 ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों जैसे कि प्रेशर कुकर, सोलर कुकर, वर्मी बायों डाइजेस्टर, बायोमास बेस्ड कुक स्टोव, बिजली द्वारा चलित इन्डक्शन चूल्हे वितरित किये गए।

iv ए.पी.ओ वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत भारत सरकार के स्वीकृती क्रमांक F.No.9-11/2014/GIM-MP) दिनांक 28.09.2021 द्वारा 22,531 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए रूपये 28.44 करोड़ का ए.पी.ओ स्वीकृत किया गया, तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के ''बी कॉम्पोनेन्ट'' की शेष राशि के एवज में वित्तय वर्ष 2021–22 हेतु 5000 हेक्टेयर क्षेत्र तैयारी कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

v वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति में रू. 1356.36 लाख व्यय किया गया।

vi वर्ष 2018–19 से 2020–21 दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में कुल 18 वनमंडलों में 20,047 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। ए.पी.ओ. वर्ष 2021– 22 अन्तर्गत 20 वनमंडलों में 7259 हे.क्षेत्र एडवांस वर्क एवं 20,047 हे. क्षेत्र मेंटेनेंस (रख–रखाव) कार्य प्रगति पर है एवं 51 हे. क्षेत्र में जून 2021 में क्रिएशन अन्तर्गत 17,040 पौधों का रोपण किया गया है।

vii Hkkjr ¼vktknh½ dk ve`r egksRlo&xzhu bfM;k fe'ku& ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत अभी तक आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 6 कौशल उन्नयन कार्यक्रम (असिस्टेंट/हेल्पर इलेक्ट्रीशियन और मोटर विंडिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सिलाई, टू व्हीलर मैकेनिक) चार वनमंडलों होशंगाबाद, पश्चिम बैतूल, दक्षिण सागर एवं सीहोर प्रारंभ किये जा चुके है। इन प्रशिक्षणों में से पहला 45 दिवसीय प्रशिक्षण 12 मार्च 2021 को होशंगाबाद वनमंडल (क्षेत्रीय) के अन्तर्गत वन ग्राम भातना, ब्लाक केसला में शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में ग्राम रांझी, भातना और लालपानी से 35 अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां '' असिस्टेंट/हेल्पर इलेक्ट्रीशियन और मोटर विंडिंग'' के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं । प्रशिक्षण में विद्युत वायंरिग प्रणाली और विभिन्न उपकरणों के काम सुधारने का पर्याप्त सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जा चुका है, इनमें से 07 युवाओं ने आय अर्जित करना प्रारम्भ कर दिया है। मिशन अन्तर्गत प्रदान किये जा रहे सभी प्रशिक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड (MPSSDEGB) के समन्वय में विभिन्न NSDC (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉपोरेशन) से सम्बद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) अन्तर्गत प्रमाणीकरण, एकरूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि लायेगा। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.18 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-18

Ø-	dk'ky fodkl xfrfof/k;k	izf'k{k.k dh vof/k	izf'kf{kr ;qokvk dh la[;k	oueMy
1	Assistant/Helper Electrician and motor Winding CON/Q601- Level2	45	35	होशंगाबाद
2	Data Entry Operator (Computer Operator) SSC/Q2212	60	30	पश्चिम बैतूल
3	Automobile Technician- Two Wheeler Service Assistant NSQF ACS/Q1411 Level-4	45	20	दक्षिण सागर
4	Automobile Technician- Two Wheeler Service Assistant	45	25	सीहोर
5	Assistant/Helper Electrician and Motor Winding CON/Q601- Level -2	45	30	सीहोर
6	Apparel- Sewing Machine Operator & Beauty Parlour AMH/Q0301- Level -4	60	55	पश्चिम बैतूल
	dqy ;ksx %&		**195**	

th-vkbZ-,l ¼Hkkxkfyd lpuk iz.kkyh½ %

ग्रीन इंडिया मिश्न एवं ईएसआईपी परियोजना अन्तर्गत चिन्हित वनमंडलों में उपचारित वनक्षेत्रों की ऑनलाईन निगरानी हेतु जीआईएम लैन्डस्केप पोर्टल तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 20 वनमंडलों के वनक्षेत्रों का डिजिटल डेटा (वनमंडल, रेंज, बीट एवं कम्पार्टमेंट बाऊंड्री) एवं एल–2, एल–3 लेवल लैन्डस्केप बाऊंडी (मिली वाटरशेड,माईक्रोवाटरशेड) विभागीय जीआईएस

पोर्टल पर पब्लिश किया गया है। जीआईएम लैन्डस्केप पोर्टल पर ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत उपचारित किये जाने वाले समस्त वनक्षेत्रों (वृक्षारोपण) की KML फाईल तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। मिशन अन्तर्गत उपचारित (वृक्षारोपण) क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष का पुनरूत्पादन डेटा भी विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसे विभाग की वेबसाइट https://mpforest.gov.in पर ग्रीन इंडिया मिशन के पेज पर देखा जा सकता है। वर्ष 2021 का पुनरूत्पादन डेटा संकलन का कार्य माह अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। पुनरूत्पादन डेटा उपलब्ध होने पर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

1-4-8 fuxjkuh ,o eY;kdu

निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यो के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्यप्रदेश वन विभान द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

o{kkjksi.k fuxjkuh iz.kkyh dh eq[; fo'ks"krk,%

1. यूजर फ्रेडली डैशबोर्ड जो कि विभिन्न मापदंडों की स्थिति को दर्शाता है, जैसे वनमंडल स्तर से अनुमोदन प्रतिवर्ष माह मई एवं अक्टूबर सत्र के मूल्यांकन एवं जिऔमैंपिग आदि की स्थिति ।
2. वृक्षारोपण कार्यों के वनमंडल स्तर से अनुमोदन, मूल्यांकन, व्यय एवं जिओमैंपिग आदि की विस्तृत रिपोर्ट।
3. मुख्यालय स्तर से बेहतर अनुश्रवण हेतु एकीकृत जिओ–पोर्टल, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्र की सीमा के अतिरिक्त Satellite Imagery को देख सकते हैं।
4. चार स्तरों अर्थात मुख्यालय, वन वृत्त, वनमंडल एवं परिक्षेत्र में अधिकारों का प्रतिनिधान के साथ ही मुख्यालय स्तर पर एकीकृत डाटा सेंटर।
5. कार्यप्रवाह आधारित पारदर्शी प्रणाली।
6. प्रणाली Public Domain में है एवं आमजन द्वारा इसका अवलोकन किया जा सकता है।

'kk[kk dk eq[; dk;Z eq[; %

1. प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु समस्त जानकारियां नियमित रूप से प्रविष्ट करने के लिए मुख्य वन संरक्षकों एवं वनमंडलों अधिकारियों को निरंतर उनके क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराना है।
2. प्रणाली से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों जैसेः नवीन रिपोर्ट को जोड़ना, Technical Checks लगाना वृक्षारोपण पंजीकरण को निरस्त करना आदि के निराकरण हेतु नियमित रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा से समन्वय स्थापित रखना ।
3. वीडियो कांन्फ्रेंस एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से वृक्षारोपण प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास।

4. वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर विभाग को नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

egRoi.k miyfC/k;k %

1. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के समन्वय से वृक्षारोपण को बहुउपयोगी बनाने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। वृक्षारोपण क्षेत्र में पौंधे के रोपण के साथ–साथ, मृदा एवं जल संरक्षण के केन्द्र बनाये गये है। साथ ही क्षेत्रों का रेस्टोरेशन हो रहा है। अधिकारियों का मार्गदर्शन स्थानीय रूप से छोटे–छोटे अभिनव प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि पर्यावरणीय संरक्षण हो सके।
2. शाखा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन उपरांत कार्यालयीन कार्य मुख्यतः ऑनलाईन (ईमेल द्वारा) संपादित करने का प्रयास किया जा रहा है।

शाखा द्वारा वर्ष 2019 से 2021 में प्रणाली में जानकारी को अद्यतन् रखने हेतु किये गये प्रयासों से प्राप्त प्रगति के संक्षिप्त आंकड़े निम्नानुसार है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.19 एवं तालिका क्रमांक 1.20 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-19

S.N.	Particular	Data as on 01-01-2019	Data as on 12-10-2021	Percentage Increase
1	Total Registered Plantations	18371	22468	**22.30**
2	Total Approved Plantations	18220	22146	**21.54**
3	Total Evaluated Plantations (Atleast Once)	15217	20182	**32.63**
4	Total Geo-Mapped Plantations	13081	21154	**61.72**

rkfydk Øekad 1-20

;kstukokj o{kkjki.k iathdj.k fLFkfr %&

S.N.	Name of the Scheme	Total Plantations (as on 12-10-2021) (Since 2006)
1	ESIP	35
2	Bamboo Mission	594
3	Bundelkhand Package	114
4	CAMPA	2498
5	CAMPA (Urja Van/Fuelwood)	112

S.N.	Name of the Scheme	Total Plantations (as on 12-10-2021) (Since 2006)
6	Compensatory Afforestation	139
7	Environment Forestry	878
8	FDA (NAP)	2132
9	GIM	242
10	JFMC	278
11	Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee	1646
12	Minor Forest Produce Federation	321
13	NAP	11
14	NPV	794
15	Omkareshwar Project	84
16	Other Central Assistance	117
17	Other	3255
18	Social Forestry	5
19	UNDP	526
20	Vaiklpik	119
21	Working Plan Implementation	8251
22	Working Plan Implementation (Plantations except RDF)	27
23	Working Plan Implementation (Plantations in RDF)	290
Grand Total		**22468.00**

1-4-9 vuqla/kku foLrkj ,oa ykdokfudh

mís'; ,oa lajpuk &

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित हैं।

सा.वा. वन वृत्त के अंतर्गत संचालित 171 रोपणियों में मानक गुणवत्ता के वानिकी/औषधीय/लघु वनोपज/संकटापन्न/विलुप्तप्राय एवं आवश्यकतानुसार क्लोनल/ग्राफ्टेड/ फलदार पौधे तैयार कर विभागीय वृक्षारोपण एवं अन्य शासकीय/अशासकीय विभागों, संस्थाओं एवं जनसामान्य को रोपण हेतु प्रदाय किया जाते है।

ik/kk r;kjh ,o fuorku &

अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में वर्ष 2022 के रोपण हेतु विभिन्न प्रजातियों के 484.10 लाख पौधे रोपणियों में उपलब्ध है। साथ ही 60 लाख पौधों की तैयारी प्रगति पर है।

वर्षा ऋतु 2021 में माह सितंबर तक 395.90 लाख पौधों एवं 6.90 लाख सागौन रूटशूट का निवर्तन रोपणियों से किया गया है।

jktLo ikfIr &

वर्ष 2021 में पौधों के विक्रय से राशि रू. 544.73 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

lkdVkiUu iztkfr;k dh r;kjh &

प्रदेश के वनों में जैव विविधता बनाये रखने के लिये सा.वा. रोपणियों में दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के लगभग 60 लाख पौधे तैयार किये गये जिसमें हल्दू, सलई, धामन, तिनसा, शीशम आदि प्रजातियॉ प्रमुख है।

vktknh dk ve`r egkRlo &

आजादी के 75 वें वर्ष पर अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान–1 के अंतर्गत अद्यतन स्थिति में प्रदेश में 179 स्थलों पर 7117 पौधों का रोपण किया जा चुका है।

fV';w dYpj ik/kk dh r;kjh &

सा.वा. वन वृत्त, इंदौर में एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संचालित। जहॉ उत्तम गुणवत्ता के बॉस एवं संकटापन्न प्रजातियों को टिश्यू कल्चर विधि से विकसित किया जा रहा है। सागौन पर भी प्रयोग प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2021–22 में 25000 पौधो की तैयारी का कार्य प्रगति पर।

oY;w ,MM tSfod [kkn mRiknu &

सामाजिक वानिकी रोपणियों में रासायनिक खाद के स्थान पर वेल्यू एडेड वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर पौधा तैयारी में उपयोग के साथ–साथ क्षेत्रीय वनमंडलों को भी पौध रोपण हेतु प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2023 के रोपण हेतु 52000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयारी का कार्य प्रगति पर।

जीवामृत एवं नीमखली का उत्पादन भी आवश्यकतानुसार रोपणियों में किया जा रहा है।

foLrkj okfudh &

विस्तार वानिकी योजना अंतर्गत वर्षा ऋतु 2021 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के 7.34 लाख पौधों का रोपण किया गया है। प्रदेश में विभिन्न सुरक्षा बलों के माध्यम से भी 3.06 लाख पौधों का रोपण योजना अंतर्गत किया गया है।

lpuk ik|kfxdh &

रोपणियों के पौधों के ऑनलाईन संधारण हेतु uljh eatesV flLVe विकसित किया गया है। जन सामान्य के लिये सुलभता की दृष्टि से एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से भी पौधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपलब्ध है।

ipkj izlkj &

''म.प्र. वनांचल संदेश'' नाम से विभागीय गतिविधियों, उल्लेखनीय सफलताओं के संबंध में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके 17 संस्करण जारी हो चुके हैं।

jkif.k;ksa esa bdksa i;Vu fodkl &

प्रमुख स्थलों पर रोपणी को ईको–टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटको को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

yksdokfudh &

लोकवानिकी योजना अंतर्गत वर्ष 2002 से अब तक प्रदेश में लगभग 3020 प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई।

v/;;u ,oa vuqla/kku &

अध्ययन एवं अनुसंधान योजना अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 4 एवं ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 5 अनुसंधान परियोजना संचालित है।

1-4-10 Hkw&izca/k

भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं:–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा :

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए :

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के बाद दिनांक 25.10.1980 से माह दिसम्बर 2021 तक कुल 1237 प्रकरणों में कुल 286800.5837 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गई है।

वर्ष 1980 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.21 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 1-21
mi;kxokj ou Hkwfe dk 0;iorZu

Ø-	J.kh	0;iofrZr ou Hkwfe					dqy 0;iofrZr ou Hkwfe	ifr'kr
		1980&90	1990&2000	2001&2010	2010&2020	2021		
1	सिंचाई	62797.147	6308.486	8949.552	6572.7	1592.220	86220.105	30
2	विद्युत	2566.964	487.02	2369.214	3916.7	177.931	9517.829	3
3	खनिज	3664.534	5189.345	3992.461	5618.133	1678.841	20143.314	7
4	विविध	702.849	4757.334	3170.893	5078.516	629.208	14338.8	5
5	रक्षा	12458.038	16632.64	6.27	8081.871	0	37178.819	13
6	अतिक्रमण	119401.72	0	0	0	0	119401.716	42
;kx							**286800.583**	**100**

प्रत्यावर्तित वन भूमि का वर्षवार तथा श्रेणीवार विवरण ifjf'k"V&5 में संलग्न है। वर्ष 2021 में अंतिम स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण ifjf'k"V&6 में संलग्न है।

ou ¼lj{k.k½ vf/kfu;e] 1980 esa jkT; 'kklu@oukf/kdkfj;ksa dks inRr vf/kdkj

वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध में राज्य शासन/क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैं :–

(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, अस्पाताल, पेयजल सुविधा, लघु सिचाई, विद्युत उपकेन्द्र, मार्ग निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण, पुलिस स्टेशन आदि के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वामपंथी चरमपंथी जिलों क्रमशः बालाघाट एवं मण्डला के लिये शैक्षणिक संस्था, अस्पाताल, पेयजल सुविधा, लघु सिचाई, विद्युत उपकेन्द्र, मार्ग निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण, पुलिस स्टेशन आदि के लिये 05 हेक्टेयर तक वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रकरणों में राज्य शासन को अधिकार प्रदत्त किये हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दूकानें, विद्युत और दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें एवं सामुदायिक केन्द्र कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें 75 वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने के स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये है :–

वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है,जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.22 एवं 1.23 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-22

(प्रकरणों की संख्या अंकों में)

Ø-	fooj.k	o"kZ 2017	o"kZ 2018	o"kZ 2019	o"kZ 2020	o"kZ 2021
1	प्राप्त आवेदन	31	63	77	56	123
2	स्वीकृत प्रकरण	19	42	20	58	81
3	अस्वीकृत प्रकरण	07	—	—	—	03
4	विचाराधीन प्रकरण	224	67	54	45	39
5	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	82	17	14	09	23
6	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	142	50	40	36	16

rkfydk Øekad 1-23

ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 ds vUrxZr Lohd`r izdj.k

o"kZ 2017	o"kZ 2018	o"kZ 2019	o"kZ 2020	o"kZ 2021	;ksx
466	521	546	260	185	1978

म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

1-4-11 dEik (CAMPA)

(Compensatory Afforestation Management & Planning Authority)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.)आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय

के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 2017–18 तक किया जाता रहा है।

इस क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर 2018 को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के नाम से राज्य प्राधिकरण का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ''8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां'' के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129–मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में – शासी निकाय।

मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में–राज्य स्तरीय संचालन समिति।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में–राज्य कार्यकारिणी समिति।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19–42 /2018/1/4 दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ–3–22/2018/10–2 दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19–52/ 2018/1/4 दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।

उक्त समितियों के गठन के पश्चात् अभी तक शासी निकाय की एक, संचालन समिति की पांच तथा कार्यकारिणी समिति की छः बैठक आयोजित की गई हैं।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी. व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैंः–

- एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन पर व्यय।
- एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण आदि पर व्यय।
- वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।
- वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/उन्नयन पर प्रतिबंध।
- ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/ वन्यजीव प्रबंधन के मूल्यवृद्धि, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन।

- ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।

प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात् अनुमोदन एवं अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार अनुमोदन हेतु लेख किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के नियम अनुसार ए.पी.ओ. का अनुमोदन किया जाता है।

foRrh; ixfr & ouhdj.k ds vfrfjDr dEik 'kk[kk ls oU;ik.kh {ks=ks ds jgokl fodkl] ouks ds lj{k.k] v|kslpuk fodkl के कार्य भी किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है –

¼v-½ foRrh; o"kZ 2020&2021 & वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग की गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.24 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-24

¼jkf'k djksM+ksa esa½

Ø-	'kh"kZ	o"kZ 2020&21 esa Lohd`r jkf'k	mi;ksx esa yh xbZ jkf'k
1	**2**	**3**	**4**
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण	156.71	148.09
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र	4.39	3.77
3	वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	693.61	323.48
5	अन्य	0.00	0.00
6	ब्याज की राशि	6.22	0.30
	;ksx	**860.93**	**475.64**

¼c-½ foRrh; o"kZ 2021&2022 & वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. में ifjf'k"V&7 अनुसार कार्य प्रचलित हैं। वित्त विभाग द्वारा प्रथम चरण मे अनुमोदित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 616.88 करोड़ उपलब्ध कराई गई है। दिसम्बर 2020 की स्थिति में राशि की उपयोगिता का विवरण तालिका क्रमांक 1.25,1.26 एवं 1.27 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-25

¼jkf'k djksM+k esa½

Ø-	'kh"kZ	o"kZ 2021&22 esa Lohd`r jkf'k	mi;ksx esa yh xbZ jkf'k ¼15 fnlEcj 2021 dh fLFkfr esa½
1	**2**	**3**	**4**
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण	138.19	47.63
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र	5.66	2.77
3	वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	594.76	220.60
5	अन्य	0.00	0.00
6	ब्याज की राशि	38.36	3.33
	;ksx	776.97	274.33

rkfydk Øekad 1-26

izfrdj.k ¼dEiksft½ ds vUrxZr o{kkjksi.k

¼jdck gsDVs;j esa½

dzekad	o"kZ	{kfrifrZ jksi.k	,u-ih-0gh- esa ls jksi.k	;ksx
1	2	3	4	6
1	2018-19	1907.85	0.00	1907.85
2	2019-20	5104.86	13470.76	18575.62
3	2020-21	4493.98	16526.02	21020
4	2021-22	2192.00	9422.00	11614
	;ksx	**13698.69**	**39418.78**	**53117.47**

rkfydk Øekad 1-27

dEiksft 'kk[kk ds vUrxZr 1306 esa ls foxr o"kksZ dh o{kkjksi.k izxfr

¼jdck gsDVs;j esa½

dzekad	o"kZ	1306 esa ds vUrxZr {kfrifrZ jksi.k
1	2	3
1	2018–19	372.88
2	2019–20	2206.31
3	2020–21	0.00
4	2021–22	800.00
;ksx		**3379.19**

dEik vUrxr fuxkgh o{kkjki.k] flxjkyh oueMy dk fogxe n';

1-4-12 lpuk ik|kfxdh

सूचना प्रौद्योगिकी तकनीको का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1- th-vkb-,l- ¼Hkkxkfyd lpuk i.kkyh)–सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जाता है। वन खण्डों के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। 63 वनमण्डल में से 33 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं कार्य आयोजना में समायोजन किया जा चुका है एवं 30 वनमण्डलों के वनक्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

विभाग द्वारा मानचित्रों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिये जी.आई.एस. पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त मानचित्र वेब मैप के माध्यम से वनमंडलों एवं कार्य आयोजना इकाईयों ऑनलाईन प्रदान किया जा रहा है। मैप आई.टी. के माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया जा रहा है।

2- uD'kk dh x.koRrk l/kkj के लिये मोबाईल जी.आई.एस. का भी उपयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 2 मोबाईल ऐप विभाग द्वारा संचालित हैं एवं Collector for ArcGIS ये दोनों एप विभागीय पोर्टल से संचालित होती हैं एवं डेटा रियल टाईम में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ऑन–लाईन देखा जा सकता है।

3- fofHkUu lqjf{kr {ks=ks rFkk ou eMyks ds Fkh Mh ekufp= वनों के भीतर विभिन्न वानिकी गतिविधियों के लिए क्षेत्र चयन हेतु आई टी शाखा द्वारा डिजिटल एलीवेशन माडल की आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री डी मानचित्रों / decision support system का निर्माण कर http://intranet.mpforest.gov.in/Publicdomain/atlas/index.html पर उपलब्ध कराया गया है।

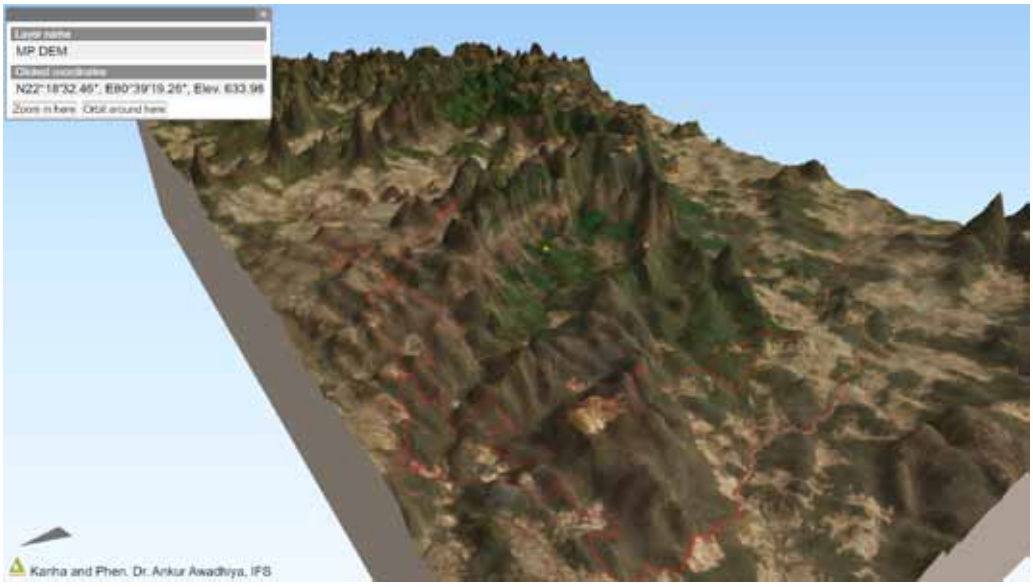

4- foHkkx d mi;kxh ,Iyhd'ku

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा एवं वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने के सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) के ,Iyhd'ku] वन विभाग में ई.–टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक क्रय के ,Iyhd'ku d lkFk&lkFk fuEukfdr i.kkfy;k fodflr dh xbZ g&

flEIyhQk;j **near real time fire monitoring system**

आई टी शाखा द्वारा नासा के सैटेलाईट से प्राप्त near real time fire डेटा को मानचित्र में अंकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, जो सिम्प्लीफायर के नाम से उपलब्ध कराई गई है।

इसके उपयोग से वन तथा राजस्व क्षेत्रों में लगी अग्नि के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त होती है जो वन अग्नि प्रंबधन हेतु उपयोगी है। जानकारी को राज्य, वृत्त, वन मंडल, रेंज, बीट, तथा कम्पार्टमेंट के लेवल पर देखा जा सकता है।

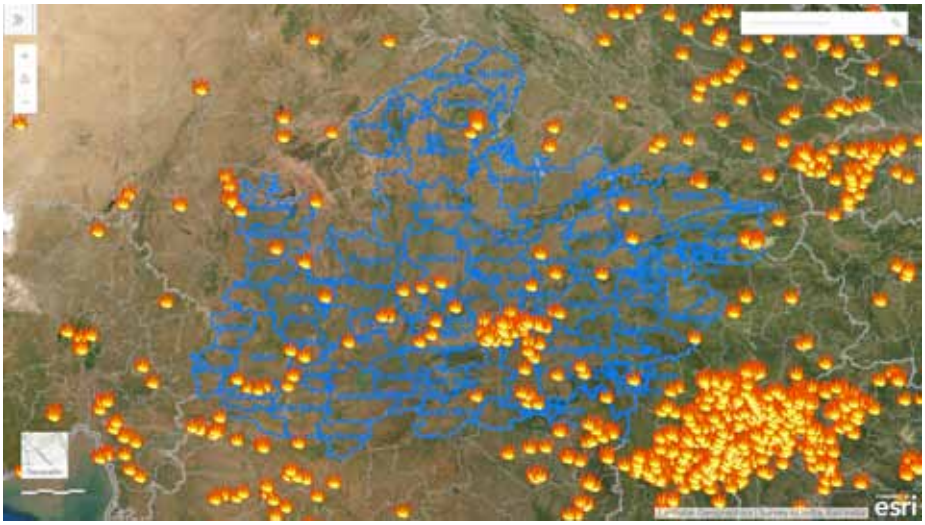

QkjLV Qk;j vyV flLVe 3.0

भारतीय वन सर्वेक्षण के पोर्टल फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 की सहायता से वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

dkUVsDVj iath;u iz.kkyh

वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ की नीलामी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने हेतु इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों एवं मध्यप्रदेश के समस्त विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता/फुटकर विक्रेता द्वारा ऑनलाईन पंजीयन एवं किया जाता है। क्रेताओं के द्वारा पंजीयन राशि के आनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ट्रेजरी के पेमेन्ट गेटवे का इन्ट्रीगेशन का कार्य किया गया। पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं भुगतान का परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर क्रेताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाता है जिसे क्रेता इस प्रणाली में लाग–इन कर डाउनलोड कर सकते हैं।

fMiks iath;u izca/ku iz.kkyh

इस एप्लीकेशन की सहायता से डिपो द्वारा ऑन–लाईन काष्ठ के डिपो रेट की प्रविष्टि, नीलाम दिनांक की प्रविष्टि, काष्ठ का मापन, ग्रेडिंग, स्टेक निर्माण, लाट निर्माण इत्यादि कार्यों को किया जाता है।

jk"Vªh; ifjogu vuqKk&i= iz.kkyh

NTPS पोर्टल का निर्माण Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) के द्वारा किया गया है। यह एक वर्क फ्लो पर आधारित एप्लीकेशन है जिसे डेस्कटॉप एवं मोबाईल संस्करण उपयोग के लिए उपलब्ध है। इन दोनों प्रकार के सस्करणों की सहायता से आवेदक निजी भूमि पर उगाई जा रही प्रजातियों के लिए Transit Permit (TP) या No Objection Certificate (NOC) के लिए आवेदन कर सकता है। Transit Permit (TP) का भुगतान वेब पोर्टल या मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक सभी 16 वृत्तों के विभिन्न वनमण्डलों को सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथा दिनांक 01.08.2021 से पूरे प्रदेश में उक्त प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

vU; iz.kkfy;k fuEukuqlkj gS%

1. फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)
2. वन अपराधी डेटाबेस
3. अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली
4. प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)

5. रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली
6. डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली
7. राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा–पत्र प्रणाली
8. गैर वन–भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र (फारेस्ट ऑनलाइन एन.ओ.सी)
9. वन मंडल अधिकारी कार्य निष्पादन प्रणाली
10. आजादी का अमृत महोत्सव प्रणाली
11. वन राजस्व संग्रहण प्रणाली
12. मध्यप्रदेश प्लांट बायोडाइवर्सिटी सर्च इंजu

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त, फायर एटलस, कंटूर मानचित्रों का एटलस फायर एटलस जल स्रोत्रों के मानचित्र का एटलस तथा हिलशेड मानचित्रों का एटलस का भी निर्माण किया गया है।

1-4-13 ou lj{k.k

लगातार बढ़ती जा रही आबादी और उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में होने वाली सतत् बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेश के जैविक संसाधनों विशेषकर वनों, वन भूमि एवं वन्य जीवों का संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 2008 के पश्चात वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कृषि हेतु भूमि की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। कुछ बहुमूल्य प्रजातियों जैसे सागौन, खैर आदि की बाजार में बढ़ती मांग के कारण उनकी अवैध कटाई एवं तस्करी संगठित अपराध का रूप लेने लगी है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, क्षेत्रीय इकाईयों की प्रतिबद्धता तथा स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से वन एवं वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर ईमानदार प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके वांछित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.28 में दर्शित है–

rkfydk dzekad& 1-28

ou vijk/kksa dk fooj.k

ou vijk/k izdj.k		2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
अवैध कटाई के प्रकरण		43808	44892	48035	40243
अवैध चराई के प्रकरण		616	662	700	522
अवैध परिवहन के प्रकरण		1561	1511	1747	1397
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1134	2167	1928	1576
	नवीन प्रभावित क्षेत्र(हे0)	1973	3245	2490	2495

ou vijk/k idj.k		2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	888	973	1062	897
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	3109	5371	1772	722
dqy ithc) ou vijk/k		52909	56512	56932	51963
जप्त वाहनों की संख्या		605	1620	1877	1356
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2253	2868	2406	1740 (अंतरिम)
वन अपराध प्रशमन एवं अन्य विविध प्राप्तियॉ (लाख में)		4206.01	5605.14	32276.96	30463.24 (अंतरिम)

प्रभावित क्षेत्र की वृत्तवार जानकारी परिशिष्ट क्रमांक 08 से 18 में संलग्न है।

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमित करने के लिये बनाये गये मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.29 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-29

o"kokj ntZ idj.k

वन अपराध प्रकरण	2018	2019	2020	2021 (नवम्बर)
प्रकरण संख्या	138	76	50	80

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के साथ ही सामूहिक गश्ती हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2021 की स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु शासकीय अथवा अनुबंधित वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत हैं। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 वाहिनियों, क्रमशः 8 वीं वाहिनी – छिन्दवाड़ा, 15 वीं वाहिनी – इन्दौर तथा 26 वीं वाहिनी – गुना के 221 सषस्त्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं जिन्हें 14 संवेदनशील वनमण्डलों में संलग्न किया गया है। परिक्षेत्र स्तर पर 450, वन चौकी हेतु 10 एवं वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता दल हेतु 15 वाहन, कुल 475 वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्ष 2021 में माह नवम्बर तक कुल वन अपराध 51963 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 2404 अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये गये।

o"k 2021 dh fof'k"V miyfC/k;k &

1 राज्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में पेशेवर अपराधिक तत्व शामिल रहते हैं, जो वन कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही में बाधा डालने में सक्षम हैं। ऐसे असामाजिक तत्व हथियारों का उपयोग भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वन अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं।

वर्ष 2021 में वन अपराध प्रकरणों में कार्यवाही के दौरान वन कर्मियों के कर्तव्य निष्पादन के दौरान उनके ऊपर हमले की 27 घटनायें हुईं जिसमें 8 वन कर्मचारी घायल हुये एव वन अग्नि सुरक्षा कार्य करते हुये स्व0 श्री सूर्यप्रकाश ऐडे, वन रक्षक, बालाघाट एवं स्व. श्री राजपरिक्षित भट्ट, वन रक्षक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व वीरगति को प्राप्त हुये, एक वनरक्षक श्री मदनलाल वर्मा, वन रक्षक, वन दस्युओं से मुठभेड़ में स्वर्गवास हुये साथ ही स्व. श्री सखाराम मण्डलोई, वनरक्षक खण्डवा मारपीट के दौरान मृत्यु हुई ।

2. प्रदेश के वनक्षेत्र से सागौन एवं खैर वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन करने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह द्वारा खंडवा, बैतूल, देवास, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा जिले में सागौन एवं शिवपुरी, देवास, सागर जिले मे खैर वृक्षों की अवैध कटाई कर काष्ठ का वाहनों से परिवहन कर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विक्रय किया जाता हैं। इन प्रकरणों में 48 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराध प्रकरणों में लगभग 194 टन अवैध खैर काष्ठ के साथ 09 वाहन जप्त किये गये है। इन प्रकरणों का अन्वेषण वन मण्डल एवं राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

3. (अ) वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत वन सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वन चौकियो में सुरक्षा श्रमिको की व्यवस्था, वन चौकी हेतु सुरक्षा सामग्री, पेयजल, सुरक्षा किट (हेलमेट, चेस्टगार्ड, डंडा आदि), सीसीटीवी कैमरा, वन चौकी वाहनो की मरम्मत, टायर ट्युब, वन संरक्षण विषय पर प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिये मोबाईल सिम नेटवर्क एवं आवश्यकतानुसार किराये के वाहनों हेतु भी राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना (फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एंड मैनेजमेन्ट स्कीम) के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा कार्य (फायर लाईन कटाई एवं जलाई तथा फायर वाचर्स का नियोजन) किया गया।

(स) कैम्पा योजना अंतर्गत अग्नि सुरक्षा हेतु अग्नि रेखाओं, फायर वाचर्स, प्रशिक्षण के साथ साथ ब्रशवुड कटर, ब्लोअर, एवं अग्नि रोधी किट हेतु क्षेत्रीय इकाइयों को बजट उपलब्ध कराया गया है। अधोसंरचना के विकास अंतर्गत वन चौकी, वन उपज जॉच नाका, लाईन क्वार्टर, आदि हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे वन सुरक्षा प्रभावी रूप से सम्पादित की जा सके।

दूरस्थ वनांचलों में जहॉ अन्य संचार साधन उपलब्ध नहीं है, वहां वायरलेस संचार नेटवर्क को पुनर्स्थापित करने हेतु भी राशि उपलब्ध कराई गई है।

ou lj{kk ic/ku e lpuk ik|kfxdh dk mi;kx

1. वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। साथ ही समस्त क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों को एफ ओ सी आर पंजी के स्थान पर "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) पर ही प्रकरण दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है।

ou vijk/k ic/ku i.kkyh

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है।

2. अग्नि घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा विकसित ''वन अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली'' ¼Qk;j ,yV elfftx flLVe½ विकसित की गई है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है।

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली में दर्ज अग्नि घटनाओं के 6700 प्रकरणों में 22608 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

e/;izns'k esa dk"B vk/kkfjr m|ksxksa dk izksRlkgu :–

मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा –च में संशोधन किया है जो मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 जनवरी 2022 के रूप में अधिसूचित हुआ है। इस संशोधन के उपरान्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते है या जो 30 से.मी. व्यास के अधिक के चक्राकार आरे या बेण्ड सॉ या री–सॉ के बिना प्रचालन करते है एवं प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थापित है उन्हे इस अधिनियम के अंतर्गत आरामिल की अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे उद्योग या प्रसस्करण संयंत्र जो चिरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी, ब्लाक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर –बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद या राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी का उपयोग करते है, के लिए भी अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

उपरोक्त संशोधन के उपरान्त मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी एवं इन उद्योगों की मांग की पूर्ति के लिये वन क्षेत्रों से बाहर वृक्षारोपण गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

1-4-14 mRiknu

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ एवं बांस का वन वर्धन के दृष्टिकोण से विदोहन किया जाता है। साथ ही वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक निस्तार की व्यवस्था की जाती है। उत्पादन शाखा द्वारा लोकवानिकी तथा मालिक मकबूजा के अन्तर्गत कृषकों द्वारा वन विभाग के डिपो में लाई गई काष्ठ के भुगतान की व्यवस्था भी की जाती है । विगत वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस का उत्पादन का विवरण तालिका क्रमांक 1.30 में दर्शित है–

rkfydk Øekad & 1-30

dk"B] cka l mRiknu ,oa izkIr jktLo

fooj.k	विदोहन वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर)		
	2018&19	2019&20	2020&21
ईमारती लकड़ी (घ.मी. में)	2,73,365	2,09,210	1,74,545
जलाऊ चट्टें (नग)	1,62,945	1,26,811	1,01,546
बांस (नो.टन)	34,189	27,106	37,211
प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में) (अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित)	1116.29	1036.83	1294,68

राज्य की वर्तमान पुनरीक्षित निस्तार नीति 10 मार्च 2019 से लागू है। इससे पूर्व यह नीति 01 जुलाई 1996 को पुनरीक्षित की गई थी। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलू उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इस हेतु राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है बसोड़ परिवारों को रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही बेगा आदिवासियों तथा अन्य ऐसे समुदायों, जो बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक एफ–07–02/2006/10–3 दिनांक 10 मार्च 2019 द्वारा पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति में सम्मिलित करते हुये निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक 1.31 में दर्शित है–

rkfydk Øekd & 1-31

o"kokj fuLrkj ink;

o"k 2017] 2018 ,o 2019 e fuLrkj 0;oLFkk d vUrxr inkf;r oukit dh ek=k ,o nj

(मात्रा लाख नग में) (राशि रूपये लाख में)

fooj.k	ink; fuLrkj lkexh								
	2018			2019			2020		
oukit dk uke	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टें	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे
ek=k	27.04	0.38	0.45	28.25	0.29	0.62	19.61	0.16	0.51
foØ; eY;	279.88	53.89	338.43	408.22	49.53	306.73	332.62	30.17	361.49
ckt kj eY;	936.29	99.76	737.45	1037.77	142.37	1073.53	732.30	45.33	859.08
nh xbl fj;k;r	942-00			1345-00			912-44		

पिछले 3 वर्षों में मालिक मकबूजा काष्ठ प्रकरण संख्या, प्राप्त काष्ठ व इस हेतु आवंटित बजट की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 1.32 एवं 1.33 में दर्शित है–

rkfydk Øekd & 1-32
ekfyd edctk idj.k gr dk"B ,o vkoVu

Øekd	foRrh; o"k	idj.k l[;k	ikIr dk"B ¼?k-eh-½	vkoVu ¼#i;s gtkj e½
1	2018–19	486	13213	348000
2	2019–20	335	9172	246000
3	2020–21	630	19392	544280

rkfydk Øekd & 1-33
in'k d mRiknu dk;k dk liknu djus gr
fiNys 3 o"kk e fufeZr ekuo fnol dh tkudkjh

Øekd	o"k	ekuo fnol ¼yk[k e½
1	2018–19	24.60
2	2019–20	27.38
3	2020–21	22.00

1-4-15 oU;ik.kh ic/ku

oU; tho ic/k %&प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

in'k d ljf{kr {k= %&राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11281.608 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिज़र्व अधिसूचित हैं। इन 06 टाइगर रिज़र्व्स का कोर ज़ोन 4773.638 वर्ग कि.मी. तथा बफर ज़ोन 5400. 602 वर्ग कि.मी. है। डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर, जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। प्रदेश के रायसेन जिले में प्रदेश का पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। बाघ, बारासिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्यप्राणी प्रजातियां हैं। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची ifjf'k"V 19& में दी गई है। प्रदेश के कुछ संरक्षित क्षेत्रों के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी होना शेष है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना की स्थिति ifjf'k"V 21& ,o 22 में संलग्न है।

oU;ik.kh lj{k.k %&वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाईयों एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं :–

- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र क्रमशः इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की गई है।
- प्रदेश में वन्यप्राणियों के विरूद्ध हुये अपराधों में कारगर अन्वेषण, अपराधियों एवं वन्यप्राणी सामग्री की खोज के लिये 16 प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड्स का गठन किया गया है। इससे वन्यप्राणी अपराधों के अन्वेषण में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त हुई हैं।
- म.प्र. वन विभाग के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, सागर एवं सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। प्रत्येक न्यायालय में ACJM स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।
- टाइगर रिज़र्व्स एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरण प्रदाय किये गये हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए 10 पशु चिकित्सकों का पृथक कैडर कार्यरत है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ वन विभाग की सहायता से संचालित है।

oU;ikf.k;ksa dh vo/k f'kdkj ,oa vU; dkj.kksa ls eR;q %&समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत पांच वर्षों की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.34 में दर्शित है–

rkfydk Øekad & 1-34

¼vo/k f'kdkj ,oa eR;q idj.k½

o"kZ	vo/k f'kdkj idj.k	vU; eR;q idj.k	;ksx
2019	216	915	1131
2020	472	736	1208
2021	370	456	826

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का का विवरण तालिका क्रमांक 1.35 में दर्शित है–

rkfydk Øekd&1-35
¼vo/k f'kdkj ,oa e`r oU;ik.kh dh la[;k½

o"kZ	vo/k f'kdkj ls e`r oU;ikf.k;ksa dh la[;k	vU; dkj.kksa ls e`r oU; ikf.k;ksa dh la[;k	;ksx
2019	266	992	1258
2020	498	813	1311
2021	376	480	856

ekuo rFkk oU;ikf.k;ksa ds chp }a} de djus ds iz;kl %&

➢ oU;ikf.k;ksa ls tu gkfu gksus ij jkgr jkf'k dk Hkqxrku %&

mn~ns'; &वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

ik=rk dh 'krZa %&राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:–

- जन–हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा हुई हो (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)
- आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य/रिश्तेदार हो

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।

oU;ikf.k;ksa ls tu ?kk;y gksus ij jkgr jkf'k dk Hkqxrku

mn~ns'; &वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

घायल व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान है:–

Ø-	oU;ikf.k;ksa }kjk dh tkus okyh gkfu	jkgr jkf'k
1	वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि होने पर	रू. 4,00,000 (चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2	स्थायी विकलांगता होने पर	रू. 2,00,000 (दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय

Ø-	oU;ikf.k;ksa }kjk dh tkus okyh gkfu	jkgr jkf'k
3	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रू. 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/– (पचास हजार) तक होगी)

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

➢ oU; ikf.k;ksa ls i'kq&gkfu ,oa Ik'kqÙkk;y gsrq jkgr jkf'k dk Hkqxrku

;kstuk dk Lo:i vkSj dk;Z{ks= &वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

;kstuk fØ;kUo;u dh izfØ;k &सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि –

- निजी पशु मारे जाने/घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
- मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

orZeku में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

➢ oU;ikf.k;ksa ls Qly gkfu dk eqvkotk

;kstuk dk Lo:i vkSj dk;Z{ks= &मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है। विवरण तालिका क्रमांक 1.36 में दर्शित है–

rkfydk Øekd& 1-36

e/;izns'k esa oU;ikf.k;ksa ls tugkfu] tu?kk;y ,oa Ik'kqgkfu ds dqy izdj.k ,oa eqvkotk

Ok"kZ	tugkfu izdj.k	jkf'k	tu?kk;y izdj.k	jkf'k	Ik'kqgkfu izdj.k	jkf'k
2017–18	42	16563690	1025	8427871	6488	61272840
2018–19	47	18896504	1324	9652587	9957	112406365
2019–20	51	20030838	1190	8736774	9760	88330916
2020–21	90	32788407	1273	9550946	12948	97206733

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 15.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्य पुर्नस्थापित किया जा सकता है। विगत वर्षों में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.37 में दर्शित है–

rkfydk Øekd&1-37

¼ljf{kr {ks=ksa ls iqulZLFkkfir xzke½

foRrh; o"kZ	iqulZLFkkfir xzke la[;k
2017–18	13 पूर्ण
2018–19	12 पूर्ण
2019–20	3 एवं 8 आंशिक
2020–21	1 पूर्ण
2021–22 (प्रगतिरत)	1 पूर्ण

oU;ikf.k;ksa dh la[;k dk vkdyu %&अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2018 के परिणाम 29 जुलाई 2019 को घोषित किये गये जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 526 बाघ आंकलित किये गये हैं और मध्य प्रदेश ने भारत में बाघों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर रहते हुए पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में बाघो की संख्या भारत के कुल आंकलित बाघों की संख्या 2967 की लगभग 18 प्रतिशत पायी गयी है। इसके पूर्व वर्ष 2014 के आंकलन में मध्यप्रदेश में 308 बाघ आंकलित किये गये थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि

न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश के 714 बीटों में बाघ की उपस्थिति के चिन्ह पाये गये थे जबकि वर्ष 2018 में बाघों के चिन्ह 1432 बीटों में मिले हैं।

केन्द्र शासन द्वारा भारत के टाइगर रिजर्व्स की प्रबंधकीय दक्षता के चतुर्वार्षिक आंकलन अध्ययन (MEE) के परिणामों में भी मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिज़र्व क्रमशः पेंच, कान्हा एवं सतपुड़ा प्रथम तीन स्थानों पर आए हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.38 में दर्शित है–

rkfydk Øekd&1-38

¼ck?kksa dh la[;k dk vkdyu½

ck?kksa dh la[;k				
jkT;@o"kZ	2006	2010	2014	2018
e/;izns'k	300 (236–364)	257 (213–301)	308	526

वन विभाग द्वारा प्रदेश में प्रथम बार वर्ष 2016 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से संकटग्रस्त प्रजातियों के गिद्धों की गणना की गई थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में 7 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गए थे तथा वर्ष 2018–19 में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना कराई गई जिसमें लगभग 8300 गिद्ध पाये गये हैं। इसी के तारतम्य में वर्ष 2020–21 में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना संकटग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नींव का पत्थर साबित होगी।

Vkbxj fjtoZ dk izcU/k %&वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ट (4) (ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का वह बहुउपयोगी क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनाये जाने वाले टाइगर कंज़र्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित/निर्माणाधीन टाइगर कंजर्वेशन प्लान की स्थिति में है।

vU; vHk;kj.;ksa@jk"Vªh; m|kuksa esa oU;izk.kh izcU/ku %&उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में 10 वर्षीय प्रबंधन योजना बनाकर वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित/निर्माणाधीन वन्यप्राणी प्रबंध योजना की स्थिति में है।

lajf{kr {ks=ksa ds ckgj oU;izk.kh izcU/k %&संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु राज्य योजना प्रचलित है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

oU;izk.kh lajf{kr {ks=ksa esa i;Vu %&पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिज़र्व्स में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2017 से बफर क्षेत्रों में भी ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई

है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उपबंधों के अधीन टाइगर रिज़र्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है एवं उक्त के अनुरूप टाइगर रिज़र्व्स के कोर क्षेत्रों में पर्यटन हेतु पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित की गई है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.39 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-39

Øekad	Vkbxj fjtoZ dk uke	okgu /kkj.k {kerk ¼iqfr fnol½
1	कान्हा	178
2	बांधवगढ़	147
3	पेंच	99
4	पन्ना	85
5	सतपुड़ा	180
6	संजय	80

उक्त टाइगर रिज़र्व्स एवं अन्य समस्त संरक्षित क्षेत्रों में विगत वर्षों में आये पर्यटकों की संख्या तथा उनसे आय विवरण तालिका क्रमांक 1.40 में दर्शित है–

rkfydk Øekad&1-40

¼lqjf{kr {ks=ksa esa i;Vdksa dh la[;k½

o"kZ	i;Vdksa dh la[;k ¼yk[k esa½	vftZr vk; ¼yk[k esa½
2017–18	19.64	2774.41
2018–19	20.25	3107.51
2019–20	15.86	2034.94
2020–21	11.62	2080.09

पर्यटन वर्ष 2017–18 से नवीन मुकुन्दपुर जू, पचमढ़ी व केन घड़ियाल अभयारण्य के पर्यटन आंकड़े भी सम्मिलित किये गये हैं।

e/; izns'k Vkbxj QkmaMs'ku lkslkbVh %&मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1997 में नवाचार करते हुये मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की थी। यह गैर शासकीय संगठन जन सहयोग एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण का कार्य करता है।

मध्यप्रदेश टाइगर फांउडेशन सोसायटी की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

ck?k cuk;s ck?k cpk;s–प्रदेश में बाघ संरक्षण एवं इससे जुड़े विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में ''बाघ बनायें बाघ बचायें'' गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश के 23 नगरों में 85 से अधिक स्थलों पर मध्य प्रदेश के 32,000 से अधिक नागरिकों ने मिलकर 24 फिट गुणा 36

फिट आकार की पेंटिंग बनाई जिसको इंदौर एयरपोर्ट पर लगाया गया है। इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29 जुलाई को भोपाल से किया गया।

fo'o ixkfyu fnol&पैंगोलिन विश्व का सर्वाधिक तस्कर किये जाने वाला वन्यप्राणी है। जन सामान्य में पैंगोलिन के संरक्षण के प्रचार–प्रसार करने हेतु विश्व पैंगालिन दिवस 2019 के अवसर पर मध्यप्रदेश के सभी लोगों ने पैंगोलिन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली। उनके द्वारा हस्ताक्षरित कागज को सबसे बड़ी पैंगोलिन मूर्तिकला (32 फीट लंबा 7 फीट चौड़ा) पर सजाया और प्रदर्शित किया गया था। यह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2019 में पंजीकृत है।

Dykt Vi ekb gkV vfHk;ku% वन्यप्राणी संरक्षण के प्रति जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य Dykt Vi ekb gkV नामक अभियान वर्ष 2017 से शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जनसामान्य से सहयोग राशि प्राप्त कर उनके सहयोग के लिये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें एक वन्यप्राणी ''लेपल पिन'' उपहार स्वरूप प्रदान की जाती है। इस अभियान के तहत दानदाता द्वारा लैपल पिन ह्रदय के करीब धारण किया जाता है, इस कारण इसका नाम Dykt Vi ekb gkV रखा गया है। मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी अब तक रू. 45 लाख से अधिक का दान जुटाने में सफल रही है।

ou 'kghn fnol %&प्रतिवर्ष 11 सितम्बर को वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा कार्य के दौरान आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़, वन्यप्राणीयों द्वारा हमले, अग्नि दुर्घटना आदि जैसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान गवाने वाले वन विभाग के समस्त व्यक्तियों के बलिदान को राज्य स्तर पर मान्यता देते हुये उनके प्रथम आश्रित को रू. 1,00,000/– एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020 में 6 वन शहीद आश्रित परिवारों को उक्त के तहत सम्मानित किया गया है। मध्यप्रदेश टाइगर फांउडेशन सोसायटी के द्वारा Dykt Vi ekb gkV अभियान के अंतर्गत एकत्रित दान से वन शहीदों के परिवारों को सम्मानित किये जाने से Dykt Vi ekb gkV अभियान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

dkfoM&19 fjyhQ vfHk;ku %& कोविड–19 महामारी के दौरान मध्यप्रदेश टाइगर फांउडेशन सोसायटी द्वारा वन विभाग के फ्रंट लाइन स्टाफ (गाइड, ड्राइवर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीगण) जो प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की मदद के लिये दान अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 400 संस्थाओं/व्यक्तिगत लोगों ने इस अभियान में दान दिया जिसमें लगभग 72.5 लाख की दान राशि (नगद व राहत सामग्री के रूप में) एकत्रित की गई, जिससे लगभग 7350 फ्रंट लाइन स्टाफ के परिवारों की मदद की गई।

1-4-16 dk;l vk;kstuk

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.41 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-41

dk;l vk;kstuk dh {kS=h; bdkbZ;k

dk;l vk;kstuk vkpfyd	dk;l vk;kstuk bdkbZ
भोपाल	1. भोपाल 2. बैतूल 3. होशंगाबाद 4. सागर 5. छतरपुर
इंदौर	1. इंदौर 2. खण्डवा 3. ग्वालियर 4. शिवपुरी 5. उज्जैन
जबलपुर	1. जबलपुर 2. सिवनी 3. बालाघाट 4. रीवा 5. शहडोल 6. छिन्दवाड़ा

वर्ष 2021–22 में 05 वनमंडलों की पुनरीक्षित कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.42 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-42

Lohd`r dk;l vk;kstuk;sa

¼ekg tuojh 2022 dh fLFkfr esa½

Øekad	dk;l dk fooj.k	l[;k	oueMy dk uke
1	2	3	4
1	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	05	पूर्व छिन्दवाड़ा,सतना, कूनो वन्यप्राणी, उत्तर पन्ना एवं रतलाम (हरदा एवं पूर्व मण्डला की कार्य आयोजना वर्ष 2021–22 तक के लिये अवधि वृद्धि)

प्रदेश के पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजनाओं का विवरण rkfydk Øekd 1-43 में दर्शित है :–

rkfydk Øekd 1-43

in'k d oueMyk dh iujh{k.kk/khu dk;l vk;kstuk

Ø-	oueMy	dk;l vk;kstuk vf/kdkjh	vof/k
1	2	3	4
	देवास	श्री विभाष कुमार ठाकुर	2012-13 से 2021-22
	पूर्व मंडला	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	2010-11 से 2021-22
	भोपाल	श्री पी.के.सिंह	2009-10 से 2018-19
	दक्षिण सागर	श्री कमलेश चतुर्वेदी	2009-10 से 2018-19
	सिंगरौली	श्री अमिताभ अग्नोहोत्री	2009-10 से 2018-19
	राजगढ़	श्री विश्वनाथ एस. होतगी	2009-10 से 2018-19
	नरसिंहपुर	सुश्री ए.गौतमी	2011-12 से 2020-21
	डिण्डौरी	श्री मनोज अग्रवाल	2014-15 से 2023-24
	रायसेन	श्री भागवत सिंह	2013-14 से 2022-23
	हरदा / राजाबरारी	श्री आर.आर. ओखंडियार	2011-12 से 2021-22
	खण्डवा	श्री संजय शुक्ला	2014-15 से 2023-24
	नौरदेही (व.प्रा.)	श्रीमती अर्चना शुक्ला	2007-08 से 2016-17
	मुरैना	श्री विश्राम सागर शर्मा	2013-14 से 2022-23
	सीधी	स्व.श्री अशीष कुमार वर्मा	2012-13 से 2021-22
	मंदसौर / नीमच	श्री यू.के. सुबुद्धि	2013-14 से 2022-23
	होशंगाबाद	श्री एच.यू.खान	2011-12 से 2020-21
	बफर जोन वनमंडल कान्हा टा.रि. मण्डला	श्री एच.एस.नेगी	2011-12 से 2020-21

oueMy ftudh dk;l vk;kstuk d iujh{k.k gr iFke ikjfHkd ifronu dh 07 oueMyk gr cBd vk;kftr dh xbl & सीधी, होशंगाबाद, मुरैना, नरसिंहपुर, कान्हा बफर, मंदसौर एवं नीमच।

oueMy ftudh dk;l vk;kstuk d iujh{k.k gr f}rh; ikjfHkd ifronu dh 11 oueMyk gr cBd vk;kftr dh xbl& भोपाल, राजगढ़, दक्षिण छिन्दवाड़ा, पूर्व मण्डला, उत्तर बैतूल, हरदा, मुरैना, देवास, सिंगरौली, नरसिंहपुर, रायसेन।

1-4-17 ou Hk&vfHkyk[k

lqjf{kr ,o vkjf{kr ouk dk xBu &

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र

को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के तहत वर्ष 2019–21 में 48 वनखण्डों का रकबा 2872.490 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि की अधिसूचनाऐं म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

ou 0;oLFkkiu %&

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा 5 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 5 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है।

ou xkek dk jktLo xkek e ifjofrlru djuk %&

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रण के 925 वनग्रामों में से वीरान, विस्थापित, अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित कुल 98 वनग्रामों को छोड़कर शेष 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अन्य राज्यों की भाँति प्रदेश के 827 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने बावत् दिनांक 07.03.2019 को अपर मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन (विधि विधायी कार्य विभाग) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन (राजस्व विभाग) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई जिसमें ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 d rgr ouxkek dk jktLo xkek e ifjofrlr dju gr tutkrh; dk;l foHkkx] e/;in'k }kjk dk;lokgh का निर्णय लिया गया।

ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 %&

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 20.09.2021 की स्थिति में प्रदेश में व्यक्तिगत 2,26,862 वन अधिकार पत्र 339203.400 हेक्टेयर वनक्षेत्र में तथा सामुदायिक 27,962 अधिकार पत्र कुल 592874.300 हेक्टेयर वनक्षेत्र में वितरित किये गये हैं। वनमंडलों से संकलित जानकारी के अनुसार नोडल आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 2,66,232 वन अधिकार पत्रों में से 1,62,399 अभिलेख वन विभाग को उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं शेष 1,03,833 अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के अन्तर्गत वन ग्रामों एवं राजस्व ग्रामों के विस्थापन उपरान्त पुर्नस्थापित ग्रामों की वनभूमि का स्वरूप राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) एवं धारा 27 की अधिसूचनायें मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसी प्रकार विस्थापित राजस्व ग्रामों की रिक्त राजस्व भूमि का स्वरूप वन भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 के तहत अधिसूचनायें मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं ।

1-4-18 leUo;

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन आन लाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सत्त अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय का विवरण तालिका क्रमांक 1.44 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-44

e/;izns'k 'kklu ykdlsok Áca/ku iz.kkyh vUrxZr lsok Ánk; dh fLFkfr

vc rd ÁkIr vkonu i=ksa dh la[;k	fu/kkZfjr le;lhek esa fujkdr vkonu i=ksa dh la[;k			fu/kkZfjr le;lhek ds i'pkr fujkdr vkonu i=ksa dh la[;k			yfcr vkonu i=ksa dh la[;k					
							le; lhek ckgj	ftudh le; lhek iwjk gksxh				;ksx
	lsok miyC/k djkbZ xbZ	lsok vekU; dj nh xbZ	;ksx	lsok miyC/k djkbZ xbZ	lsok vekU; dj nh xbZ	;ksx		vkt	2 fnuksa esa	3 fnuksa esa	3 fnuksa ds ckn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16600	12807	681	13488	2184	268	2452	10	8	16	8	264	306

1-4-19 ikstsDV

मध्यप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित पारिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत देश के चौथे तथा मध्यप्रदेश के प्रथम कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना वर्ष 2012 में पश्चिम बैतूल वनमंडल जिला बैतूल में की गई थी। वर्ष 2017 में प्रदेश के द्वितीय कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला में की गई है तथा यह सुचारू रूप से कार्यरत है।

v/;k; &rhu

foHkkx d vUrxr vku oky fuxe] miØe o lLFkkvk dk fooj.k

1-5 e/;izns'k jkT; ou fodkl fuxe

1-5-1 fuxe dk xBu

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर रू0 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रेल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू. 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रू. 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू. 37,93,15,600 है।

fuxe dk lapkyd eMy

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें वर्तमान स्थिति में 8 संचालक, शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

fuxe d izeq[k mn~ns';

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। विवरण तालिका क्रमांक 1.45 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-45

izf'kklfud lajpuk

{ks=h; bdkbZ;k¡	la[;k	bdkbZ;k¡
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	03	भोपाल, जबलपुर, सिवनी
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, सीहोर, विदिशा–रायसेन (भोपाल), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, लामटा (बालाघाट), रामपुर–भतौड़ी (बैतूल), कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), रीवा–सीधी (सीधी), उमरिया,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक वन विभाग के मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) के समकक्ष कार्य करते हैं जिनके अधीन संभागीय प्रबंधक पदस्थ किये जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल के अधीन 3 संभागीय प्रबंधक, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, सिवनी के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक कार्यरत हैं। संभागीय प्रबंधक वन विभाग के वनमंडलाधिकारी के समकक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) के समकक्ष तथा संभागीय प्रबंधक को वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्रदाय किये गये हैं।

दिनांक 01.11.2021 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमले 1300 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 572 है।

1-5-2 xfrfof/k;k ,o miyfC/k;k

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है।

lkxkSu o{kkjksi.k

vkedkj iksr o{kkjksi.k

1-5-3 fuxe dk ys[kk

वर्ष 2018–19 के निगम के प्रतिवेदन एवं लेखे दिनांक 24.02.2021 को विधान सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2019–20 के लेखे आगामी संचालक मंडल से अनुमोदित कराकर एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर, विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2018–19 तक संचित लाभ रू. 487.93 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2018–19 के लिए राज्य शासन को राशि रू. 14.22 करोड़ तथा भारत सरकार राशि रू.0.52 करोड़ लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार स्थापना वर्ष से 2018–19 तक राज्य शासन को राशि रू.110.57 करोड़ एवं केन्द्र शासन को राशि रू. 4.29 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। निगम द्वारा म.प्र. शासन, वन विभाग को प्रारंभ से वर्ष 2018–19 तक का लीज रेंट कुल राशि रू. 952.25 करोड़ भुगतान/समायोजन किया गया है।

1-5-4 ctV dh fLFkfr

निगम के संचालक मंडल की बैठक में वर्ष 2021–22 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है: जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.46 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-46

ou fodkl fuxe dk ctV ¼2021&22½

Ø-	fooj.k	ctV vuqeku ¼yk[k :0 esa½
¼v½	ikjfHkd cpr 'ks"k	10455.60
¼c½	izkfIr;k@vk;	
	1. विदोहन से (कर के अतिरिक्त) 2. डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां 3. म.प्र. शासन से कमीशन 4. विविध आय 5. कैम्पा RDF (NPV) से प्राप्तियां 6. निगम के रोपण हस्तांतरण की क्षतिपूर्ति 7. एन.टी.पी.सी. से रोपण हेतु प्राप्ति 8. हैवल्स/सॉमी लैब से रोपण हेतु प्राप्तियां	21100.00 3415.00 267.00 1444.00 4477.00 10.00 288.00 309.00
	;ksx ¼c½	**31310.00**
¼l½	O;;@Hkqxrku	
	1. विदोहन व्यय 2. रख–रखाव 3. स्थापना व्यय 4. वृक्षारोपण/पुनरूत्पादन व्यय 5. डिपॉजिट रोपण व्यय 6. पूंजीगत व्यय 7. कैम्पा RDF (NPV) रोपण व्यय 8. अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय 9. ईकोपर्यटन/टाईगर सफारी 10. आयकर भुगतान 11. म.प्र. शासन/भारत सरकार को लाभांश का भुगतान 12. म.प्र. शासन को लीज रेंट का भुगतान 13. अतिरिक्त बजट स्वीकृति	3949.00 1002.00 6687.00 7387.09 2811.00 700.00 4477.00 60.00 10.00 300.00 662.00 10200.00 100.00
	;ksx ¼1 ls 12½	**38345.09**
¼n½	vfre cpr 'ks"k	**3420.51**
	;ksx ¼l $ n½	**41765.60**

o{kkjksi.k dh miyfC/k;k

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित किये गये वनक्षेत्रों में वर्ष 1975 से 2020 तक सागौन/बांस/अन्य वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.47 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-47

ou foHkkx ls fuxe dks gLrkarfjr ou {ks= ¼fuxe ds iHkkj esa½	mipkj fd;k x;k {ks=	mipkj gsrq 'ks"k {ks=	xfrfof/k;ksa dk lf{kIr fooj.k
4.23 लाख हे.	3.79 लाख हे.	0.44 लाख	सागौन रोपण, बांस रोपण, आर. डी.एफ रोपण CAMPA, NPV डिपाजिट रोपण

डिपॉजिट मद के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों तक विभिन्न संस्थानों में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि एवं वित पोष से 36.55 लाख पौधों का रोपण किया गया है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.48 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-48

foxr 4 o"kksZa ds fMikftV o{kkjksi.k dk ifj;kstuk e.Myokj fooj.k fuEukuqlkj gS					
eaMy dk uke	lLFkk dk uke	पौधे–संख्या में			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**
छिन्दवाड़ा	Western Coal Fields Limted(WCL)	200000	135000	137000	414050
	National Highway Authority of India(NHAI)	13520			3900
	Indian Railways		44440		
उमरिया	South Eastern Coal Field Ltd.(SECL)	213000	1,47,000	322500	231000
	Indian Railways			32500	

foxr 4 o"kk d fMikftV o{kkjki.k dk ifj;ktuk e.Myokj fooj.k fuEukuqlkj g					
eMy dk uke	lLFkk dk uke	पौधे–संख्या में			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**
सीधी	Northern Coal Fields Limted(NCL)	248500	4,30,450	323385	438318
	National Thermal Power Corporation (NTPC)	25000	20000	10000	10000
लामटा	MOIL Manganese Ore India Ltd.)	-	3520		
	(TAMRA Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation) Malajkhand				
	Indian Railways		34753		
रामपुर भतौड़ी	Audyogik Kendra Vikas Nigam(AKVN)	19310			
	National Highway Authority of India(NHAI)	10880			1950
	Coca Cola India Ltd.		2700		
विदिशा–रायसेन	Audyogik Kendra Vikas Nigam(AKVN)	-	20000		
	National Highway Authority of India(NHAI)		74400		23880
खंडवा	Singhaji Taap grih(Thermal Power)	-	28600		
	National Thermal Power Corporation(NTPC)				
बरघाट	National Thermal Power Corporation(NTPC)	10500	6664		
	National Highway Authority of India(NHAI)	12400			4770
सीहोर	Audyogik Kendra Vikas Nigam (AKVN)	-	2000		
	;kx	**753110**	**9,49,527**	**6,88,385**	**1127868**
	egk;kx	**3655890**			

निगम के अधिपत्य के वनभूमि में डिपॉजिट मद के अन्तर्गत हैवल्स इंडिया, सामी लैब, एन.टी.पी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोष से वर्ष 2017 से 2021 तक वनभूमि में सागौन, बांस एवं बीजा प्रजाति वृक्षारोपण किया गया है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.49 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-49

• निगम के अधिपत्य के वनभूमि में डिपॉजिट मद के अन्तर्गत हैवल्स इंडिया, सामी लैब, एन.टी.पी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोष से वर्ष 2017 से 2021 तक 1666 हे. वनभूमि में सागौन, बांस एवं बीजा प्रजाति वृक्षारोपण किया गया है।

Ø-	ifj;kstuk e.My	lLFkk dk uke	;kstuk dk uke	2017	2018	2019	2020	2021	;kx
1	खण्डवा	NTPC	कार्बन सिंक	52.00	85.00	85.00	-	85.00	307.00
2	सीहोर	NTPC	कार्बन सिंक	97.00	70.00	81.00	-		248.00
		हैवल्स इंडिया	निगमित सामाजिक दायित्व	-	66.00	-	-		66.00
3	विदिशा–रायसेन	हैवल्स इंडिया	निगमित सामाजिक दायित्व	-	-	222.00	185.00	216.00	623.00
4	बरघाट	NTPC	कार्बन सिंक	34.00	-	-	-		86.00
5	लामटा	सामी लैब	निगमित सामाजिक दायित्व	-	12.00	12.00	15.00		39.00
6	रीवा–सीधी	NTPC	कार्बन सिंक	115.00	108.00	80.00	23.00	23.00	349.00
	;kx			**298.00**	**341.00**	**480.00**	**223.00**	**324.00**	**1666.00**

एन.पी.वी. मद के अन्तर्गत शासन से प्राप्त वित्तपोष से 7 वर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ संस्था के रूप में विदिशा–रायसेन, सीहोर एवं खण्डवा परियोजना मण्डल में वनमण्डल से प्राप्त वनक्षेत्र में बिगडे वनो के सुधार कार्य के तहत वृक्षारोपण किया गया है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.50 एवं 1.51 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-50

o"kZ 2021 esa dEik ¼,u-ih0gh-½ en ls RDF {ks=ksa esa o{kkjksi.k

Ø-	iztkfr	{ks=Qy ¼g-esa½	ikS/kk lai[;k ¼yk[k esa½
1	सागौन / मिश्रित	1037.000	1401300

o"kZ 2021 esa jkif.k;ksa esa lkxkSu :V'kZV mRiknu

rkfydk Øekad 1-51

¼:V'kZV yk[k esa½

o"kZ 2021 jkSi.k gsrq r¡;kj lkxkSu :V'kZV dh tkudkjh&							
r¡;kj fd;s x;s cM	ikIr :V'kZV ¼yk[k esa½	xr o"kZ ds vfr'k"k :V'kZV	;ksx :V'kZV ¼yk[k esa½	Lo;a ds mi;ksx fd;s x;s :V'kZV ¼yk[k esa½	ou foHkkx dk iznk;	;ksx :V'kZV ¼yk[k esa½	vfr'k"k :V'kZV
		¼yk[k esa½	¼2+3½			¼5+6½	
1	2	3	4	5	6	7	8
46150	230.55	30.52	261.07	129.04	71.00	200.04	61.03

बरघाट परि. मण्डल सिवनी

परिक्षेत्र – सिवनी , कक्ष 687 टीपी 2003 (आयु– 17 वर्ष)

- o"kZ 2022 esa o{kkjksi.k y{;

rkfydk Øekad&1-52

dqy Lohd`r {ks= ¼gs-½	iqu:Riknu {ks= ¼gs-½	fonksgu {ks= ¼gs-½	vuqekfur mRiknu ¼?ku-eh-½
8104.900	8104.900	4289.598	46887.874

fuxfer lkekftd nkf;Ro **(CSR)**%

निगम द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के कर पूर्व लाभ के औसत की 2 प्रतिशत राशि से निगमित सामाजिक दायित्व के विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन।

o"kZ	0;; jkf'k ¼yk[k e½	dk;Z fooj.k
2018&19	145-28	स्वास्थ शिविर कौशल विकास सामुदायिक भवन निर्माण, ट्यूवेल/हैंडपंप/कुंआ खनन, खेलकूद सामग्री, सिलाई मशीन वितरण आदि
2019&20	**155.46**	परियोजना मण्डलों में निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कौशल उन्नयन, सिलाई मशीन वितरण एवं प्रशिक्षण, वनक्षेत्रों से लगे शासकीय विद्यालयों में डेस्क, वाटर फिल्टर, खेलकूद सामग्री, लेखन सामग्री वितरण एवं पेयजल व्यवस्था, वनक्षेत्रों से लगे हुये ग्रामों में उज्जवला योजना में पंजीकृत ग्रामीणों को गैस सिलेन्डर रीफिलिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। उक्त कार्यों में लगभग 21,847 व्यक्ति लाभान्वित हुये है।
2020&21	**180.25**	परियोजना मण्डलों में निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कौशल उन्नयन, सिलाई मशीन वितरण एवं प्रशिक्षण, वनक्षेत्रों से लगे शासकीय विद्यालयों में डेस्क, वाटर फिल्टर, खेलकूद सामग्री, लेखन सामग्री वितरण एवं पेयजल व्यवस्था, वनक्षेत्रों से लगे हुये ग्रामों में उज्जवला योजना में पंजीकृत ग्रामीणों को गैस सिलेन्डर रीफिलिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। उक्त कार्यों में लगभग 19070 व्यक्ति लाभान्वित होना अनुमानित है।

Jfed dY;k.kdkjh ;kstuk,a

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कंपनी अधिनियम 2013) के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत मछली पालन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर आदि कार्यों पर व्यय की जा रही ।

l;Dr ou ic/ku d vrxr lfefr;k dk ykHkk'k forj.k

म.प्र. शासन के निर्देशानुसार म.प्र. राज्य वन विकास निगम को हस्तांतरित वनक्षेत्रों के प्रबंधन से प्राप्त शुद्ध लाभ में से निगम की 11 परियोजना मंडलों की 775 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वर्ष 2006–07 से 2016–17 तक राशि रू. 7081.91 लाख लाभांश राशि भुगतान की गई है। मंडलवार वर्ष 2006–07 से 2016–17 तक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वितरित करने की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 1.53 दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-53

eMy dk uke	lfefr;k dh l[;k	Hkqxrku dh xbZ ykHkk'k jkf'k :- ¼jkf'k yk[k esa½
छिंदवाड़ा परियोजना मंडल, छिंदवाड़ा	66	1248.05
बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी	134	1193.13
लामटा परियोजना मंडल, बालाघाट	83	478.66
मोहगांव परियोजना मंडल, मंडला	131	445.04
रामपुर–भतौड़ी परियोजना मंडल, बैतूल	34	342.49
कुंडम परियोजना मंडल, जबलपुर	63	268.56
उमरिया परियोजना मंडल, उमरिया	34	657.43
रीवा–सीधी परियोजना मंडल, सीधी	54	05.62
विदिशा–रायसेन परियोजना मंडल, भोपाल	82	160.78
खंडवा परियोजना मंडल, खंडवा	71	995.88
सीहोर परियोजना मंडल, सीहोर	23	1286.27
;kx&	775	7081-91

वर्ष 2017–18 के लाभांश वितरण हेतु गणना पत्रक के अनुसार मांगी गई राशि रू 1537.70 लाख के विरूद्ध आंशिक राशि रू. 960.00 लाख प्राप्त हुई है। लाभांश की शेष राशि प्राप्त होने पर लाभांश वितरण की कार्यवाही की जावेगी जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.54 दर्शित है–

ouksi t dk fonkgu

rkfydk Øekd & 1-54
dk"B ckl mRiknu ¼foØ;½ ,o ikIr jktLo

fooj.k	o"kZ				
	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	2019&20
ईमारती लकड़ी (घन मीटर)	103650.972	105192.936	98352.633	89340.482	84186.00
जलाऊ चठ्ठे (नग)	98681	95937	103421	88518	64358
बाँस (नो. टन)	3428.803	3139.335	2249.676	2360.018	2977.00
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपये)	238.94	225.80	246.32	241.12	223.32

❖ वर्ष 2019–20 के आकड़े सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व के है।

1. बल्लियों के लिए 100 बल्ली = 1 घन मीटर माना गया है।
2. व्यापारिक बाँस के लिए 500 बाँस = 1 नो0 टन माना गया है।
3. भौतिक आकड़े विक्रय के है।

1-6 e/;in'k jkT; y?k ouksi t ¼0;kikj ,o fodkl½ lgdkjh l?k

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1072 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता के विपणन को छोडकर शेष अन्य वनोपज जैसे हर्रा, बहेडा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण विपणन करने की ग्रामीणों को स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, तेन्दूपत्ता का संग्रहण एवं व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से करता है तथा शेष अन्य वनोपज के संग्रहण, विपणन में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

1-6-1 rmiRrk 0;kikj:–

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं र्निवर्तन की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 1.55 में दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-55

lxg.k o"k	lxg.k nj ¼#- ifr ek- ck-½	dqy lxfgr ek=k ¼yk[k ekud ckjk e½	lxg.k etnjh dh jkf'k ¼djksM #i;s e½	fofdz; ek=k ¼yk[k ekud ckjk e½	foØ; eY; ¼djksM #i;s e½
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2019	2500	21.04	525.00	20.38	841.68
2020	2500	15.88	397.00	14.72	589.49
2021	2500	16.60	415.00	16.32	842.30

'kq) vk; dk forj.k%&

संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्तमान में शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के सवर्धन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि ikFkfed y?kq ouksi t सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु दी जा रही है।

ikRlkgu ikfjJfed%&

इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.56 दर्शित है–

rkfydk Øekad 1-56

lxg.k o"k	ikRlkgu ikfjJfed jkf'k ¼:i;s djksM e½	
	dqy vkdfyr	dqy forfjr jkf’k
2017	595.93	538.77
2018	282.47	231.10
2019	124.86	112.84
;ksx	1003.26	882.71

eY Hkr lfof/kkvk dk fodkl%& v/klajpuk fodkl dk;l

(रूपये लाख में½

dekd	foRrh; o"k	dk;k dh l[;k	Lohdr jkf'k
1	2019.20	366	1727.71
2-	2020.21	274	1408.77
3-	2021.22	232	1244.26

ou lo/ku%& vr LFkyh; ,o ckg; LFkyh; ik/kkjki.k

(रूपये लाख में

dekd	foRrh; o"k	jki.k {k= ¼gDV-e½	Lohdr jkf'k
1-	2019-20	2054	1102
2-	2020-21	1904	1340
3-	2021-22	1889	1443

1-6-2 y?k ouksit lxg.k ,o foi.ku ls xkeh.kk dk mfpr ykHk fnykuk%&

U;ure leFkZu eY; ij y?k ouksitk dk d; %& लघु वनोपज से ग्रामीणों को रोजगार के साधन विकसित करने एवं लघु वनोपज का उन्हे उचित लाभ दिलाने हेतु म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें निम्न गतिविधियां प्रयुक्त हैं–

''न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वन उत्पाद का मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन (Mechanism for marketing of Minor Forest Produce (MFP) and development of value chain for MFP) योजना संचालित की जा रही है, जो कि 75 प्रतिशत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पोषित है एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन का अंश है। राज्य शासन के अंश का वहन राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश में प्रमुखता से पाई जाने वाली 32 लघु वनोपज प्रजातियों का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है।

viuh ndku] xksnke fuekZ.k%& भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं ट्राईफेड नई दिल्ली के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत लघु वनोपजों के क्रय एवं भण्डारण हेतु अपनी दुकान एवं गोदाम समूह का निर्माण कराया गया है। प्रथम चरण में 179 अपनी दुकान /हाट बाजार एवं 27 गोदाम समूह का निर्माण कुल लागत राशि रूपये 13.00 करोड से कराया गया है।

द्वितीय चरण हेतु वर्ष 2021–22 में 56 अपनी दुकान एवं 133 गोदाम समूह निर्माण कुल लागत राशि रूपये 22.75 करोड की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

i/kkueU=h ou /ku ;kstuk :– लघु वनोपजों के संग्राहकों के द्वारा संग्रहित वनोपजों का प्रथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन द्वारा उचित मूल्य दिलाने की अभिनव योजना है। यह योजना 'kr प्रतिशत भारत शासन द्वारा वित्त पोषित है ।

मध्यप्रदेश राज्य के वन क्षेत्रों में बहुतायात में विभिन्न प्रकार की लघु वनोपज प्रजातियॉ पाई जाती है। दूरस्थ वन अंचलो में निवासरत जन जातीय समुदाय एवं अन्य वनवासियों द्वारा इन लघु वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय किया जाता है। इन लघु वनोपजों के संग्रहण उपरान्त प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन की सही व्यवस्था से ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

उक्त उदेश्यों की पूर्ति की दिशा में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार अन्तर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) द्वारा प्रधान मंत्री वन धन योजना मध्यप्रदेश में संचालित है। यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रेदश राज्य लघु वनोपज संघ को राज्य क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। योजना के प्रथम चरण में 14 जिलों में 107 वन धन विकास केन्द्र कलस्टर स्थापित किये गये है। ट्राईफेड द्वारा प्रत्येक वन धन केन्द्र कलस्तर हेतु 15 लाख प्रशिक्षण, उपकरण तथा मेंटरिंग हेतु स्वीकृत किये गये है। प्रत्येक वन धन केन्द्र कलस्टर में 15 स्व सहायता समूह होगें। प्रत्येक स्व सहायता समूह में 20 सदस्य होगें। इस प्रकार वन धन केन्द्र कलस्टर में कुल 300 सदस्य सम्मिलित रहेंगे। इन केन्द्रों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लघु वनोपज/कृषि उपज/उद्यानिकी उपज का प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य सवंर्धन, पैकेजिंग, विपणन आदि कार्य स्वयं हितग्राहियों द्वारा किये जाएगे। हितग्राहियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न मेंटरिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदाय किया जाएगा।

1-6-3 dY;k.kdkjh ;kstuk;sa& लघु वनोपज संग्राहकों की सहायता हेतु म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है।

,dy0; f'k{kk fodkl ;kstuk&

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है।

(i) प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है।

(ii) इस योजना में पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

(iii) योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये अधिकतम
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये अधिकतम
- गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रुपये अधिकतम
- व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये अधिकतम

लाभांवित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.57 में दर्शित है:–

rkfydk Øekad 1-57

(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

foRrh; o"kZ	'k{kf.kd l=	ykHkkfor Nk=@Nk=k;k	Lohd`r jkf'k ¼yk[k :i, e½
2011-12	2010-11	1061	46.82
2012-13	2011-12	643	35.28
2013-14	2012-13	637	50.21
2014-15	2013-14	527	46.78
2015-16	2014-15	582	61.70
2016-17	2015-16	680	82.24
2017-18	2016-17	1135	130.56
2018-19	2017-18	1489	188.47
2019-20	2018-19	2189	232.08
2020-21	2019-20	1049	125.69
2021-22	2019-20	878	91.00
;kx		**10870**	**1090.83**

rsUnwiRrk lgkgd chek ;kstuk%&

म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 26–1/2016/10–3 दिनांक 26 मार्च 2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 18 से 60 वर्ष के तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना के अंतर्गत लाभांवित संग्राहक/दावेदारों की योजना अंतर्गत प्रतिपूर्ति की वित्तीय वर्ष 2021–22 की माह अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में जानकारी जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.58 में दर्शित है:

rkfydk Øekad 1-58

ekg fnlEcj 2021 rd dh tkudkjh				
Ø	?kVuk	lgk;rk jkf'k	Lohd`r izdj.k	Lohd`r jkf'k ¼yk[k :-e½
1	सामान्य मृत्यु	10000	285	28.50

ekg fnlEcj 2021 rd dh tkudkjh				
Ø	?kVuk	lgk;rk jkf'k	Lohd`r izdj.k	Lohd`r jkf'k ¼yk[k :-e½
2	आंशिक अपंगता	20000	01	0.20
3	पूर्ण अपंगता	50000	01	0.50
4	दुर्घटना मृत्यु	200000	110	220.00
dqy ;ksx %&			397	249-20

1-6-4 y?kq oukSi t izlLdj.k ,oa vuqla/kku dsUnz ¼,e-,Q-ih&ikd½ cj[kMk iBkuh dsUnz dh xfrfof/k;k¡ %&

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2004–2005 में की गई इसकी स्थापना का सैद्धान्तिक आधार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की घोषणा के अनुरुप है, जिसमें वनौषधियों के मूल्य संवर्धन के उपरांत प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पूर्व में प्रदेश से वनौषधियों का विपणन बिना मूल्य संवर्धन के ही प्रचलन में था। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी–पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा **foU/; gcYl ckM** के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन कार्य विगत 16 वर्षो से अधिक समय से किया जा रहा है।

dkj[kkuk vf/kfu;e vrxZr iath;u

एम.एफ.पी–पार्क का पंजीयन कारखाना अधिनियम 1948 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत श्रम एवं उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा किया गया है, पंजीयन क्रमांक–Licence No :76/14675/BPL/2MI है। यह संस्था जिला उद्योग केन्द्र, भोपाल से लघु औद्योगिक इकाई के तौर पर भी पंजीकृत है।

ckM ¼0;kikj fpUg½ dk iath;u

विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के व्यापार चिन्ह "**VINDHYA HERBALS**" Slogan- "*Health from naturals wild wealth*" "दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक औषधि'',का व्यापार चिन्ह/ट्रेड मार्क नं. 3572000 दिनांक 15/6/2017 भारत सरकार के व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त किया गया है।

vk"kf/k;k dk fuek.k ,o yk;lsl

आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु ड्रग एवं कास्मेटिक्स अधिनियम 1940 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी (आयुष), मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से लाइसेंस क्रमांक 25–डी/9/05 दिनांक 28.03.2005 प्राप्त किया गया है। कुल 840 प्रकार के औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त हैं। वर्तमान में केन्द्र द्वारा मांगानुसार 350 प्रकार की विभिन्न क्लासिकल शास्त्रोक्त–265 प्रोपराइटरी–75 एवं 09 प्रकार की पशु औषधियों, आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केन्द्र में वनीय क्षेत्रों से संग्रहित की जाने वाली शहद के प्रसंस्करण की सुविधाएं भी उपलब्ध है।

FSSAI ykbl~l

खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं पैकेजिंग हेतु Food Safety and Standards Authority of India, License under FSS Act, 2006 लाइसेंस क्र.11417010000093 खाद्य एवं औषधिय प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल से एम.एफ.पी–पार्क में चार उत्पादों (वनीय शहद, च्यवनप्रास, अर्जुन चाय एवं ग्रोविट) के निर्माण हेतु प्राप्त किया गया है।

vk;q"k&64 ykbl~l

केन्द्र द्वारा कोविड–19 के इलाज में उपयोगी औषधि ''आयुष–64'' (टेबलेट्स) के निर्माण हेतु नेशनल रिसर्च डेव्हलपमेंट कारपोरेषन, (NRDC) नई दिल्ली एवं केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, (CCRAS) आयुष मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली से लाइसेंस प्राप्त किया गया है। ''आयुष–64'' (टेबलेट्स) के सेम्पल्स देश के 27 राज्यों को भेजे गये एवं संजीवनी आउटलेट, भोपाल में विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया।

GMP, ISO& EMS izek.khdj.k

गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते एम.एफ.पी–पार्क को आयुष विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से जी.एम.पी. प्रमाण पत्र क्रमांक/Drug/21/302&03, दिनांक 12/02/2021प्राप्त है। गुणवत्ता प्रबंधन हेतु Intertek India Pvt.Ltd., Mumbai से एम.एफ.पी–पार्क को आई.एस.ओ. 9001–2015 क्रमांक–0095298 एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु ई.एम.एस. 14001–2015 क्रमांक 0095163 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है।

vk;krd ,o fu;kZrd iath;u

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के भोपाल स्थित कार्यालय से आयातक एवं निर्यातक कोड पंजीयन संख्या–1108005896 प्राप्त किया गया है।

i;kx'kkyk dk NABL iek.khdj.k

एम.एफ.पी–पार्क की प्रयोगशाला का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, गुरूग्राम, हरियाणा द्वारा National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) (TC-6989) प्रमाणीकरण किया गया है।

GST iathu

एम.एफ.पी–पार्क द्वारा **Goods and Services Tax (GST)** का पंजीयन (क्र. **23AAAAM0307R2ZO**) वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल से कराया गया है, नियमानुसार **GST TAX** का भुगतान किया जा रहा है।

fofHkUu jkT;ksa dk vk"k/kh; vkiwfr

एम.एफ.पी–पार्क द्वारा बढ़ती हुई बाजार –स्पर्धा के बाद भी निरंतर आय में उत्तरोत्तर वृद्धि अर्जित की जाती रही है। विगत वर्षों में मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर एवं अंडमान एवं निकोबार इत्यादि (18–20) राज्यों को शासकीय आपूर्ति की गई है।

एम.एफ.पी–पार्क द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादों की आपूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों एवं अनुसंधान संस्थानों को की जाती है तथा प्रदेश में स्थापित संजीवनी केन्द्रों एवं वितरकों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है।

[kqnjk foi.ku

प्रदेश में स्थापित 26 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों एवं विभिन्न जिलों के खुदरा वितरकों, दिल्ली हाट जनकपुरी के माध्यम से खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है। केन्द्र को प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख रुपए का राजस्व खुदरा विपणन से प्राप्त होता है।

'kkldh; vkiwfr

आयुष विभाग, मध्यप्रदेश से प्राप्त आपूर्ति आदेशों (अप्रैल 2021 से नवम्बर 2021 की अवधि में) की सकल राशि **11,86,64,760/-** के विरुद्ध राशि रुपए **8,69,73,620/-** मूल्य की औषधियों की आपूर्ति की जा चुकी है।

o"kZ 2021&22 dk fy, eq[; #i ls iLrkfor dk;Z

1. विभिन्न शासकीय विभागों से आयुर्वेदिक उत्पाद प्रदाय आदेश प्राप्त किये जाकर समयावधि में पूर्ति किया जाना।
2. विभिन्न Online Marketing Platforms पर विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के विक्रय को प्रारंभ किया जाना।
3. विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों का खुदरा विपणन (Retail Marketing) बढ़ाने हेतु जिलेवार वितरक/फ्रैंचायजी आवंटन की कार्यवाही।

1-6-5 lathouh dUnz dh LFkkiuk %&

संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 28 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। जिसमें इंदौर, ग्वालियर, आउटसोर्स पर चल रहे है। शेष 26 संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र को आउटसोर्स करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1-6-6 izpkj&izlkj%&

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा प्रति वर्ष वन मेला का आयोजन किया है । वन मेले के आयोजन से स्थानीय वनवासियों/आदिवासियों को एक राष्ट्रीय स्तर का मंच प्राप्त होता है जिसमे स्थानीय वनवासियों/आदिवासियों की उपयुक्त lgHkkfxrk jhती है । इस अनुक्रम मे इस वर्ष भोपाल मे तथा प्रदेश के कुछ अंचलों वन मेले का आयोजन किया जाता है।

vrjk"Vªh; gcZy eyk%& अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन दिनांक 22 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 तक लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित किया गया है।

वन मेल में लगभग सवा लाख लोगों ने भ्रमण किया। वन मेले के दौरान क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में 14 करोड रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। वनोपज उत्पादों की कुल बिक्री लगभग एक करोड पचपन लाख (रू.1.55 करोड) रूपये रही ।

इसी प्रकार चिकित्सा परामर्श के लिए ओपीडी में 120 आयुर्वेदिक डाक्टर/वैद्यों द्वारा 6205 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया गया। लघु वनोपज से स्वस्थ्य सुरक्षा पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पांच देशों के साथ–साथ अन्य राज्यों के विशेषज्ञों ने भी लघु वनोपजों के प्रबधन एवं संरक्षण पर विचार रखे।

1-7 jkT; ou vuqla/kku laLFkku] tcyiqj

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, 27 जून, 1963 को म.प्र. राज्य शासन, वन विभाग द्वारा जबलपुर में स्थापना की गई। यह संस्थान भारत का प्रथम राज्य स्तरीय वानिकी शोध संस्थान है। 29 अक्टूबर, 1994 में इस संस्थान को स्वायत्ता प्रदान की गई एवं 02 अगस्त, 1995 को संस्था के रूप में पंजीबद्ध किया गया। संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव, वन्यप्राणी तथा कृषि वानिकी आदि विषयों में शोध एवं क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण योग्य तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य तथा अनुसंधान सलाहकार समिति में 20 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

egRoi.k ;kstuk,¡ ,o xfrfof/k;k¡

वर्ष 2021–22 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- धावड़ा एवं गूग्गल प्रजाति के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने हेतु उनके प्रवर्धन हेतु तकनीकों का मानकीकरण।
- चलित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से म.प्र. के अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों में मृदा परीक्षण कर मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करना।
- जबलपुर के मदन महल के पहाडियों एवं आसपास के अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को पुर्नजीवित करने हेतु वृक्षारोपण किया गया।
- म.प्र. के समस्त सामाजिक वानिकी वृत्तों के माध्यम से महत्वपूर्ण अकाष्ठीय वन्य प्रजाति तथा औषधीय पौधों के नर्सरी तकनीक का विस्तार।
- उच्च गुणवत्ता वाले पौध तैयार करने हेतु बीज तथा नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण।
- नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य में पुनः छोड़े गए बाघों तथा उनके शावकों के रहवास एवं उनके जंतु व्यवहार (Animal Behaviour) की आधुनिक उपकरणों से निगरानी।
- क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एवं औषधीय पौधों की खेती का प्रचार–प्रसार।
- अमरकंटक से मण्डला तक नर्मदा नदी के किनारे Phytosociological अध्ययन द्वारा जल की गुणवत्ता के प्रभाव का मूल्यांकन।
- म.प्र. के सतना वनमण्डल में वन आश्रित जन समुदायों एवं उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदार के साथ कुछ महत्वपूर्ण जंगली औषधीय पौधों और अकाष्ठीय लघुवनोपज के Phenological तथा सतत् विदोहन का अध्ययन।
- राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, मुरैना (म.प्र.) में MPUDC के अंतर्गत प्रस्तावित जलप्रदाय परियोजना के अंतर्गत जल निकासी से डॉल्फिन, मगरमच्छ और उनके रहवास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में कृषकों को लाख की खेती को प्रोत्साहित करने तथा उनके आय में वृद्धि बाबत लाख के कीटों का संरक्षण एवं संचारण करने हेतु नेटवर्क परियोजना का संचालन।
- मध्यप्रदेश में महुआ फूल एवं अचार गुठली के उत्पादन एवं संग्रहण मात्रा का आंकलन।
- बीजा के उम्मीदवार धन वृक्षों की मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले संभावित स्थानों की पहचान एवं उनकी क्लोनल प्रोपेगेशन तकनीकों का मानकीकरण।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनों में स्थित नमूना भूखण्डों (sample plots) में सागौन, साल एवं अन्य प्रजातियों की वृद्धि का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रातापानी खिवनी परिदृश्य में बाघ की उपस्थिति एवं विचरण का अध्ययन।

- विभिन्न वानिकी प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एवं वितरण।
- जबलपुर स्मार्ट सिटी तथा कटनी में सड़क किनारे वृक्षारोपण से कार्बन संचय द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में योगदान पर अध्ययन।
- महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों के उत्पादन एवं आयतन तालिकाओं का निर्माण।
- पश्चिमी म.प्र. के मालवा का पठार कृषि जलवायु का क्षेत्र के अंतर्गत कृषक सम्वृद्धि योजना द्वारा कृषि वानिकी के तहत निजी भूमि के रोपण एवं वर्तमान कृषि वानिकी मॉडल का अध्ययन।
- मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर वनों की आग का प्रभाव।
- गृह औषधीय वाटिका स्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी सलाह व मार्गदर्शन एवं निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण।
- अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों का श्रेणीकरण, मान्यता एवं लघु शोध कार्यों की अद्यतन स्थिति का आंकलन।
- संस्थान के बैम्बूसिट्म में (बांस का पौधशाला) देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियों के बांस का रोपण तथा उनका रखरखाव।

vuqJo.k ,o eY;kdu %

संस्थान द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :–

- म.प्र. राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न वन विकास अभिकरणों में वित्तीय वर्ष 2015–2016 (द्वितीय मूल्यांकन) एवं 2016–17 (प्रथम मूल्यांकन) के वर्षा ऋतु में हुए वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट इम्पेक्ट असिसमेंट (पी.आई.ए.)।
- देवास जिले में लोकवानिकी प्रबन्ध योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- मध्यप्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न वन विकास अभिकरणों में वित्तीय वर्ष के वर्षा ऋतु में हुये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं परियोजना प्रभाव का आंकलन।
- मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी तथा उनके रहवास की सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन तथा एकत्रित की गई आंकड़ों को वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु विभाग को प्रदाय करना।

if'k{k.k dk;Øe %

- रोपणी में रूट ट्रेनर में पौध तैयारी, पौधों में होने वाली बीमारियों का निदान एवं रोपणी प्रबंधन पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन।
- चिरौंजी के सतत् प्रबंधन एवं उच्च गुणवत्ता के फलों के संग्रहण हेतु वन आधारित जीविका के जन समुदायों के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी प्रदाय करना।
- लाख उत्पादन हेतु मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में वन विभाग के अमले तथा कृषकों को प्रशिक्षा।

- औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती प्रसंस्करण और विपणन में प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम।
- बीज उद्यानों और बीज उत्पादन क्षेत्रों के रखरखाव में वन विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षकों का वानिकी अनुसंधान के विभिन्न आयामों से परिचय हेतु शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के दौरान राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में प्रचलित अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार।
- मध्यप्रदेश के अनुसंधान और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण NTFP और औषधीय पौधों की प्रजातियों की विकसित नर्सरी तकनीकों के विस्तार हेतु मार्गदर्शन।

i;dk'ku rFkk vU; xfrfof/k;k¡ %

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया गया। संस्थान के नवीन प्रकाशन निम्नानुसार हैं:–

- विभिन्न महत्वपूर्ण औषधियों पौधों के खेती से संबंधित प्रचार–प्रसार सामग्री (ब्रोशर) सतावर, निशोथ, शंखपुष्पी, तुलसी, स्त्तीविया, कालमेघ, अग्निमंथ, सहजन, रक्त चंदन, मलकांगनी, केवाच, मण्डूकपर्णी, गोखरू, बावची, सदाबहार, चंद्रसूर, अनंतमूल, बेल, खस, गुड़मार, अशोक, ब्राह्मी, ईसबगोल, सर्पगंधा, बच।
- उच्च गुणवत्ता के अचार फलों के संग्रहण हेतु अवधि निर्धारण एवं विनाश विहीन विदोहन।

lLFkku }kjk inRr lsok,¡ %

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके सतत् विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, क्षमता विकास, ऊतक संवर्धन (Tissue culture) बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी जानकारी प्रदाय करना।
- वृक्षारोपण एवं कृषि तकनीक।
- अकाष्ठीय वनोपजों के बाजार की जानकारी का प्रचार–प्रसार।
- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का निर्माण।
- वन संसाधन का आंकलन।
- विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के उत्पादन एवं आयतन तालिका का निर्माण।
- जैवविविधता एवं वनस्पति का मूल्यांकन।
- वन्यजीव तथा काष्ठ के नमूनों का फोरेन्सिक अध्ययन।
- वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान तकनीकों द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण हेतु तकनीकी जानकारी।
- विभिन्न कृषि वानिकी पद्धतियों का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण तथा विस्तार।

- बीज प्रमाणीकरण, उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- संस्थान में स्थापित मृदा प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय स्तर पर चलित मृदा प्रयोगशाला द्वारा मृदा परिक्षण की सुविधा।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा विकसित तकनीकों पर पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

lLFkku dh egRoi.kZ miyfC/k;k¡ %

1. अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 हेतु मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण।
2. बाघों के रेडियो कॉलरिंग एवं निगरानी हेतु प्रशिक्षण।
3. लघुवनोपजों के संग्रहण एवं उनके बाजार मूल्य की जानकारी का संकलन।
4. प्रशिक्षु वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा वनरक्षक एवं स्नातक वानिकी विद्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
5. वानिकी अनुसंधान तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
6. ''औषधीय पौधों की रोपणी तकनीक'' विषय पर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विशेष परिदृश्य में एक दिवसीय वेबिनार
7. ''औषध पादप क्षेत्र हितधारक/क्रेता–विक्रेता सम्मेलन'' विषय पर एक दिवसीय सेमीनार
8. होशंगाबाद वनवृत्त में वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि तथा षासन द्वारा क्षतिपूर्ति के प्रावधानों का अध्ययन
9. लाख कीट संरक्षण एवं वैज्ञानिक विधि से उन्नत लाख खेती के आर्थिक लाभ संबंधी अध्ययन।
10. लाख उत्पादन एवं स्थानीय वन्यप्राणियों की पहचान संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
11. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर राष्ट्रीय अभियान 'आयुष आपके द्वार' कार्यक्रम का आयोजन
12. पॉलीहाऊस, ग्रीनहाउस एवं मिस्ट चैम्बर में पौधा तैयारी के संबंध में राज्य वन अनुसंधान
13. दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की रोपणीं तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
14. पन्ना वनमंडलों के वन के प्राकृतिक एवं रोपण क्षेत्रों में लगने वाले कीट एवं बीमारियों के प्रकोप को वैज्ञानिक विधि से नियंत्रण की जानकारी का प्रदाय।
15. "बीज प्रक्षेत्र का चयन, बीज उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना, प्रबंधन, बीज तकनीक एवं नर्सरी प्रबंधन पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम" का आयोजन।
16. राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन–2022 हेतु वनमण्डल स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।

प्रशिक्षण मे डॉ. अर्चना शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा व्याख्यान

बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने हेतु स्थल चयन बाबत् बीज उत्पादन क्षेत्र का भ्रमण

1-8 e/;iz'k jkT; tSofofo/krk cksM dk xBu

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया।

e/; iz'k jkT; tSofofo/krk cksM dk xBu o mn~ns';

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का निम्नानुसार उद्देश्य/भूमिका है –

अ. जैवविविधता का संरक्षण,

ब. जैवविविधता के संघटकों का संवहनीय (पोषणीय) उपयोग तथा

स. जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारत्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन।

e/; iz'k jkT; tSofofo/krk cksM dk lnL;d e.My

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय सदस्यगण परिशिष्ट–20 अनुसार हैं।

बोर्ड का कोई संभागीय/जिला/तहसील/विकासखंड कार्यालय नहीं है।

lnL;d e.My dh cSBd

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 18वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2021 को सम्पन्न हुई।

foRr o"kZ 2021&22 esa e/; izns'k jkT; tSofofo/krk cksMZ }kjk mnns'; ifrl gsrq lapkfyr xfrfof/k;k@dk;Z &

1- tSofofo/krk dk lj{k.k

- tSofofo/krk lj{k.k ,oa lao/kZu ls lacf/kr ifj;kstuk;sa– मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण परियोजना शोध संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्ष 2021–22 में कुल 39 परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

- ykd tSofofo/krk iath dk v|rhdj.k&& मान. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 में लिये गये निर्णय के परिपालन में बोर्ड की 17वीं बोर्ड बैठक (दिनांक 02.06.2020) के निर्णय अनुसार प्रदेश में समस्त स्थानीय निकायों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) 23,179 एवं नगरीय एवं आवास विभाग द्वारा 378 पंजियों का अद्यतनीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा कुल 23,557 Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजियो का निर्माण किया गया है।

- tSofofo/krk çca/ku lfefr;ksa dh cSBd&& बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों (जनपद पंचायतों) एवं नगरीय निकाय (नगर पालिका) स्तर पर गठित 21 जनपद पंचायत, 04 नगर पालिका एवं 01 नगर निगम की जैवविविधता प्रबंधन समितियों की ऑनलाईन बैठक (जून से अक्टूबर 2021 की अवधि में) का आयोजन किया गया। उपरोक्त बैठकों में कुल 427 प्रतिभागियां द्वारा भाग लिया।

- fMftVy ,oa Mk;uSfed ykd tSofofo/krk iath iksVZy **Digital and Dynamic PBR Portal** लोक जैवविविधता पंजी के अद्यतनीकरण कार्य उपरान्त प्राप्त डाटाबेस को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। पोर्टल के सहयोग से प्रदेश के किसी भी जिले की किसी भी स्थानीय निकाय स्तर की जैवविविधता आधारित जानकारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की गयीः–

¼1½ izf'k{k.k – Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण हेतु दिनांक 15 एवं 16 जून 2021 को ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 जिलों के 69 जनपद पंचायत के 138 पी.आई. एवं को–पी.आई. द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

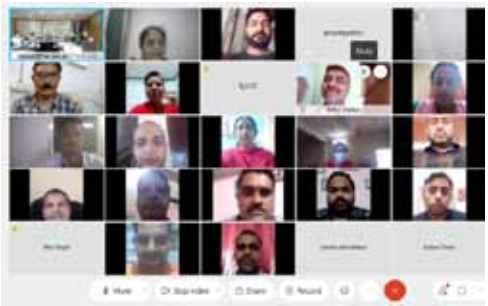

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु पी.आई. एवं को–पी.आई. का ऑनलाईन प्रषिक्षण
(दिनांक 15 एवं 16 जून 2021)

¼2½ ckM Lrj ij leh{kk & 14 जनपद पंचायत (इन्दौर, टिमरनी, सौसर एवं बिछुआ, कोलारस, अमरपाटन, उचेहरा, दमोह, बैरासिया, फंदा, हरदा, रामपुर नैकिन, मुरार, मऊ) के लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य की बोर्ड स्तर से ऑनलाईन समीक्षा बैठक (जुलाई से अगस्त 2021 की अवधि में) की गयी। ऑनलाईन समीक्षा बैठक में कुल 51 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

¼3½ oue.My Lrj ij leh{kk & 10 क्षेत्रीय वनमण्डल (मंदसौर, सिवनी, भिण्ड, देवास, अशोकनगर, जबलपुर, इन्दौर, सतना, उमरिया, सागर) के लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य की वनमण्डल स्तर समीक्षा बैठक (जुलाई से अक्टूबर 2021 की अवधि में) की गयी। ऑनलाईन समीक्षा बैठक में कुल 133 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

¼4½ tlofofo/krk çcU/ku lfefr;ksa dh cSBd – बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों (जनपद पंचायतों) एवं नगरीय निकाय (नगर पालिका) स्तर पर गठित 21 जनपद पंचायत, 04 नगर पालिका एवं 01 नगर निगम की जैवविविधता प्रबंधन समितियों की ऑनलाईन बैठक (जून से अक्टूबर 2021 की अवधि में) का आयोजन किया गया। उपरोक्त बैठकों में कुल 427 प्रतिभागियां द्वारा भाग लिया।

¼5½ tSolalk/ku 0;kikj izca/ku lwpuk iz.kkyh iksVZy **Bio-Resource Trade Management Information System (BRT-MIS)**

प्रदेश में जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले समस्त व्यापारियों एवं विर्निमाताओं को जैवविविधता अधिनियम,2002 की धारा–7 के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय वनमंडल/उप संचालक,टाईगर रिजर्व एवं क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, प्रभागीय प्रबंधक एवं वन विकास लिमिटेड बोर्ड का पदेन सहायक सदस्य सचिव घोषित कर अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

¼6½ जैवविविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing)ds अंतर्गत वनमंडलों पंजीकृत व्यापारी एवं उनके द्वारा किये गये व्यापार का डाटा संधारण एवं निगरानी करने हेतु जैवसंसाधन व्यापार प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया है।

- xhu bfM;k fe'ku & ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक निम्नलिखित घटकों के क्रियान्वयन हेतु परियोजना स्वीकृत कीगई है–

1. Quality of Forest cover and ecosystem services of forest/non forests is improved in – a. Moderately dense and b. Open Forest.
2. Training and Protocol development for biodiversity measurement for preparing biodiversity management plan.
3. Support for strengthening BMCs cum JFMCs Biodiversity Management as per National Biodiversity Act.

परियोजना अंतर्गत जैवविविधता के आंकलन एवं जैवविविधता प्रोटोकॉल विकसित करने का कार्य आईसर (Indian Institute of Science Education & Research, Kolkata) कोलकाता के सहयोग से किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा निम्नानुसार जैवविविधता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

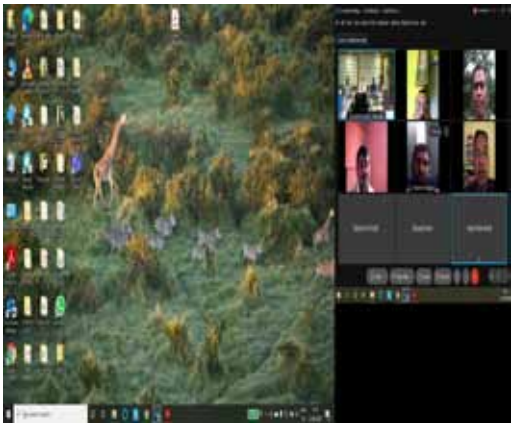

xhu bf.M;k fe'ku vrxr xke ipk;r Lrj ij ih-vkbl ,o dk&ih-vkbl dk vkuykbu if'k{k.k dk;Øe ¼fnukd 23-08-2021½

- tlofofo/krk vk/kkfjr 'k{kf.kd MlstV'ku dk;Øe & 2021%& मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं कैरियर कॉलेज भोपाल (बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग) के एम.एस.सी. पी.जी. कोर्स के छात्रों के लिए Dissertation Cum Pilot Research Programme का संचालन फरवरी से अप्रैल 2021 की अवधि में किया गया। जिसमें कैरियर कॉलेज, भोपाल के बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रा सु.श्री. अयुषी चौधरी द्वारा *In-vitro* Micro Propagation of *Adhatoda vasica L.*(Adulsa) using nodal explants a member of Acantheaceae family एवं श्री हिमांषू सिंह Study on Antimicrobial Activity of *Justicia adhatoda* Nees (Adulsa). द्वारा शोध कार्य किया गया।
- vUrjk"Vªh; tlofofo/krk fnol ¼22 ebZ½ 2020 dk volj ij vkuykbu fucU/k ifr;kfxrk & मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा विश्वभर में चल रहे कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस – 2021 को मनाने हेतु ऑनलाईन अभियान के माध्यम से इस दिवस को स्मरण किया गया। इस वर्ष सी. बी.डी. (Convention on Biological Diversity-CBD) द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस– 2021 की विषय–वस्तु के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ''कोविड–19 : ''हम सामाधान का हिस्सा है'' "We are the part of solution" विषय पर ऑनलाईन

प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागियो द्वारा प्रतियोगिताओ में 5015 पंजीयन किया गया तथा 765 प्रतिभागियों ने भाग लिया वर्ग कक्षा 9–12स्नातकोत्तर तथा स्नातक वर्ग तथा अन्य जनसामान्य वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए ।

ctV iko/kku

- मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार बजट अनुदान शासन द्वारा प्रावधानित किया गया है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.59 में दर्शित है –

rkfydk Øekd 1-59

(दिनांक 16.11.2021 की स्थिति में)

Ø-	ctV 'kh"k	iko/kku jkf'k	ikIr jkf'k	0;; jkf'k
1.	7672–जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	90.00	39.60	32.22
2.	7856 – जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	429.00	429.00	116.86
	;kx	519-00	468-60	149-86

1-9 e/; izns'k bdksi;Vu fodkl cksM

- मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन के वन विभाग के अर्न्तगत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अन्तर्गत किया गया था । बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की वन नीति 2005 के कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।
- म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन के बजट मद 5830 से अनुदान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि एवं अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न स्त्रोतों से बोर्ड को निम्नानुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए है जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.60 में दर्शित है :–

rkfydk Øekd&1-60

(रूपये लाख में)

Ø-	L=kr	foRrh; o"k 2021&22 ¼ekg flrEcj 2021 rd ikIr jkf'k½	foRrh; o"k 2021&22 ¼ekg flrEcj 2021 rd 0;; jkf'k ½
1.	राज्य शासन से बजट मद 5830 से बोर्ड को अनुदान	220.00	176.05
2.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से प्राप्त राशि	130.55	78.55
;kx		350-55	254-60

- ckM dh i'kklfud ljpuk %&

बोर्ड की प्रशासनिक संरचना में दो प्रमुख समितियॉ हैः– साधारण सभा एवं कार्यकारी समिति। साधारण सभा के पदेन सभापति माननीय वन मंत्री, म.प्र. शासन है तथा कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष प्रमुख सचिव, वन विभाग हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग दोनों समितियों के सदस्य है। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक महाप्रबंधक पदस्थ हैं, जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश के 16 क्षेत्रीय वन वृत्त के मुख्य वन वन संरक्षक, 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक, 64 क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी और 11 राष्ट्रीय उद्यान के संचालक एवं उप संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय अधिकारी हैं।

- ckM dh iezq[k xfrfof/k;k fuEukuqlkj gS %&

v- सामान्य वन क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों में (टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में) ईकापर्यटन विकास।

c- वन भ्रमण के माध्यम से जनता को वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक करना

l- प्रशिक्षण सह क्षमता विकास– वन क्षेत्रों के पास रहने वाले वन समिति सदस्यों को ईकोपर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु क्षमता विकास।

n- इकोपर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं वनों पर उनकी निर्भरता कम किए जाने के प्रयास।

उक्त गतिविधियों में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

v- bdkSi;Vu xarO; LFkyksa dh igpku ,oa fodkl %&

म.प्र. राज्य द्वारा ईकापर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा म.प्र. वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 अधिसूचित किया गया है। इस नियम का प्रमुख उद्देश्य आरक्षित वनों में मनोरंजन क्षेत्र/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाकर ईकोपर्यटन गतिविधियों के माध्यम से आम जनता को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना है। माह सितम्बर 2021 तक म.प्र. शासन द्वारा 127 मनोरंजन क्षेत्र एवं 14 वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र कुल 141 क्षेत्र अधिसूचित किए गये हैं। इनके संचालन/प्रबंधन के लिए आऊटसोर्सिग हेतु जारी 12 निविदाओं में से दुधिया एवं बायसन हाईवे रिट्रीट (पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी) गंतव्य स्थल के संचालन हेतु निविदाकारों का चयन किया गया है। पूर्व में निविदा के माध्यम से क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया द्वारा पनपथा बफर क्षेत्र हेतु भी निविदाकार का चयन किया जा चुका है।

c- Vkbxj fjtoZ ds cQj {ks= esa bdkSi;Vu fodkl %&

राज्य के सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटन के दबाव को कम करने की दृष्टि से इनके बफर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियां प्रारम्भ की गई है।

l- tkx:drk dk;Zdze%&

जागरुकता कार्यक्रम ''अनुभूति'': वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता दर्शाने एवं इस संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जन सामान्य में वन एवं वन्यप्राणी तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु स्कूली विद्यार्थी प्रभावशाली संवाहक हैं। इसे ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष ''अनुभूति कार्यक्रम'' का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प में विद्यार्थियों को स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों में वन भ्रमण, नेचर ट्रेल भ्रमण एवं अन्य गतिविधियां आयोजित कर पारिस्थितिकी के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधिता, पक्षी दर्शन, वन औषधी एवं वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी एवं अनुभव प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 हेतु कोविड–19 की परिस्थितियों को देखते हुए अनुभूति शिविरों का आयोजन माह दिसम्बर से मार्च माह तक किया जावेगा।

n- if'k{k.k lg {kerk fodkl %&

ईकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है। ईकोपर्यटन स्थलों पर नवीन/कार्यरत स्थानीय समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं जैसे –गाइड, ड्राइवर, प्रकृतिविद, कुकिंग, हाउसकीपिंग आदि में लगभग 800 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया ।

b- bdksi;Vu ds ek/;e ls LFkkuh; leqnk; ds lnL;ksa dh vkfFkZd fLFkfr esa lq/kkj %& इकोपर्यटन कार्यों के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होते हैं । स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों जैसे कि घी, दूध सब्जी फल इत्यादि के लिये भी बाजार उपलब्ध होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

1-10 e/;izns'k jkT; ckal fe'ku

1-10-1 e-iz- jkT; ckal fe'ku dh LFkkiuk ,oa mÌs'; %&

प्रदेश के बांस वनों की उत्पादकता में कमी तथा बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में हो रही कठिनाईयों की दूर करने के लिये राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2013 को म.प्र. राज्य बांस मिशन (सोसायटी) के गठन के आदेश दिये गये। बांस मिशन का दिनांक 15.07.2013 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकरण किया गया। सितम्बर 2013 से मिशन द्वारा पृथक से कार्य प्रारंभ किया गया। इसी के साथ प्रदेश में बांस शिल्पियों के मामलो पर सलाह देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड' का गठन किया गया था।

राज्य बांस मिशन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश स्तर पर योजना तैयार कर उसको क्रियान्वयन कराना है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों को जिला स्तरीय बेम्बू डेवलेपमेंट एजेन्सी का कार्य भी अतिरिक्त रूप से करने हेतु अधिकृत किया गया है।

म.प्र. राज्य बांस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष म.प्र. शासन के वनमंत्री तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य सचिव है। मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव वन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य सचिव है।

वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

1-10-2 e-i- jkT; ckl fe'ku dh ;kstuk,¡ rFkk dk;Zdze

म.प्र. राज्य बांस मिशन को योजना क्रमांक 7458– समग्र बांस विकास योजना के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में राशि प्राप्त होती है। वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा मध्यप्रदेश की रू. 1718.53 लाख की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का 60:40 का अनुपात होता है।

1-10-3 foxr o"kZ esa iznsZ'k dk ckl {ks= fodkl gsrq djk;s x;s eq[; dk;Z dk fooj.k fuEukuqlkj gS&

व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का विकास एवं बांस की उन्नत किस्मों का उत्पादन तथा बांस कृषि पद्धति का विस्तार

- राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत 01 छोटी बांस रोपणी (निजी क्षेत्र) में स्वीकृत की गई है।
- फील्ड ट्रायल में सफल बांस प्रजातियों के कृषि भूमि पर बांस प्रदर्शन प्लाट स्थापित किये गये हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत के 06 बांस प्रदर्शन प्लाट स्थापित किये गये हैं।
- कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 3520 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की विभिन्न प्रजातियों का रोपण कराया गया है। जिसके अंतर्गत हितग्राहियों को रू. 736.76 लाख का अनुदान वितरित किया गया है।
- राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश के 11 वन मंडलों के अंतर्गत कुल 1020 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि पर मनरेगा योजना में बांस वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया गया है। यह कार्य 83 स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है।

बांस सामान्य सुविधा केन्द्रों एवं प्रदेश के प्रमुख बांस कल्स्टरों में निम्नलिखित बांस आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये गये हैं – जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.61 में दर्शित है –

rkfydk Øekad 1-61

ckl bdkbZ dk uke	futh {ks= esa LFkkfir	'kkldh; bdkbZ;ksa dh la[;k
बांस का उपचारण एवं संरक्षण	01	00
बांस उत्पाद निर्माण एवं प्रसंस्करण	14	03
बांस बाजार हेतु अधोसंरचना का विकास	0	01

- म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा बांस क्षेत्र से जुड़े कार्यो के संपादन हेतु निम्नलिखित संस्थाओं से समन्वय किया गया है –

  अ. बांस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु म.प्र. लघुवनोपज संघ, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर तथा स्कूल आफॅ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर (एसपीए) भोपाल, से समन्वय किया गया।

  ब. बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI), म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) से समन्वय किया गया।

  स. मिशन द्वारा प्रदेश के अब तक कुल 2044 परम्परागत बांस शिल्पकारों को बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु बांस हस्तशिल्प, बास्केटरी, बांस आभूषण, बांस फर्नीचर, टर्निंग प्रोडक्ट एवं यूटीलिटी हस्तशिल्प आइटम इत्यादि विधाओं में प्रशिक्षित कराया गया है।

1-10-4 o"kZ 2021&22 dh Lohd`r dk;Z ;kstuk dh iz[k xfrfof/k;k fuEukuqlkj gS&

1- ckl dh mUur fdLeksa dk mRiknu rFkk cksl df"k i)fr dk foLrkj

- इस वर्ष राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत निजी क्षेत्र में 01 उच्च तकनीकी बांस रोपणी तथा 01 बड़ी बांस रोपणी स्थापित की जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में बांस मिशन योजना में इस वर्ष 3434 हेक्टयर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति पौधा 120 रू. की दर से कृषकों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश के 35 वन मंडलों के अंतर्गत कुल 2749 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि पर मनरेगा योजना में बांस वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया गया है। यह कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.62 में दर्शित है –

rkfydk Øekad 1-62

2- ckl dk mipkj.k ,o lj{k.k &

इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे हैं–

ckl bdkbZ dk uke	futh {ks= dh bdkbZ;ksa dh la[;k
बांस उपचारण एवं सीजनिंग इकाई	02

3- ckl mRikn fuekZ.k ,o izlLdj.k &

इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य प्रावधानित किये गये हैं–

ckl bdkbZ dk uke	futh {ks= dh bdkbZ;ksa dh la[;k
बांस प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई	02
बांस कचड़ा प्रबंधन ईकाई की स्थापना	03
बांस हस्त शिल्प इकाई	01
बांस फर्नीचर निर्माण इकाई	02
अगरबत्ती काड़ी निर्माण इकाई	03
एक्टीवेटेड कार्बन उत्पाद इकाई	01
बांस बोर्ड /मेट बोर्ड इकाई	01

4- dkS'ky mUu;u izf'k{k.k ,o izpkj izlkj&

इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जावेंगे–

xfrfof/k dk fooj.k	Hkkfrd y{;
बांस शिल्पकार, कृषक,उद्यमियों एवं क्षेत्रीय अमले का प्रशिक्षण	330
बांस कार्यशाला एंव बांस ट्रेड फेयर	08

5- vuqla/kku ,o foLrkj &

इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे हैं–

xfrfof/k dk fooj.k	Hkkfrd y{;
बांस प्रदर्शन प्लाट	01

foŸkh; miyfC/k;k¡ &

म.प्र. राज्य बांस मिशन का वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में व्यय तथा वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना का जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.63 में दर्शित है

rkfydk Øekad 1-63

(राशि– लाख रु. में)

Ø-	;kstuk dk uke	o"kZ	jkT;k'k	dsUnk'k	;kx
1.	योजना क्रमांक 7458 समग्र बांस विकास योजना	2019–20	767.37	511.58	1278.95
2.		2020–21	932.88	621.92	1554.80
3.		2021–22 (स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना)	1031.118	687.412	1718.53

Hkkx&2

ctV fogxkoykdu

2-1 vk;kstuk 0;; %&

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि का आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार तालिकाओ मे दर्शित है।

rkfydk Øekad 2-1
vk;kstuÙkj 0;;

(राशि करोड़ में)

Ø-	en	2019&20		2020&21		2021&22 ¼ekg fnlEcj 2021 rd½	
		vkoVu	0;;	vkoVu	0;;	vkoVu	0;;
1	वेतन एवं भत्ते	982.02	756.75	1052.55	697.23	1126.58	744.90
2	मजदूरी	681.35	404.63	730.55	486.19	812.43	503.21
3	कार्यालय व्यय	44.22	32.47	42.35	30.31	44.94	31.03
4	अनुरक्षण कार्य	5.47	2.96	1.67	1.29	2.11	1.52
5	भवनों/सड़कों का रखरखाव	14.59	9.40	8.95	6.62	12.44	7.45
6	ईमारती लकड़ी, बांस,खैर	73.28	31.71	94.71	74.54	143.06	88.55
7	अनुग्रह/अनुदान	5.14	3.58	3.20	2.24	33.60	23.32
8	गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्कार	11.62	11.04	11.56	11.04	14.20	11.21
9	लाभांश	41.61	24.03	10.40	10.40	12.00	9.60
10	कर एवं रायल्टी	0.76	0.03	0.23	0.20	0.22	0.01
11	विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्य	791.67	292.38	642.51	324.73	641.86	213.68
	;kx	**2651.73**	**1568.98**	**2598.68**	**1644.79**	**2843.45**	**1634.48**

rkfydk Øekad 2-2
dj] djRrj] ldy jktLo

कर, करेत्तर, कुल राजस्व एवं वानिकी से आय

(राशि करोड़ में)

Ø-	jktLo ,oa 0;;	o"kZ 2019&20	o"kZ 2020&21	o"kZ 2021&22 ¼ekg fnlacj 2021 rd½
1	कर राजस्व	144.62	126.04	82.8
2	करेत्तर राजस्व	892.21	1168.65	872.32
3	योग (1+2)	1036.83	1294.69	955.12
4	okfudh ls ldy jktLo	**1036.83**	**1294.69**	**955.12**

rkfydk Øekad 2-3
ctV 'kh"kZ 0406 & okfudh vkSj oU; thou enokj jktLo

(राशि करोड़ में)

jktLo ctV 'kh"kZ	2019&20		2020&21		2021&22 ¼ekg fnlacj 2021 rd½	
	ctV iko/kku	ikIr vk;	ctV iko/kku	ikIr vk;	ctV iko/kku	ikIr vk;
(101) लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री						
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज	87.30	7.18	8.23	14.20	17.38	15.66
(0189) उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी	80.74	9.06	16.47	4.41	8.87	5.53
(102) सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां	1.68	4.02	3.70	3.52	2.46	5.95
(103) पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां				0.02	0.00	0.02

jktLo ctV 'kh"k	2019&20		2020&21		2021&22 ¼ekg fnlacj 2021 rd½	
	ctV iko/kku	ikIr vk;	ctV iko/kku	ikIr vk;	ctV iko/kku	ikIr vk;
(201) तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां	0.24	0.07	0.08	0.05	0.15	0.07
(202) छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.02
(203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	990.75	662.38	723.79	401.82	895.46	544.40
(204) बांस का राजकीय व्यापार	38.48	14.97	20.58	10.31	22.07	24.32
205–साल बीज का राजकीय व्यापार	0.00		0.00		0.00	0.00
(206) खैर का राजकीय व्यापार	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.00
(800) अन्य प्राप्तियां	300.81	70.23	463.39	266.85	364.77	276.32
0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क वेट कर					0.00	0.00
0236 वन विकास उपकर से प्राप्तियॉ	0.00	8.21	0.00	0.70	0.00	0.01
8443– सिविल जमा राशि (जी.एस.टी)	0.00	116.75	162.69	70.87	0.00	82.79
egk;kx	**1500.00**	**892.92**	**1398.93**	**773.82**	**1311.26**	**955.09**

Hkkx&3

;kstuk,¡

3-1 dk;l vk;kstukvk dk fØ;kUo;u

विभाग में प्रत्येक वनमण्डल के 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। कार्य आयोजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वन विकास उपकर निधि से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत विगत वर्षो में कराये गये कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शित है –

rkfydk Øekad 3-1

{ks=Qy g- e @jkf'k yk[k #- e

o"kZ	dk;Z vk;kstukvk dk dk;Zoqrr	y{;		miyfC/k	
		Hkkfrd	vkfFkZd	Hkkfrd	vkfFkZd
2017-2018	संरक्षण समूह	5870	48707.03	5870	47058.28
	पुनरूत्पादन समूह	171789		171789	
	पुनर्स्थापना समूह	93517		93517	
2018-2019	संरक्षण समूह	14570	38775.00	14570	36640.00
	पुनरूत्पादन समूह	167274		167274	
	पुनर्स्थापना समूह	169676		169676	
2019-2020	संरक्षण समूह	3453	42445.07	3453	35348.13
	पुनरूत्पादन समूह	141061		141061	
	पुनर्स्थापना समूह	89386		89386	
2020-2021	पुनरूत्पादन समूह	123320	34843.56	123320	33333.55
	पुनर्स्थापना समूह	11539		11539	

o"k	dk;l vk;kstukvk d dk;oRr	y{;		miyfC/k	
		Hkkfrd	vkfFkd	Hkkfrd	vkfFkd
2021-2022	पुनरूत्पादन समूह	149418	35000.96	सतत	16198.95 (Upto 22 Dec..2021)
	पुनर्स्थापना समूह	5899		सतत	

fofHkUu foHkkxh; ;kstukUrxr fuEukuqlkj ik/kk jki.k dk dk;l fd;k x;k जिसका विवरण तालिका क्रमांक 3.2 में दर्शित है –

rkfydk Øekd 3-2

jki.k o"k	foHkkxh; jki.k ¼ik/kk dh l[;k½
2017-2018	5,88,39,400
2018-2019	5,43,71,563
2019-2020	3,34,29,268
2020-2021	3,86,00,000
2021-2022	3,02,77,626

3-2 ou v/kkjpuk dk lqn<hdj.k&

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वॉटर का निर्माण कराया जाता है। इस योजना से वन प्रबंध हेतु विश्राम गृह, वनमार्ग निर्माण, पुल पुलिया, रपटा, सौर ऊर्जा, जल प्रबंध, दूर संचार, वॉचटावर, बेरियर आदि जैसी अधोसंरचना का भी निर्माण कार्य कराया जाता है। व्यय की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 3.3 में दर्शित है –

rkfydk Øekd 3-3

o"k	Hkkfrd	vkfFkd ¼yk[k #- e½
2017-2018	270 भवन	4482.45
2018-2019	307 भवन	4488.00
2019-2020	338 भवन	3739.91
2020-2021	203 भवन	3327.08
2021-22	284 भवन	1458.37 (Upto 22 Dec.2021)

3-3 fon'kh lgk;rk ikIr ;kstuk,a @ifj;kstuk,a

bidk flLVe lfoZlsl bEiOeaV iktDV **Ecosystem Service Improvment Project (ESIP)**

ईकोसिस्टम सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ESIP) ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश और

छत्तीसगढ़ राज्यों में एक विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई पायलट परियोजना है और इसे ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड (US$24.64 मिलियन) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें मध्यप्रदेश का शेयर 9 मिलियन डॉलर है।

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) भारत के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तराष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) के साथ जीईएफ के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ईएसआईपी 16.08.2017 को मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया है।

mís';% वैश्विक कार्बन जब्ती को बढ़ाने में योगदान, भूमि क्षरण को रोकना और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण जैव–विविधता का संरक्षण

ixfr %

i. वर्ष 2017–18 से 2021–22 दिनांक 31 नवम्बर 2021 की स्थिति में कुल 4218.85 लाख रूपये व्यय किये गये। विश्व बैंक द्वारा 30 सितम्बर 2021 तक व्यय राशि 5.42 US मिलियन डॉलर प्रतिपूर्ति (Reimbursed) किये गए ।

ii. वर्ष 2021–22 के स्वीकृत ए.पी.ओ. के अन्तर्गत 2208.63 लाख रूपये के विरूद्ध 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में रूपये 534 लाख व्यय किया गया जिसके अन्तर्गत 600 हे. क्षेत्र एडवांस वर्क 2424 हे. क्षेत्र मेटनेंस (रख–रखाव) कार्य प्रगति पर है एवं 600 हे. क्षेत्र में जून 2021 में क्रिएशन अन्तर्गत 2,25,250 पौधों का रोपण किया गया।

iii. तीन वनमंडलों (उत्तर बैतूल, सीहोर एवं होशंगाबाद) के चार चयनित मिलीवाटरशेड में कुल 3024 हे क्षेत्र उपचारित किया गया एवं 600 हे. क्षेत्र एडवांस वर्क में कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की स्थिति में कुल 9,45,463 पौधों का रोपण किया गया।

iv. परियोजना गतिविधियों का लाभ 30 वन समितियों के 25,616 ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है। 3,202 ग्रामीण हितग्राही परिवारों को विभिन्न रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान किये गये एवं आजीविका सम्बन्धी गतिविधियों से जोड़ा गया।

v. नेचुरल न्यूटी बेकरी, तामिआ जिला छिन्दवाड़ा में स्वसहायता समूह सदस्यों द्वारा लघुवनोपज एवं कोदी कुटकी द्वारा तैयार उत्पाद दिखाने हेतु उत्तर बैतूल एवं होशंगाबाद वनमंडल के वन समिति सदस्यों एवं वन विभाग के क्षेत्रीय अमले के लिए दो एक्सपोजर विजिट आयोजित की गई।

vi. वन समिति सदस्यों एवं वन विभाग के क्षेत्रीय अमले हेतु सीहोर एवं होशंगाबाद वनमंडल में कुल 19 ग्राम स्तरीय 03 परिक्षेत्र स्तरीय एवं 02 वनमंडल स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कुल 2058 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

1- jk"Vªh; ouhdj.k ;kstuk %&

ग्रीन इंडिया मिशन में समाहित केंन्द्र प्रवर्तित योजना

mís';% पूर्व के वर्षों में तैयार किए गए वृक्षारोपणों का संधारण करना।

foLrkj % मध्यप्रदेश के वनमंडलों में विगत वर्षों में एफ.डी.ए के माध्यम से विभिन्न मोडेलों के तहत वृक्षारोपण ।

ixfr %&

i. राष्ट्रीय वनीकरण योजना अन्तर्गत 2019–20 के APO को पुनरीक्षित कर 2020–21 हेतु पुनः प्रस्तावित कर पुरानी उपलब्ध राशि रूपये 341.35 लाख को शामिल कर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.09.2020 द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 8030 हे. के रखरखाव हेतु वर्ष 2020–21 में 5.13 करोड़ स्वीकृत की स्वीकृत की जाकर राशि रूपये 94.72 लाख विमुक्त की गई है।

ii. उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, दक्षिण बैतूल, टीकमगढ़, दक्षिण छिन्दवाड़ा पश्चिम छिन्दवाड़ा, सतना, अनुपपुर, देवास,नीमच,पूर्व मंडला,दतिया, श्योपुर, सीधी, होशंगाबाद, हरदा, बड़वानी, उत्तर सागर, उत्तर सिवनी, रायसेन, दक्षिण सागर, पूर्व छिन्दवाड़ा, उत्तर बैतूल को प्रेषित मांग के आधार पर राशि 305.97 लाख आवंटित कर दी गयी है।

iii. योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31.03.2020 तक राशि रूपये 226.76 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31.12.2021 तक राशि रूपये 160.69 लाख का व्यय किया गया है।

iv. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न वन विकास अभिकरणों में वित्तीय वर्ष 2015–16 (द्वितीय मूल्याकंन) एवं 2016–17 (प्रथम मूल्यांकन) के वर्षा ऋतु में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत किये गए वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट इम्पेक्ट असिसमेंट किये जाने बावत् राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर मध्यप्रदेश को आमंत्रित निविदा शर्तों के आधार पर कार्य सौंपा गया है ।

v. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (मध्यप्रदेश) को उक्त कार्य हेतु कुल राशि रूपये 41,14,000/ स्वीकृत की गयी है। इसकी द्वितीय किश्त राशि रूपये 12,34,200/– निविदा शर्तो अनुसार दिनांक 13.08.2021 को विमुक्त की जा चुकी है।

4- uxj ou ;kstuk

i. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक E.1-4/2020-B दिनांक 2021/03/05 विषय " Implementation of the scheme Nagar van Yojna" द्वारा प्रथम चरण में भारत के 12 राज्यों के कुल 18 प्रोजेक्ट्स नगर वन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गए है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के दो नगर ग्वालियर कुल क्षेत्रफल 26 हे, राशि रूपये 109.30 लाख एवं भोपाल कुल क्षेत्रफल 50 हे. राशि रूपये 200.50 लाख को सम्मलित किया गया है।

ii. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक NA-13/15/2020-NA दिनांक 2021/03/19 विषय " Nagar van Yojna- release of funds to State Forest" Development Agency (SFDA), Madhya Pradesh द्वारा मध्यप्रदेश राज्य को कुल राशि रूपये 309.80 लाख की 70% राशि रूपये 216.86 लाख मध्यप्रदेश के नगर वन बैंक खाता में प्राप्त हुई ।

iii. PFMS के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

iv. ग्वालियर कुल क्षेत्रफल 26 हे. एवं भोपाल कुल क्षेत्रफल 50 हे. में नगर वन विकसित करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

v. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.E.1-3/2021B-1 (NAEB) दिनांक 18/11/2021 विषय Approved proposal for creation of Nagar van under the " Nagar Van Yojna"- regarding. मध्यप्रदेश के 8 नगर वन स्थल/शहर नगर वन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गए है।

Lohd'r uxj ou LFky ¼ftyk@'kgj½

Ø-	ftyk@'kgj	uxj ou LFky	dqy {ks=Qy ¼gs-½	iLrkfor jkf'k ¼:-yk[k esa½
1	भोपाल	शाहपुरा, जागरण झील विश्वविद्यालय के पास, नगर निगम भोपाल	50.00	385.00
2	जबलपुर	जबलपुर, नगर निगम जबलपुर	50.00	298.00
3	सागर	दक्षिण सागर वनमंडल, मंगलगिरी, नगर निगम सागर	34.25	217.00
4	देवास	पालनगर, नगर निगम देवास	49.78	199.97
5	सतना	ग्राम सोनौरा, नगर निगम, सतना	23.41	418.14
6	रतलाम	बिबरोद, नगर निगम, रतलाम	42.00	288.00
7	सिंगरौली	कुसावाई, नगर निगम, सिंगरौली	25.00	100.00
8	कटनी	कटनी, नगर निगम, कटनी	35.40	200.00

5- vkRefuHkj e/;izns'k dk fØ;kUo;u%&

5-1 मध्यप्रदेश सरकार के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश –रोडमैप 2023 के रूप में एक महत्वकांक्षी पहल की है। इस हेतु मूर्त रूप देने हेतु विभाग की चिन्हित गतिविधियों पर कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसके अन्तर्गत ''बफर में सफर'' मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना, टाइगर सफारी विकसित करना, लकड़ी/बांस के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, 20 बांस क्लस्टरों का व्यवस्थित विकास, प्रदेश की वनोपज का ''मध्यप्रदेश उत्पाद'' के रूप में जीआई टेगिंग, वनोपज के बेहतर मूल्य हेतु वनोपज मूल्य संवर्धन विकास, वन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन, प्रदेश में उपयुक्त हैबिटेट में चीता लाना, बाघों का घनत्व बढ़ाने और वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये बाघों को अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानान्तरण करना, वनों के बाहर वृक्ष आवरण बढ़ानें हेतु शासकीय गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पहल तथा भू–अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता को बढ़ाने आदि के कार्य किये जाएंगे।

5-2 प्रदेश में बांस गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धन के लिए 20 क्लस्टरों में बांस की विभिन्न प्रजातियों के रोपण पूर्ण हो चुका है। प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना 67 प्रतिशत एवं कौशल

उन्नयन 54 प्रतिशत हो चुका है। पन्ना आंवला तथा पातालकोट शहद की जीआई टेगिंग हेतु वैज्ञानिक अध्ययन 85 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अध्ययन पूर्ण होने पर टेगिंग हेतु आवेदन दिया जाएगा। वनोपज के बेहतर मूल्य हेतु वनोपज मूल्य संवर्धन विकास तथा विशिष्ट वनोपज वाले 10 क्षेत्रों को चिन्हित कर वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जारी है। 86 वन धन विकास केन्द्रों के चयनित हितग्राहियों को प्रसंस्करण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। 43 वन धन केन्द्रों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा कुल 32 लघुवनोपज प्रजातियों को समर्थन मूल्य घोषित किया जा चुका है।

5-3 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अन्तर्गत तीन वर्षों में वन समितियों के लगभग पांच हजार माइक्रोप्लान तैयार किये जाने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2020–21 में 541 माईको प्लान तैयार किये गये हैं। वर्ष 2021–22 में 2000 समितियों का माइको प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रचलित है।

Hkkx&4

4-1 iqjLdkj

iqjLdkj forj.k lEcU/kh dk;Zokgh &

mRd"V dk;Z gsrq iqjLdkj %&

वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा कई श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :–

(i) 'kghn vejrk nsoh fo'uksbZ iqjLdkj – प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष पांच श्रेणियों में '' शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार'' दिया जाता है। वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र तथा व्यक्तियों को शासकीय एवं अशासकीय श्रेणीयों में पचास–पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले शासकीय एवं अशासकीय श्रेणी के व्यक्तियों को पचास–पचास हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

(ii) clkeu ekek Lefr oU; ik.kh lj{k.k iqjLdkj & मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई :–

- foU/; {ks= iqjLdkj & यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों, संस्थाओं को वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार में क्रमशः राशि रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।

- jkT; Lrjh; iqjLdkj & 0यक्तियों, संस्थाओं एवं संयुक्त वन प्रबंध समितियों को निजी/वन भूमि पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार 5 हैक्टेयर से कम तथा 5 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर दो श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार में क्रमशः राशि रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार प्रदान की जाती है।

^^e/;izns'k jkT; tSofofo/krk fDot dk;Øe&2020^^

- jkT; Lrjh; oU;çk.kh lj{k.k lIrkg & 2021%& वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से दिनांक 07 अक्टूबर 2021 तक राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह–2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभांरभ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2021 को किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किया गया एवं जैवविविधता संरक्षण की दृष्टि

से आमजन हेतु स्पॉट क्विज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सहित वन विभाग के वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा बोर्ड के स्टॉल का निरीक्षण कर स्पॉट क्विज का शुभारंभ किया गया।

Jh v'kkd c.koky] e/;izns'k 'kklu] iezeq[k lfpo] ou foHkkx }kjk LikV fDot dk 'kqHkkjEHk fd;k x;k rFkk fDot dk;Øe esa ifrHkkfxrk djrs gq, Nk=&Nk=k;sa

वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन दिनांक 07.10.2021 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख (म.प्र.) वन विभाग के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजातियों पर आधारित पुस्तक "Book on Threatened Birds of M.P." एवं मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज–21 (राष्ट्रीय स्तर) के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सदस्य सचिव, बोर्ड द्वारा स्पॉट क्विज के विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं गिफ्ट हेम्पर वितरित किये गये।

e/;izns'k jkT; vkuykbu tSofofo/krk fDot&21 ¼jk"Vªh; Lrj½ ds ikLVj dk foeksPpu

- vkdk'kok.kh dsUæ Hkksiky }kjk çk;kstr dk;Øe **pyrh jgs ftUnxh**%& मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा आकाशवाणी केन्द्र भोपाल के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम ''चलती रहे जिन्दगी'' में दिनांक 16.07.2021 को जैवविविधता नाटिका ''दादी का चीकू'' तथा दिनांक 30.07.2021 को सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता संरक्षण संवर्धन के संबंध में 10 मिनट का परिचर्चा एवं संवाद का प्रसारण किया गया।

- oU;thou vijk/k dks lcksf/kr djus dh j.kuhfr;ksa ,oa ou vf/kdkfj;ksa ds lkFk leUo; c<kus ds fy, vfHk;kstu vf/kdkfj;ksa dks lqonu'khy cukus fo"k;d dk;Z'kkyk

  कान्हा टाईगर रिजर्व, जिला मण्डला में दिनांक 18.09.2021 से 19.09.2021 तक आयोजित कार्यशाला "Strategies to address wildlife crime; sensitization of prosecution officers for enhanced coordination with forest officers" में म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया। दो दिवसीय कार्यशाला में 52 प्रतिभागी उपस्थित हुये जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी सम्मिलित थे। कार्यशाला में वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, फोरेस्ट जूरिसप्रूडेन्स, वन्य प्राणी अपराध विषयों पर विषय–विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गये। कार्यशाला में सहायक सदस्य सचिव (बायो) द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के विधिक प्रावधानों एवं अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिभागियों को प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। समस्त प्रतिभागियों को बोर्ड द्वारा प्रकाशित जैवविविधता अधिनियम की पुस्तक वितरित की गई।

dkUgk VkbZxj fjtoZ] ftyk e.Myk esa vk;kstr dk;Z'kkyk esa mifLFkfr ifrHkkxh

2- tSo lalk/kuksa vkSj Kku ds okf.kfT;d ¼0;kikjRed½ mi;ksx ls mnHkwr ykHk dk mfpr vkSj lkE;iw.kZ iHkkstu

जैवविविधता अधिनियम, 2002, जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपयोग करने वाले समस्त भारतीय व्यापारी व निर्माताओं को धारा 7 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (एम.पी.एस.बी.

बी.) से अनुमति लेना अनिवार्य है। जैवविविधता अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गई–

1. ykHk iHkktu jkf'k%& ''जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के विनियम 3 एवं विनियम 4 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों एवं विनिर्माताओं से राज्य जैवविविधता निधि में निम्नानुसार लाभ प्रभाजन राशि प्राप्त हुई है –

(राशि रूपये लाख में)

o"kZ	vuqcU/k dh la[;k		ykHk çHkktu jkf'k		dqy ,df=r jkf'k
	0;kikjh	fofuekZrk	0;kikjh	fofuekZrk	
2021-22	245	17	22.41	9.01	31.42

2. jk"Vªh; tSofofo/krk izkf/kdj.k ls izkIr ykHk iHkktu jkf'k dk forj.k%& जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–21 एवं जैवविविधता नियम, 2004 के नियम–20 के प्रावधान अंतर्गत राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जैवविविधता निधि में प्राप्त राशि का वितरण संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड के माध्यम से जैवविविधता प्रबंधन समिति/लाभ के दावेदारों को किया जाता है।

   इस क्रम में मध्यप्रदेश से वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु प्राप्त जैव संसाधनों पर लाभ प्रभाजन की कुल राशि रू. 12.37 लाख मध्यप्रेदश जैवविविधता बोर्ड को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी है। इस राशि का सम्पूर्ण वितरण संबंधित लाभ के दावेदार 03 संस्थाओं एवं 16 जैवविविधता प्रबंधन समितियों को वित्त वर्ष 2021–22 में किया गया।

3. tSofofo/krk vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk&56 ds vUrxZr dk;Zokgh%& जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–56 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या जैवविविधता बोर्ड कें आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करता है तो 1 लाख रू. तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उक्त धारा का उपयोग करते हुए प्रदेश में 04 प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाही कर राशि रू. 2,25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

ctV izko/kku

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार बजट अनुदान शासन द्वारा प्रावधानित किया गया है:–

(राशि रूपये लाख में)

दिनांक 16.11.2021 की स्थिति में)

Ø-	ctV 'kh"kZ	iko/kku jkf'k	iklr jkf'k	0;; jkf'k
1.	7672–जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	90.00	39.60	32.22
2.	7856 – जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	429.00	429.00	116.86
	;kx	519-00	468-60	149-86

vfHkuo ;kstuk

1- e/;çns'k jkT; tSofofo/krk fDot & 2021 मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज 2021 का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग व वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया –

1.1 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में समस्त जिलों में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज – 2021 के जिला स्तर पर दिनांक 05.10.2021 को आयोजन के संबंध में समस्त जिलों के वनमण्डाधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारियों तथा 104 क्विज मास्टरों को ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

1.2 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज–2021 का जिला स्तरीय आयोजन दिनांक 05 अक्टूबर 2021 (वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान) को जिला मुख्यालय पर क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में 6,342 छात्र–छात्रायें सम्मिलित हुये। जिला स्तर हेतु पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है –

Øekad	dk;Øe	fotsrk	iqjLdkj jkf'k ¼:i;s esa½
1	जिला स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज – 2021	प्रथम द्वितीय तृतीय	रु. 3,000/– रु. 2,100/– रु. 1,500/–

2- jk"Vªh; Lrj ij e/;çns'k jkT; vkuykbZu tSofofo/krk fDot & 2021 dk vk;kstu

जैवविविधता धरोहर, जैवविविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण आदि विषयों के प्रति जन–जन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ''मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज –2021" का आयोजन शासन के mp-mygov.in पोर्टल पर दिनांक 24.10.2021 (International day of Climate Action) को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर ''मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज –2021" कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के 23,507 सोशल मीडिया यूजर तथा 10,282 नागरिकों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभागिता की गयी। कार्यक्रम में कुल प्रतिभागिता 33,789 रही। बोर्ड द्वारा प्रथम 100 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जावेगा।

ijLdkj ,o ekU;rk %&

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत के टाइगर रिज़र्व्स के प्रबंधन, मूल्यांकन में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करते हुये प्रदेश के तीन टाइगर रिज़र्व्स क्रमशः पेंच, कान्हा एवं सतपुड़ा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आये।

2- वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों पर नियंत्रण के लिये स्थापित किये गये टाइगर स्ट्राइक फोर्स के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हुये कई अवार्ड मिले हैं जिनमें पाटा–बाघ मित्र अवार्ड, आर. बी.एस. फाउंडेशन अवार्ड प्रमुख है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ श्री रितेश सिरोठिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लार्क बॉविन अवार्ड तथा राष्ट्रीय स्तर के फतेह सिंह राठौर मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

3- मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी द्वारा पेंगोलिन संरक्षण हेतु चलाये गये अभियान को मान्यता प्रदान करते हुये इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस ने मान्यता दी है। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के द्वारा बाघ एवं वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यों को मान्यता देते हुये डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया द्वारा सोसाइटी को वर्ष 2019 के "पाटा–बाघ मित्र" अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

4- मध्य प्रदेश में किये गये सक्रिय वन्यप्राणी प्रबंधन एवं श्रेष्ठ विस्थापन कार्यों के लिये कान्हा टाइगर रिजर्व एवं सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

4-2 egRoi.kZ lkf[;dh

ouksa dk {ks=Qy

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल, घनत्व, प्रकार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े fuEukuqlkj rkfydkvksa में दर्शित है।

rkfydk Øekad 4-1

nsk dh rqyuk esa e/; izns'k ds ou

(वर्ग कि.मी.)

	HkkSxksfyd {ks=	ou{ks=	izfr'kr ou{ks=
Hkkjr	32,87,263	7,67,416	23.34
e/; izns'k	3,08,252	94,689	30.72

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021)

rkfydk Øekad 4-2

izns'k ds ou{ks=ksa dh oS/kkfud fLFkfr

(वर्ग कि.मी.)

oxhZdj.k	{ks=Qy	izfr'kr
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
;ksx	94]689	100-00

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021)

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में विगत तीन अध्ययनों में परिलक्षित वनावरण की स्थिति की rkfydk Øekad 4-3 में दर्शित है। जिलेवार विवरण ifjf'k"V&24 में सम्मिलित है।

rkfydk Øekad 4-3

izns'k ds ouksa dk ?kuRo&okj {ks=Qy

(वर्ग कि.मी.)

ouksa dk izdkj	ifrosnu o"kZ		
	2017	2019	2021
अति सघन वन	6563	6676	6665
सामान्य सघन वन	34571	34341	34209
खुले वन	36280	36465	36619
;ksx	77414	77482	77493
(खुला रिक्त क्षेत्र) *	17275	17207	17196

*रिक्त खुला क्षेत्र– ऐसे वन जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है।

प्रदेश में वनों के प्रकार तथा क्षेत्रफल का विवरण rkfydk Øekd 4-4 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 4-4

iznsk dk ouksa ds izdkj vkSj {ks=Qy

¼oxZ fd-eh-½

lajpuk	{ks=Qy	izfr'kr
सागौन	24,885.5	26.28
साल	6898.81	7.29
मिश्रित एंव अन्य	45708.69	48.27
रिक्त (खुला क्षेत्र)	17196	18.16
;ksx	94]689	100-00

(बांस वनक्षेत्र 18394 वर्ग कि.मी. अतिव्यापी क्षेत्र)

ukV%& मध्यप्रदेश के वनों के संबंध में भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन वर्ष 2021 संस्थान के वेबसाइट www.fsi.nic.in पर उपलब्ध है।

Hkkx&5

foHkkx ds izdk'ku

izdk'ku

मध्यप्रदेश के पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजातियों पर आधारित पुस्तक “Book on Threatened Birds of M.P.” का प्रकाशन किया गया।

Hkkx&6

ifjf'k"V

ifjf'k"V & 1

{k=h; bdkbZ;k dk fooj.k

v- Ø-	oRr dk uke	{k=h; oue.My	mRiknu	vuqlU/kku foLrkj oRr	dk;Z vk;kstuk	ou fo|ky;
1	बालाघाट	बालाघाट, उत्तर बालाघाट दक्षिण बालाघाट	उत्तर बालाघाट दक्षिण बालाघाट	–	बालाघाट	प्राचार्य रेंजर्स कालेज, बालाघाट
2	बैतूल	उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
3	भोपाल	भोपाल, सीहोर, औबेदुल्लागंज, विदिशा, रायसेन, राजगढ़	रायसेन	भोपाल	भोपाल	–
4	छतरपुर	छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़	–	–	छतरपुर	–
5	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, दक्षिण छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	–	छिन्दवाड़ा	–
6	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुरकलां	–	ग्वालियर	ग्वालियर	–
7	होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा	हरदा	–	होशंगाबाद	पचमढ़ी
8	इन्दौर	इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीरापुर	–	इन्दौर	इन्दौर	
9	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी	डिण्डोरी मण्डला	जबलपुर	जबलपुर	–
10	खण्डवा	खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	–
11	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली	–	रीवा	रीवा	गोविन्दगढ़
12	सागर	सागर, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह	–	सागर	सागर	–
13	सिवनी	सिवनी, उत्तर सिवनी दक्षिण सिवनी, नरसिंहपुर	सिवनी, देवास	सिवनी	सिवनी	–
14	शहडोल	शहडोल, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनूपपुर	–	–	शहडोल	अमरकंटक

v- Ø-	oRr dk uke	{k=h; oue.My	mRiknu	vu|l/kku foLrkj oRr	dk;| vk;kstuk	ou fo|ky;
15	शिवपुरी	शिवपुरी, गुना, अशोकनगर	–	–	शिवपुरी	शिवपुरी
16	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास	देवास	रतलाम	उज्जैन	–
17	विक्रय वनमण्डल नई दिल्ली	–	विक्रय वनमण्डल, नई दिल्ली	–	–	–

ifjf'k"V&2

e/;izns'k ou foHkkx esa dk;Zikfyd inksa dh o`rokj] inokj tkudkjh fuEukuqlkj gS%&

(दिनांक 01.12.2021 की स्थिति में)

Ø-	ouoRr dk uke	dk;Zikfyd veyk							
		ou{k=iky		miou{k=iky		ouiky		ouj{kd	
		Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-
1	बालाघाट	56	38	72	43	243	172	815	677
2	बैतूल	62	31	66	25	221	152	740	567
3	भोपाल	118	80	106	55	360	194	1197	1063
4	छतरपुर	71	52	78	31	260	153	870	754
5	छिंदवाड़ा	55	41	64	19	212	153	710	681
6	ग्वालियर	72	41	73	26	242	103	810	740
7	होशंगाबाद	61	43	66	30	221	148	740	631
8	इन्दौर	63	47	64	24	212	111	710	631
9	जबलपुर	119	87	121	44	403	238	1345	1314
10	खण्डवा	104	59	112	38	372	215	1244	1008
11	रीवा	97	59	83	25	276	140	927	832
12	सागर	64	54	72	40	240	161	800	651
13	सिवनी	73	46	76	38	254	187	850	760
14	शहडोल	68	54	71	39	234	145	780	714
15	शिवपुरी	45	34	63	37	210	118	700	658
16	उज्जैन	66	47	71	30	234	137	780	648
17	मुख्यालय	0	0	0	0	0	0	6	0
	;kx	1194	813	1258	544	4194	2527	14024	12329

ifjf'k"V&3

e/;izns'k ou foHkkx esa fyfidh; inksa dh o`rokj] inokj tkudkjh fuEukuqlkj

Ø-	ouoRr dk uke	fyfidh;																	
		मानचित्रकार		शीघ्र लेखक		अधीक्षक		लेखा अधीक्षक		सहायक ग्रेड–1		लेखापाल		सहायक ग्रेड–2		सहायक ग्रेड–3 (पदोन्नति)		सहायक ग्रेड–3 (सीधी भर्ती)	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	बालाघाट	9	9	8	6	1	0	1	1	9	5	11	9	17	11	17	9	50	51
2	बैतूल	8	6	8	7	1	0	3	2	9	1	11	5	17	8	17	8	50	45
3	भोपाल	23	23	13	7	2	0	3	0	18	11	23	13	36	12	35	16	105	96
4	छतरपुर	11	6	8	3	1	0	2	2	8	4	10	5	15	8	14	10	44	41
5	छिंदवाड़ा	8	7	8	2	1	0	1	1	10	4	13	12	20	9	19	6	58	57
6	ग्वालियर	16	13	10	6	1	0	3	0	12	3	15	5	24	9	24	11	70	51
7	होशंगाबाद	7	7	5	0	1	0	2	1	7	5	9	8	17	10	15	6	43	37
8	इन्दौर	10	9	10	5	1	0	2	0	10	3	12	7	18	10	19	10	55	56
9	जबलपुर	13	11	13	10	1	0	3	2	16	3	21	18	34	21	34	14	99	102
10	खण्डवा	17	16	9	5	1	1	2	0	15	3	20	13	29	16	29	13	87	82
11	रीवा	10	5	8	4	1	1	1	0	11	2	14	7	22	12	21	17	64	57
12	सागर	10	5	7	2	1	0	1	0	9	2	12	5	17	5	18	13	52	47
13	सिवनी	11	10	10	4	1	0	2	2	10	6	13	8	20	14	20	16	61	59
14	शहडोल	12	8	9	1	1	0	1	1	8	4	10	7	16	26	16	8	50	45
15	शिवपुरी	13	13	7	2	1	1	2	1	9	5	11	6	17	5	16	6	49	44
16	उज्जैन	15	15	7	2	1	0	3	1	11	2	12	11	19	12	19	10	57	53
17	मुख्यालय	10	12	57	40	18	14	43	42	20	5	27	27	41	18	40	22	120	109
	;ksx	203	175	197	106	35	17	75	56	192	68	244	166	379	206	373	195	1114	1032

ifjf'k"V&4

e/;izns'k ou foHkkx esa prFkZ Js.kh inksUufr dh oRrokj] inokj tkudkjh fuEukuqlkj gS%&

Ø-	ouoRr dk uke	fofo/k								prFkZ Js.kh					
		okgu pkyd		lgk;d egkor		egkor		e[; egkor		lqijokbtj		nQrjh		HkR;	
		Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-	Loh-	dk;Z-
1	बालाघाट	35	22	0	0	0	0	0	0	1	0	7	6	34	19
2	बैतूल	36	16	0	0	0	0	0	0	1	1	13	6	61	46
3	भोपाल	68	43	0	0	0	0	0	0	1	1	13	3	65	54
4	छतरपुर	26	11	6	5	4	1	2	0	1	0	8	1	37	28
5	छिंदवाड़ा	33	14	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	28	24
6	ग्वालियर	29	15	0	0	0	0	0	0	1	0	12	4	58	41
7	होशंगाबाद	21	13	6	5	4	0	2	0	1	1	7	3	35	25
8	इन्दौर	25	12	0	0	0	0	0	0	1	0	14	3	66	53
9	जबलपुर	50	25	17	15	11	4	6	2	1	0	17	3	84	66
10	खण्डवा	41	21	0	0	0	0	0	0	1	0	15	6	78	63
11	रीवा	36	21	3	1	3	0	0	0	1	1	13	8	66	48
12	सागर	24	6	0	0	0	0	0	0	1	1	9	7	43	27
13	सिवनी	20	7	5	3	4	0	1	0	1	0	11	7	50	32
14	शहडोल	33	18	12	7	9	7	3	1	1	1	9	3	45	34
15	शिवपुरी	18	5	0	0	0	0	0	0	1	1	9	3	43	28
16	उज्जैन	23	5	0	0	0	0	0	0	1	1	12	5	58	49
17	मुख्यालय	95	39	0	0	0	0	0	0	4	1	20	6	99	50
	;kx	613	293	49	36	35	12	14	3	20	9	195	77	950	687

ifjf'k"V &5

o"kokj fofHkUu xSj okfudh dk;kZ ds mi;ksx gsrq 0;iofrZr ou Hkwfe

(31.12.2021 की स्थिति में)

o"kZ	flapkbZ	fo|qr	[kfu t	fofo/k	;ksx	0;iofrZr ou Hkwfe ¼g-½
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1980	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	2	1	3	7.919
1983	5	3	9	2	19	901.739
1984	7	5	1	0	13	1459.665
1985	14	3	1	3	21	6721.568
1986	4	1	2	4	11	1530.611
1987	5	5	3	3	16	47538.404
1988	5	2	3	4	14	1204.912
1989	13	12	2	8	35	7788.781
1990	21	9	5	46	81	134437.649
1991	2	2	9	2	15	317.114
1992	19	1	14	6	40	730.031
1993	8	3	6	1	18	17218.725
1994	6	25	9	3	43	1018.754
1995	7	18	11	8	44	4056.038
1996	4	32	4	1	41	734.100
1997	6	24	15	3	48	6876.988
1998	1	16	6	2	25	571.942
1999	6	4	17	1	28	1513.926
2000	2	5	9	10	26	337.207
2001	3	1	3	2	9	653.799
2002	7	3	10	10	30	2164.356
2003	10	4	2	5	21	1262.158
2004	1	2	1	2	6	6261.702
2005	3	11	4	6	24	1425.029
2006	3	8	2	10	23	1090.954
2007	1	11	12	13	37	760.938

2008	5	3	7	11	26	1002.348
2009	6	13	6	21	46	1841.181
2010	4	3	7	16	30	2025.926
2011	8	6	4	17	35	1132.361
2012	7	10	7	14	38	2506.736
2013	4	10	4	13	31	1233.385
2014	29	7	0	5	41	2445.503
2015	13	11	4	15	43	3073.019
2016	8	3	5	6	22	975.196
2017	3	0	3	13	19	3264.388
2018	18	12	2	17	49	7174.518
2019	5	8	5	11	29	1699.997
2020	8	14	1	33	56	5762.816
2021	17	18	6	40	81	4078.200
Total	**298**	**328**	**223**	**388**	**1237**	**286800.583**

ifjf'k"V & 6

o"k 2021 e vfre pj.k Lohdfr ikIr egRoi.k idj.k

Ø-	ifj;kstuk@ vkond dk uke	fnukd	oRr	oueMy	0;iofrr ou Hkfe ¼gDVs;j e½
1	2	3	4	5	6
1	अमीलिया कोल ब्लॉक, सिंगरौली	15-02-2021	रीवा	सिंगरौली	843.760
2	हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना	03-03-2021	जबलपुर	जबलपुर	54.870
3	दुधिचुआ परियोजना, सिंगरौली	03-05-2021	रीवा	सिंगरौली	467.809
4	केन–बेतवा लिंक परियोजना	06-05-2021	शिवपुरी	अशोकनगर– 694.58 शिवपुरी-273.66	968.240
5	ऑलिया मध्यम सिंचाई परियोजना	10-05-2021	खण्डवा	खण्डवा	54.600
6	भाम (राजगढ़) मध्यम लिफ्ट सिंचाई परियोजना	12-05-2021	खण्डवा	खण्डवा	148.750
7	सुलियारी कोल ब्लॉक	15-06-2021	रीवा	सिंगरौली	259.239
8	मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र हेतु वन भूमि का व्यपवर्तन	02-09-2021	भोपाल	औबेदुल्लागंज	197.930
9	नर्मदा–क्षिप्रा लिंक परियोजना	08-09-2021	इन्दौर रीवा	इन्दौर–15.019 बड़वाह– 24.797 देवास– 40.118	79.934
10	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना	14-10-2021	जबलपुर	जबलपुर– 5.42 मण्डला पश्चिम– 64.135	69.555

ifjf'k"V&7

0k"k 2021&22 e ikf/kdj.k d vrxr ipfyr dk;k dh lph

ifrdjkRed ou jki.k fuf/k ¼dEik½

o"k 2021&22 d okf"kd dk;l vk;kstuk

Ø-	dk;l dk uke	Hkkfrd y{; ¼g-@ucj e½	vkfFkd y{; ¼djkM e½
1	**2**	**3**	**4**
1	नवीन प्रतिपूरक वनीकरण कार्य	3924.10	63.38
2	प्रतिपूरक वनीकरण (Committed Liabilities) रखरखाव	33685.368	74.81
3	नवीन आवाह क्षेत्र शोधन योजना (CATP)	145.68	1.27
4	आवाह क्षेत्र शोधन योजना (CATP) (Committed Liabilities) –रखरखाव	7362	4.39
	fuoy orleku eY; d vuj{k.k dk;l **(Committed Liabilities)**		
5	एन.पी.व्ही. अंतर्गत विगत वर्षों के रखरखाव (Committed Liabilities)	111036.25	124.33
	fuoy orleku eY; d uohu dk;l		
6	प्रदत्त प्राकृतिक पुनरूज्जीवन		
	बांस पुष्पन की सुरक्षा	**12142.00**	6.55
7	कृमि पुनरूज्जीवन		
	(क) क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा – बिगड़े वनों का सुधार	**42036.46**	201.78
	(ख) क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा – बांस वृक्षारोपण	**565.00**	3.67
	(ग) क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा वन विहीन पहाड़ियों को हरा भरा करना	**1422.00**	10.20
	(घ) राज्य वन विकास निगम द्वारा क्षेत्र तैयारी + वृक्षारोपण	**2330**	31.15
8	वनों का संरक्षण		
	(क) गश्ती हेतु किराये के वाहन	**475.00**	18.24
	(ख) मुनारों का निर्माण	**15262**	7.63
9	हाइड्रोलिक पिंजरों का क्रय	**30 No**	1.20
10	उन्नत चूल्हों का प्रदाय		0.25

Ø-	dk;l dk uke	Hkkfrd y{; ¼g-@ ucj e½	vkfFkd y{; ¼dj kM e½
11	अग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण		22.04
12	जल एवं मृदा कार्यों का क्रियान्वयन संरक्षित क्षेत्रों मे तालाब, स्टॉप डेम एवं चेकडेम		4.25
13	वन्यजीव पर्यावास का सुधार–चारागाह विकास एवं अन्य कार्य		
	चारागाह एवं रहवास विकास	**8997 ha**	18.05
	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण		3.96
	फेसिंग कार्य एवं सी.पी.डब्ल्यू. निर्माण		5.40
	सोलर सिस्टम का क्रय		2.50
	संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन		10.00
	वन्य्रपाणियों के पुर्नस्थापना रेस्क्यू एवं दवाओं का क्रय		1.25
	वन्यप्राणियों के उपचार एवं जाचं कार्य सुविधाओं का उन्नयन, नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय, जबलपुर		1.50
	जंगली हाथियों का प्रबंधन		1.00
	वन्यप्राणियों हेतु रहवास एवं दवाओं का क्रय		1.00
	चीता परियोजना		1.00
	जंगली भैंसा पुर्नस्थापना		0.25
	पशुओं का टीकाकरण		1.24
	वन्यजीवों के रेस्क्यू हेतु उपकरण		2.00
	स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स		0.22
	प्रेबेस सप्लीमेटेशन		0.25
	अन्य विविध कार्य		1.00
14	गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये आधुनिक पौधशालाओं और अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण	**11 R&E Circle**	13.35
15	सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु वायरलेस केंद्र की स्थापना	**LS**	5.00

Ø-	dk;l dk uke	Hkkfrd y{; ¼g-@ucj e½	vkfFkd y{; ¼djkM e½
16	निरीक्षण मार्गों, वन क्षेत्र मे वन सड़कों, अग्नि रेखाओं, निगरानी टावरें चेक पोस्टों और इमारती लकड़ी के डिपो का संनिर्माण उन्नयन और अनुरक्षण		
	संरक्षित वन्यप्राणी क्षेत्र मे वनमार्ग उन्नयन एवं रपटा निर्माण		2.50
17	वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये नियुक्त किये गये अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिये वनों मे आवास एवं कार्यालय निर्माण	**112** Hkou	12.10
	वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों मे स्थापित कैम्पों मे सोलर सिस्टम	**0.00**	1.10
18	वन संरक्षण		
	वन नाका	**10 No**	2.50
	बैरियर	**10 No**	1.50
	पोर्टबल वन चौकी	**30 No**	1.20
	लाईन क्वार्टर	**10 No**	3.80
	वॉच टॉवर	**10 No**	0.80
	पेट्रोलिंग कैम्प	**20 No**	0.85
	प्री–फेब्रिकेटैड पेट्रोलिंग कैम्प – वन्यप्राणी	**50 No**	5.00
19	वन्यप्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण		1.00
20	जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशिक्षण – एप्को		1.70
21	शेलचित्र की सुरक्षा		0.12
22	तितली पार्क की स्थापना		1.87
23	टाईगर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सुरक्षा श्रमिक		5.00
24	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन		1.50
	C;kt dh fuf/k ls iLrkfor dk;l		
25	मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि और योजना प्राधिकरण की पदीय संरचना अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों नियमित और संविदात्मक दोनों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान हेतु आवश्यक राशि	0	4.85

Ø-	dk;l dk uke	Hkkfrd y{; ¼g-@ ucj e½	vkfFkd y{; ¼djkM+ e½
26	एन.एम.डी.सी. मझगवां हेतु ब्याज की राशि		5.68
27	कार्मिक क्षमता का विकास		3.40
28	वन कर्मियों हेतु स्मार्ट फोन, टैबलेट एवं जी.पी.एस.	**4000 No**	5.00
29	मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि और योजना प्राधिकरण की पदीय संरचना अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों नियमित और संविदात्मक दोनों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान हेतु आवश्यक राशि	0	1.13
30	प्रचार–प्रसार सह जागरूकता अभियान (अनुभूति)		4.00
31	वन्यप्राणीयों के उपचार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम		0.75
32	नगर वन की स्थापना–खण्डवा	50 g-	2.00
	C;kt dh jkf'k dk dqy ;kx	0	**26.81**
	egk;kx		**713.46**

ifjf'k"V & 8

oRRkokj@ o"kokj vo/k dVkbZ dk idj.k

v- dz-	oRRk	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
1	बालाघाट	2438	2478	2623	2315	2450	2163
2	बैतूल	3303	4036	3762	3413	3433	3270
3	भोपाल	5127	8042	7497	4576	4688	3557
4	छतरपुर	3023	3799	3680	3590	3911	2990
5	छिंदवाड़ा	3810	3853	3208	3662	3560	3108
6	ग्वालियर	1454	1274	1058	1008	1252	845
7	होशंगाबाद	1622	1437	1339	1386	1291	1234
8	इंदौर	1083	861	1076	1097	1381	1166
9	जबलपुर	4725	8380	587	5338	5576	4772
10	खण्डवा	3463	3478	2844	2591	2674	2297
11	रीवा	2187	2210	2338	2247	2723	2239
12	सागर	4863	4121	4697	3482	4056	3521
13	सिवनी	3192	2882	3061	3054	3125	2772
14	शहडोल	2777	2967	2658	2812	2883	2888
15	शिवपुरी	958	952	888	737	910	725
16	उज्जैन	2263	2013	1998	2110	2074	1452
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	374	379	270	278	455	175
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	631	609	0	636	701	610
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	24	15	0	51	64	41
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	43	49	23	23	48	25
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	224	350	201	201	329	142
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	335	281	0	208	250	100
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	31	0	77	172	150
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	168	48	0	0	29	1
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0
	egk;kx	**48087**	**54545**	**43808**	**44892**	**48035**	**40243**

ifjf'k"V&9

oRRkokj@ o"kkokj vo/k pjkbl d i:dj.k

v-d-	oRRk	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
1	बालाघाट	10	12	2	1	2	2
2	बैतूल	9	3	5	2	4	0
3	भोपाल	8	57	19	1	5	2
4	छतरपुर	7	12	2	1	2	6
5	छिंदवाड़ा	4	6	6	1	1	6
6	ग्वालियर	297	173	83	163	244	220
7	होशंगाबाद	29	21	8	7	1	5
8	इंदौर	18	19	26	22	10	17
9	जबलपुर	9	3	1	8	9	7
10	खण्डवा	127	203	89	98	63	46
11	रीवा	50	33	14	37	20	9
12	सागर	19	5	31	17	3	3
13	सिवनी	25	10	21	5	5	1
14	शहडोल	8	6	4	6	6	7
15	शिवपुरी	4	22	19	9	3	6
16	उज्जैन	215	239	254	236	240	125
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	1	0	0	0	0	0
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	1	1	0	1	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	8	8	0	13	10	17
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	23	10	10	10	39	38
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	73	60	22	22	33	4
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0	0	0

v-d-	oRRk	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	1	13	0	2	0	1
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0
	egk;kx	**947**	**916**	**616**	**662**	**700**	**522**

ifjf'k"V&10

oRRkokj] o"kokj vo/k ifjogu d nt iidj.k

v- d-	oRRk	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
1	बालाघाट	39	54	37	50	64	55
2	बैतूल	22	25	23	26	48	39
3	भोपाल	216	229	327	282	246	199
4	छतरपुर	81	99	91	67	108	76
5	छिंदवाड़ा	19	15	39	11	48	35
6	ग्वालियर	211	219	139	143	150	169
7	होशंगाबाद	50	33	20	25	17	19
8	इंदौर	17	25	21	34	83	45
9	जबलपुर	30	33	12	44	52	35
10	खण्डवा	199	192	118	124	113	84
11	रीवा	121	156	141	109	158	111
12	सागर	173	136	190	111	109	94
13	सिवनी	72	54	57	68	67	61
14	शहडोल	64	90	80	89	97	96
15	शिवपुरी	232	236	213	143	117	147
16	उज्जैन	31	45	25	78	144	101
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	3	5	6	6	12	3
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	3	5	0	3	8	3
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	25	13	0	16	28	10
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	5	9	22	22	19	1
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	7	6	0	6	4	8
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	9	101	0	54	49	6

v- d:-	oRRk	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj r d½
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	2	2	0	0	6	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0
	;kx %&	**1631**	**1782**	**1561**	**1511**	**1747**	**1397**

ifjf'k"V&11

oRRk okj@ o"kokj vfrdze.k dk idj.k ,oa iHkkfor {ks=

¼{ks= gDVs;j esa½

v- d-	oRRk	2018		2019		2020		2021 (नवम्बर तक)	
		प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र
1	बालाघाट	9	7	80	242	24	36	10	3
2	बैतूल	5	1	154	47	7	7	1	0
3	भोपाल	71	38	145	113	206	148	111	177
4	छतरपुर	22	25	75	57	143	149	96	95
5	छिंदवाड़ा	3	4	0	0	1	0	0	0
6	ग्वालियर	135	112	178	198	156	368	221	251
7	होशंगाबाद	16	9	131	220	11	37	6	13
8	इंदौर	67	28	76	51	202	113	166	48
9	जबलपुर	13	11	29	54	53	53	21	16
10	खण्डवा	290	1183	117	760	74	152	60	167
11	रीवा	173	75	189	71	387	273	222	482
12	सागर	65	85	256	219	113	258	277	279
13	सिवनी	32	39	50	87	32	76	27	44
14	शहडोल	71	42	81	62	76	87	52	33
15	शिवपुरी	107	258	534	977	211	451	266	834
16	उज्जैन	28	15	32	24	62	74	20	13
17	बांधवगढ़ टा.रि. उमरिया	1	0	10	6	145	178	6	11
18	कान्हा टा. रि. मण्डला	0	0	1	4	0	0	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी व.म.श्योपुर	0 0	0	6	12	1	1	4	7

v- d:-	oRRk	2018		2019		2020		2021 (नवम्बर तक)	
		प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	4	0	3	5	5	3
21	पन्ना टा.रि. छतरपुर	22	41	22	41	12	15	3	8
22	पेच टा.रि. सिवनी	0	0	0	0	1	0	0	0
23	सजंय टा. रि.सीधी	0	0	0	0	5	3	2	12
24	सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	0	0	0	0	3	7	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	egk;kx	**1134**	**1973**	**2167**	**3245**	**1928**	**2490**	**1576**	**2495**

ifjf'k"V&12

oRRkokj @ o"kokj vo/k mR[kuu d i dj.k ,o iHkkfor {k=

¼{k=Qy gDV;j e½

v- d-	oRRk	2018		2019		2020		2021 ¼uoEcj rd½	
		प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र
1	बालाघाट	10	2	17	151	8	0	12	620
2	बैतूल	6	1	2	1	8	0	8	0
3	भोपाल	70	19	56	8	52	4	19	0
4	छतरपुर	94	146	100	88	157	6	121	7
5	छिंदवाड़ा	5	362	4	0	5	502	8	0
6	ग्वालियर	331	20	334	822	290	28	329	1
7	होशंगाबाद	4	0	6	4	1	0	0	0
8	इंदौर	11	47	9	3847	14	4	9	3
9	जबलपुर	12	1	14	1	17	10	6	0
10	खण्डवा	30	1339	21	77	31	11	31	4
11	रीवा	58	1098	39	241	54	801	44	43
12	सागर	47	35	38	1	64	2	51	7
13	सिवनी	8	18	6	1	7	0	6	1
14	शहडोल	30	4	39	22	37	24	43	3
15	शिवपुरी	147	16	243	106	237	3	153	9
16	उज्जैन	11	0	19	0	30	12	11	2
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	7	0	3	0	20	0	2	0
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0	0	0	0	0	4	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	1	1	7	1	14	0	7	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	0	0	0	0	8	4	5	22
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0	2	358	1	0

v-d-	oRRk	2018		2019		2020		2021 ¼uoEcj rd½	
		प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	0	5	0	6	1	27	0
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	egk;kx	**888**	**3109**	**973**	**5371**	**1062**	**1772**	**897**	**722**

ifjf'k"V&13

oRRkokj ntl ou vijk/k idj.k

v-d-	oRRk	2018	2019	2020	2021 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	3607	2948	2735	2946
2	बैतूल	4370	4025	3581	3927
3	भोपाल	8496	5691	5482	4591
4	छतरपुर	4023	4149	4497	3558
5	छिंदवाड़ा	3585	4298	3801	3900
6	ग्वालियर	1864	1963	2271	1864
7	होशंगाबाद	1622	1862	1431	1680
8	इंदौर	1306	1385	1876	1621
9	जबलपुर	746	5910	5977	5636
10	खण्डवा	3814	3510	3342	3166
11	रीवा	2896	2770	3465	2936
12	सागर	5244	4092	4537	4128
13	सिवनी	3429	3603	3356	3297
14	शहडोल	3082	3362	3249	3533
15	शिवपुरी	1480	1885	1709	1368
16	उज्जैन	2569	2854	2758	2117
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	303	330	696	316
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	772	747	741
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	154	155	128
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	107	151	146	136
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	354	354	493	180
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	251	304	153

v-d-	oRRk	2018	2019	2020	2021 (नवम्बर तक)
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	198	262	263
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	62	17
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	3
	;kx	**52909**	**56512**	**56932**	**52205**

ifjf'k"V&14

oRRkokj vo/k ifjogu e tIr okgu

v-d-	oRRk	2018	2019	2020	2021 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	12	49	70	54
2	बैतूल	15	30	55	48
3	भोपाल	134	312	283	190
4	छतरपुर	33	58	96	69
5	छिंदवाड़ा	34	11	48	35
6	ग्वालियर	35	136	167	154
7	होशंगाबाद	6	25	18	6
8	इंदौर	12	33	88	32
9	जबलपुर	34	45	53	21
10	खण्डवा	18	83	104	70
11	रीवा	66	129	173	81
12	सागर	21	99	98	59
13	सिवनी	28	59	75	44
14	शहडोल	59	91	117	92
15	शिवपुरी	71	282	187	143
16	उज्जैन	11	71	106	68
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	7	6	12	4
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	4	3	8	5
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	18	28	5
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0		0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	8	19	16	1
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0		6	2
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	4	54	64	28
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	5	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	egk;kx	**605**	**1620**	**1877**	**1211**

ifjf'k"V &15

oRRkokj U;k;ky; e iLrr idj.k

v- d-	oRRk	2018	2019	2020	2021
1	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	103	9	7	4
2	शहडोल	99	168	95	49
3	खण्डवा	72	95	76	47
4	इंदौर	125	89	93	104
5	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	8	248	8	13
6	बालाघाट	30	262	280	255
7	बैतूल	37	35	44	16
8	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	20	23	18	6
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	07	22	20	3
10	शिवपुरी	90	61	52	26
11	सिवनी	64	42	48	32
12	छिंदवाड़ा	6	399	299	296
13	होशंगाबाद	12	15	17	7
14	भोपाल	67	233	222	104
15	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	100	16	21	19
16	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	36	143	110	90
17	रीवा	186	218	271	146
18	सागर	252	91	141	45
19	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	7	0	4	78
20	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	14	115	16	0
21	उज्जैन	29	45	57	14
22	छतरपुर	11	160	172	185
23	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
24	जबलपुर	41	84	83	0
25	ग्वालियर	837	289	252	201
	;kx	**2253**	**2868**	**2406**	**1740**

ifjf'k"V&16

ou vijk/k i'keu ,o vU; fofo/k ikfIr;k

¼jkf'k :i;s esa½

v- d-	oRRk	2018	2019	2020	2021 ¼vrfje½
1	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	155035	268858	113931
2	शहडोल	27775995	5602860	103910892	246352455
3	खण्डवा	3186753	4032116	3328859	7994472
4	इंदौर	19477020	4378255	12651637	8181755
5	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	94049	70735	332081	145602
6	बालाघाट	2530679	3320849	5315536	6559231
7	बैतूल	30057208	22144314	671777373	66643144
8	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	401694	581611	495813
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	407100	407100	227500	92100
10	शिवपुरी	3852780	5493399	4356982	2252915
11	सिवनी	2853362	3040671	3252017	1397424
12	छिंदवाड़ा	16534174	13126755	82718251	78623926
13	होशंगाबाद	2242700	2595394	2235457	2952930
14	भोपाल	20963357	22967050	27527866	12362632
15	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	924501	564620	493460
16	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	6900	6900	0	0
17	रीवा	245799911	434739813	2254700597	2572013301
18	सागर	14015073	7931679	13051146	19960758
19	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	11584	134256

20	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	68274	119749	0
21	उज्जैन	5791357	7964742	6902728	3909086
22	छतरपुर	15209115	11010101	7037292	3050436
23	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
24	जबलपुर	6814980	6435439	8954434	3979000
25	ग्वालियर	2989085	3663430	17869441	8615543
	;kx	**420601599**	**560514641**	**3227696511**	**3046324170**

ifjf'k"V&17

oRRkokj@o"kokj vfXu iHkkfor {k=

¼iHkkfor {k= & g-e½

v- d-	oRRk	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd ½
1	बालाघाट	1353	1263	295	1452
2	बैतूल	1895	1777	253	2555
3	भोपाल	584	1678	688	1865
4	छतरपुर	297	533	230	741
5	छिंदवाड़ा	512	884	298	1452
6	ग्वालियर	100	175	460	232
7	होशंगाबाद	514	493	73	778
8	इंदौर	322	567	588	523
9	जबलपुर	233	894	376	1736
10	खण्डवा	1355	1633	1057	4266
11	रीवा	253	142	55	1284
12	सागर	688	367	430	428
13	सिवनी	510	471	93	487
14	शहडोल	540	526	152	1484
15	शिवपुरी	73	326	145	112
16	उज्जैन	512	623	270	1112
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	4	44	135	854
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	455	51	436
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	218	105	147
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	22	22	1	1
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	93	93	59	40
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	75	19	70
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	206	11	449
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	117	105
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	
	;kx	**9861**	**13482**	**5961**	**22608**

ifjf'k"V &18

oRRkokj@ o"kokj e-i- dk"B fpjku vf/kfu;e d mYYk?ku d idj.k

v- d-	oRRk	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¼uoEcj rd½
1	बालाघाट	0	0	0	0	0	0
2	बैतूल	4	0	0	0	0	5
3	भोपाल	21	85	41	10	11	9
4	छतरपुर	10	14	5	2	5	11
5	छिंदवाड़ा	0	0	0	0	0	0
6	ग्वालियर	3	13	18	8	15	5
7	होशंगाबाद	0	1	0	0	0	1
8	इंदौर	7	3	2	3	1	1
9	जबलपुर	1	0	2	2	5	0
10	खण्डवा	0	6	25	0	0	0
11	रीवा	5	7	14	14	5	6
12	सागर	2	1	0	0	1	0
13	सिवनी	0	0	0	1	0	1
14	शहडोल	0	2	0	0	0	0
15	शिवपुरी	6	10	12	9	1	6
16	उज्जैन	31	28	19	27	6	35
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	0	30	0	0	0	0
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0	0	0	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	0	0	0	0	0
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	0	0	0	0	0	0
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0	0	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	0	0	0	0	0
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	1	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0
	egk;kx	91	200	138	76	50	80

ifjf'k"V & 19

inn'k d ljf{kr {k=k dh lph

Ø-	ljf{kr {k= dk uke	fVIi.kh
1	2	3
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	कान्हा टाइगर रिजर्व का भाग है।
2	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भाग है।
3	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है।
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	पन्ना टाइगर रिजर्व का भाग है।
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	पेंच टाइगर रिजर्व का भाग है।
6	संजय राष्ट्रीय उद्यान	संजय टाइगर रिजर्व का भाग है।
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी	
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल	
9	जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघवा	
10	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, धार	
11	कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान	
12	पनपथा अभयारण्य	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भाग है।
13	पचमढ़ी अभयारण्य	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है।
14	बोरी अभयारण्य	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है।
15	गंगऊ अभयारण्य	पन्ना टाइगर रिजर्व का भाग है।
16	पेंच मोगली अभयारण्य	पेंच टाइगर रिजर्व का भाग है।
17	संजय दुबरी अभयारण्य	संजय टाइगर रिजर्व का भाग है।
18	बगदरा अभयारण्य	
19	केन घड़ियाल अभयारण्य	
20	सैलाना अभयारण्य	
21	सोन चिड़िया अभयारण्य घाटीगांव	
22	सोन घड़ियालय अभयारण्य	
23	गांधी सागर अभयारण्य	
24	करैरा अभयारण्य	
25	नौरादेही अभयारण्य	
26	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	
27	ओरछा अभयारण्य	
28	वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य	
29	फेन अभयारण्य	
30	नरसिंहगढ़ अभयारण्य	
31	रातापानी अभयारण्य	
32	सिंघोरी अभयारण्य	
33	खिवनी अभयारण्य	
34	सरदारपुर अभयारण्य	
35	रालामण्डल अभयारण्य	

ifjf'k"V & 20

e/;izns'k jkT; tSofofo/krk cksMZ ds 'kkldh; ,oa v'kkldh; lnL;

1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2	पदेन सदस्य	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3	पदेन सदस्य	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, वन विभाग वल्लभ भवन, भोपाल
4	पदेन सदस्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5	पदेन सदस्य	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6	पदेन सदस्य	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, भोपाल
7	अशासकीय सदस्य	रिक्त
8	अशासकीय सदस्य	रिक्त
9	अशासकीय सदस्य	रिक्त
10	अशासकीय सदस्य	रिक्त
11	अशासकीय सदस्य	रिक्त

ifjf'k"V&21

Details Regarding Protected Areas of M.P. (National Parks)

S no.	Name of the National Parks	District	Area In Sq. K.m.				Date of Initial Notification
			RF	PF	Other	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandhavgarh N.P	Umaria/ Katni	422.480	13.406	12.956	**448.842**	2977/X/68 dt. 23.03.68 (105.000 Sq.Km.) 14.02.82-X- dt. 11.05.82 (343-842 Sq.Km.)
2	Kanha N.P.	Mandla Balaghat	941.793	0.000	0.000	**941.793**	2813-98-42/XI/55 dt. 21-05-55 (252-040 Sq.Km.) 5725-4184-X- dt. 13.05.64 (65.44. Sq.Km.) 8893/X-(2)70 dt. 15.12.70 (128.257 Sq. Km.) 4021/1643/X/2/74 dt. 03.09.74 (487.720 Sq.Km.)
3	Madhav N.P	Shivpuri	324.290	24.220	26.720	**375.230**	5554/10F/654/55 dt. 22.01.56 (165.320Sq. Km.) 14-1-82-X-(2) dt. 28-05-82 (181.278 Sq.Km.) F-1-1-82-X (2) dt. 25.10.99 (28.630Sq. Km.)
4	Panna N.P.	Panna	263.690	245.860	33.110	**542.660**	F-15-8-80X-2 dt. 17.10.81
5	Pench N.P.	Seoni / Chhindwada	283.811	6.265	2.781	**292.857**	5-15-82-X--(2) dt. 01.03.83
6	Sanjay N.P.	Sidhi	428.949	11.327	24.367	**464.643**	15/6/80/10/2 dt. 23.09.80 (1938.012 Sq.Km.) F-15-16-2001-X (2) dt 09.03.2001
7	Satpura N.P.	Hoshangabad	414.652	114.077	0.000	**528.729**	15-12-8-10-2 dt. 13.10.81
8	Van Vihar N.P	Bhopal	0.000	4.452	0.000	**4.452**	15-1-83-X-2 dt. 18.01.83
9	Fossil N.P.	Dindori	0.000	0.000	0.270	**0.270**	15-10-X-2-83 dt. 05-05-83
10	Dionsaur Fossil N.P.	Dhar	0.897	0.000	0.000	**0.897**	14-06/2009/10-2 dt. 12.01.11
11	Kuno NP	Sheopur	326.403	351.606	70.752	**748.761**	F 15-52-2002-दस-2 dt. 12-10-2018
Total (NP/TR)			**3406.965**	**771.213**	**170.956**	**4349.134**	

ifjf'k"V&22

Details Regarding Notification Status of Sanctuaries in M.P.

Sno.	Name of the National Parks	District	Area In Sq. K.m.				Date of Initial Notification
			RF	PF	Other	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kheoni	Dewas	115.320	16.676	0.782	**132.778**	15-4-X-(2)-82 dt.24.12.82
2	Pench mogli	Seoni	118.473	0.000	0.000	**118.473**	F-15-11-77-10-3 dt. 30.03.77
3	Ralamandal	Indore	2.345	0.000	0.000	**2.345**	14-20-X-II-88 dt. 09.02.89
4	Veerangana Durgavati	Damoh	23.973	0.000	0.000	**23.973**	F-14-33-94-X-2 dt. 06.01.97
5	Bori	Hoshangabad	485.715	0.000	0.000	**485.715**	15/22/76-10 (8) dt. 01.06.77
6	Gandhi Sagar	Mandsor	368.620	0.000	0.000	**368.620**	4599-3405-10-2-74 dt. 03.10.74 (224.650 Sq.Km.) 15-2-83-X-2 dt. 28.02.83 (368.620 Sq.Km.) (with modified boundaries)
7	Phen	Mandla	110.704	0.000	0.000	**110.704**	15-5-83-X-2 dt. 10.03.83
8	Bagdara	Singroli	0.000	231.047	246.953	**478.000**	15/15/77/10-3 dt. 15.02.78
9	Sanjay Dubari	Sidhi	244.583	60.030	43.325	**347.938**	14-5-75-F-X-2 dt. 30.08.75
10	Gangau	Panna	52.130	16.990	9.410	**78.530**	5248-3273-X-(2)-75 dt.13.11.75
11	Ghatigaon	Gwalior	306.140	19.840	72.940	**398.920**	15-16-75-X-2 dt. 21.05.81, 15-39/2005/10-2 dt. 16.11.2020
12	Karera	Shivpuri	0.000	0.000	202.210	**202.210**	15/11/75/10/2 dt. 21.05.81
13	Ken Gharial	Panna	0.000	37.930	7.270	**45.200**	15/11/80/10/2 dt. 20.10.81
14	Narsinhgarh	Rajgarh	0.000	57.190	0.000	**57.190**	268/5182-X/2/73 dt. 25.01.74

Sno.	Name of the National Parks	District	Area In Sq. K.m.				Date of Initial Notification
			RF	PF	Other	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	National Chambal	Morena	0.000	0.000	435.000	**435.000**	15-5-77-X-(2) dt. 20.12.78, 15-12-X-(2) 82 dt. 24.12.82, boundaries of North-West, South-East are notified
16	Nouradehi	Sagar Damoh	1023.440	171.230	2.370	**1197.040**	700/624/10/ 2/75 dt. 17.02.75
17	Orchha	Tikamgarh	44.914	0.000	0.000	**44.914**	F-14-85-94-X-2 dt. 22.09.94
18	Pachmarhi	Hoshangabad	160.868	256.913	73.851	**491.632**	15/22/76-10 (8) dt. 01.06.77
19	Panpatha	Umaria	205.661	40.181	0.000	**245.842**	2411-X-2-83 dt. 04.06.83
20	Ratapani	Raisen	451.966	373.941	84.731	**910.638**	15-4-76-X-2 dt. 02.07.76 2409-X-2-83 dt. 04.06.83 (extended)
21	Sailana	Ratlam	0.000	8.518	4.447	**12.965**	15-7-83-X-83 dt. 04.06.83
22	Sardarpur	Dhar	0.000	5.684	342.437	**348.121**	2410-X-2-83 dt. 04.06.83
23	Singhori	Raisen	252.048	8.850	51.138	**312.036**	15-4-76-X-2 dt. 02.07.76
24	Son Gharial	Sidhi	0.000	0.000	83.684	**83.684**	14-47-80-X-(2) dt. 23.09.81
Total of WLS			**3966.900**	**1305.020**	**1660.548**	**6932.468**	
Grand Total of N.P. & WLS			**7373.865**	**2076.233**	**1831.504**	**11281.602**	

ifjf'k"V &23

ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना

वृत्त	वनमण्डल	सूक्ष्म योजना निर्माण स्वीकृत (संख्या)	वनोपज का उत्पादन				प्राप्त वनोपज का अनुमानित मूल्य (रूपये में)
			काष्ठ (घ-मी-)	बांस (नो-ट-)	जलाऊ चट्टे (संख्या)	घास (टन)	
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
बालाघाट	उत्तर बालाघाट	9	14	45	103	0	686121
बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	21	36	30	193	0	558171
बालाघाट		**30**	**49**	**75**	**296**	**0**	1244292
बैतूल	उत्तर बैतूल	2	31	0	0	0	220246
बैतूल	दक्षिण बैतूल	7	34	3	0	0	505174
बैतूल		**9**	**65**	**3**	**0**	**0**	725420
भोपाल	भोपाल	8	72	10	122	0	913850
भोपाल	सीहोर	9	243	3	676	0	4031050
भोपाल	रायसेन	8	3	0	135	0	208500
भोपाल	विदिशा	11	43	0	133	0	630420
भोपाल		**36**	**361**	**13**	**1066**	**0**	5783820
छतरपुर	छतरपुर	44	174	0	135	0	2855500
छतरपुर	उत्तर पन्ना	2	0	0	0	0	0
छतरपुर	दक्षिण पन्ना	0	0	0	0	0	0
छतरपुर		**46**	**174**	**0**	**135**	**0**	2855500
छिन्दवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा	16	0	2.20	137	0	345392
छिन्दवाड़ा	पश्चिम छिन्दवाड़ा	2	0	5.00	0	0	14250
छिन्दवाड़ा	दक्षिण छिन्दवाड़ा	3	0	7.50	0	0	240000
छिन्दवाड़ा		**21**	**0**	**15**	**137**	**0**	599642
होशंगाबाद	होशंगाबाद	6	7	32	6	0	1001280
होशंगाबाद		**6**	**7**	**32**	**6**	**0**	1001280
जबलपुर	जबलपुर	11	10	20	91	0	891100
जबलपुर	पूर्व मंडला	19	80	16	26	41	1959400
जबलपुर	पश्चिम मंडला	32	20	70	0	0	1424000
जबलपुर	कटनी	19	52	10	22	0	535400
जबलपुर	डिण्डौरी	11	52	9	49	0	673900

जबलपुर		**92**	**214**	**125**	**188**	**41**	5483800
रीवा	सीधी	67	2	55	0	0	656901
रीवा	सतना	39	0	151	0	0	1895000
रीवा	सिंगरौली	42	114	266	127	0	3249053
रीवा		**148**	**116**	**472**	**127**	**0**	5800954
सागर	उत्तर सागर	15	245	4	11	0	110764
सागर	दक्षिण सागर	7	135	3	9	0	74974
सागर	दमोह	15	350	4	25	0	162564
सागर		**37**	**730**	**11**	**45**	**0**	348302
सविनी	उत्तर सिवनी	43	160	228	344	0	4173000
सविनी	दक्षिण सिवनी	13	0	0	0	0	0
सविनी	नरसिंहपुर	36	0	0	0	0	0
सविनी		**92**	**160**	**228**	**344**	**0**	4173000
शिवपुरी	शिवपुरी	1	0	0	20	0	20000
शिवपुरी	अशोक नगर	11	5	1	48	0	181220
शिवपुरी		**12**	**5**	**1**	**68**	**0**	201220
उज्जैन	नीमच	10	0	0	2	200	1204800
उज्जैन	देवास	7	152	30	23	0	755500
उज्जैन		**17**	**152**	**30**	**25**	**200**	1960300
योग		**546**	**2035**	**1007**	**2436**	**241**	**30177530**

ifjf'k"V&24

Hkkjrh; ou lo{k.k ngjknu ls idkf'kr ifronu vuqlkj oukPNknu

(District wise Forest Cover)

(Area in km ²)

District	Geographical area	Very Dense Forest			Moderate Dense Forest			Open Forest		
		2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021
Alirajpur	3182	0	0	0	212	211.82	207.29	463	472.6	474.06
Anuppur	3747	109	108.97	108.31	346	345.30	337.50	393	414.41	411.66
Ashoknagar	4674	0	0	0	270	266.08	265.93	430	422.96	421.32
Balaghat	9229	1324	1409.25	1407.64	2700	2638.97	2630.88	910	883.84	884.26
Barwani	5427	0	0	0	188	186.96	186.79	746	741.03	717.57
Betul	10043	197	230.34	230.11	1981	1938.14	1922.32	1475	1495.22	1510.36
Bhind	4459	0	0	0	29	28.55	28.08	79	78.20	198.48
Bhopal	2772	0	0	0	125	120.92	120.77	229	207.75	207.79
Burhanpur	3427	58	57.92	57.92	643	631.09	625.89	608	605.55	603.75
Chhatarpur	8687	184	184.06	184.01	818	817.52	817.24	743	756.97	755.89
Chhindwara	11815	577	576.94	575.68	2033	2027.09	2021.61	1950	1983.98	2010.84
Damoh	7306	2	2	2.00	847	845.79	844.92	1745	1739.39	1739.79
Datia	2902	0	0	0	92	92.11	91.13	107	110.17	121.65
Dewas	7020	12	12	12.00	942	936.85	935.21	962	1007.02	1000.06
Dhar	8153	0	0	0	119	116.14	115.64	567	535.11	528.62
Dindori	7470	1087	1086.94	1084.98	1278	1281.17	1271.24	662	663.85	666.21
Khandwa (Nimar East)	7352	184	147.80	147.80	1161	1156.8	1153.11	723	784.52	784.48
Guna	6390	2	2	2.00	419	414.33	414.00	931	913.41	911.50
Gwalior	4560	1	1	1.00	330	329.23	323.69	869	890.95	902.14
Harda	3334	19	19	19.00	547	527.69	523.70	442	409.57	396.61
Hoshangabad	6703	272	271.89	271.64	1375	1370.32	1366.15	787	780.44	783.41
Indore	3898	0	0	0	349	349.08	348.10	330	329.65	326.51
Jabalpur	5211	41	41	40.26	507	502.50	501.04	591	570.43	560.53
Jhabua	3600	0	0	0	33	30.97	30.69	196	190.7	189.52
Katni	4950	94	93.9	93.90	609	608.58	607.87	649	658.82	654.85
Mandla	5800	692	691.31	691.78	1088	1091.05	1092.55	789	795.15	792.65
Mandsaur	5535	0	0	0	40	40	42.01	204	201.59	198.67
Morena	4989	0	0	0	96	96.18	96.12	646	643.99	665.55
Narsingpur	5133	61	61	61.00	658	657.34	655.81	619	624.42	623.97
Neemuch	4256	0	0	0.04	116	120.64	119.22	667	675.05	669.74
Panna	7135	83	83.01	82.95	1477	1478.26	1476.06	1107	1181.44	1189.59
Raisen	8466	23	23	22.55	1308	1306.51	1302.18	1346	1346.75	1346.59
Rajgarh	6153	0	0	0	38	37.99	37.86	130	134.1	133.94
Ratlam	4861	0	0	0	3	2.53	2.53	52	57.32	72.63

District	Geographical area	Very Dense Forest			Moderate Dense Forest			Open Forest		
		2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021
Rewa	6314	61	61	60.91	387	386.58	377.18	330	333.57	363.11
Sagar	10252	1	1	1.00	1144	1141.57	1138.81	1669	1651.97	1645.43
Satna	7502	12	12	12.00	910	909.7	904.19	808	831.2	835.33
Sehore	6578	24	23.9	20.70	640	614.85	614.84	740	719.15	714.61
Seoni	8758	237	237.08	237.07	1795	1791.14	1787.12	1071	1041.37	1038.84
Shahdol	6205	122	122	122.03	820	820.54	818.26	980	1028.17	1014.41
Shajapur	6195	0	0	0	3	2.44	2.44	43	60.91	59.47
Sheopur	6606	6	6	6.00	1397	1395.23	1394.25	2083	2058.77	2043.66
Shivpuri	10066	18	18	18.00	781	779.84	779.39	1727	1742.08	1749.14
Sidhi	4851	316	315.99	315.96	884	884.30	881.29	732	768.87	805.27
Singrauli	5675	398	394.41	393.73	1014	1002.52	992.29	777	783.20	776.84
Tikamgarh	5048	1	1	1.00	91	89.96	89.73	311	295.68	295.58
Ujjain	6091	0	0	0	3	2.60	2.60	24	33.62	34.10
Umaria	4076	379	378.31	377.98	1101	1096.22	1092.66	552	548.05	530.60
Vidisha	7371	1	1	1.00	348	344.91	344.52	454	431.55	431.24
Khargone (Nimar West)	8025	1	1	1.00	476	474.50	474.32	832	830.56	825.81
Total	**308252**	**6599**	**6676.02**	**6664.95**	**34571**	**34341.4**	**34209.02**	**36280**	**36465.07**	**36618.63**

¼L=kr&LVsV vkQ QkjLV fjikVZ½

ukV l

ukV l

ukV l

मध्यप्रदेश के कुछ दुर्लभ वन्यप्राणी

ब्लैक पेंथर,पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी

उडन गिलहरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान

भोपाल शहर और बाघ

सफेद बाघ, मुकुन्दपुर राष्ट्रीय उद्यान रीवा

Desert Cat, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना
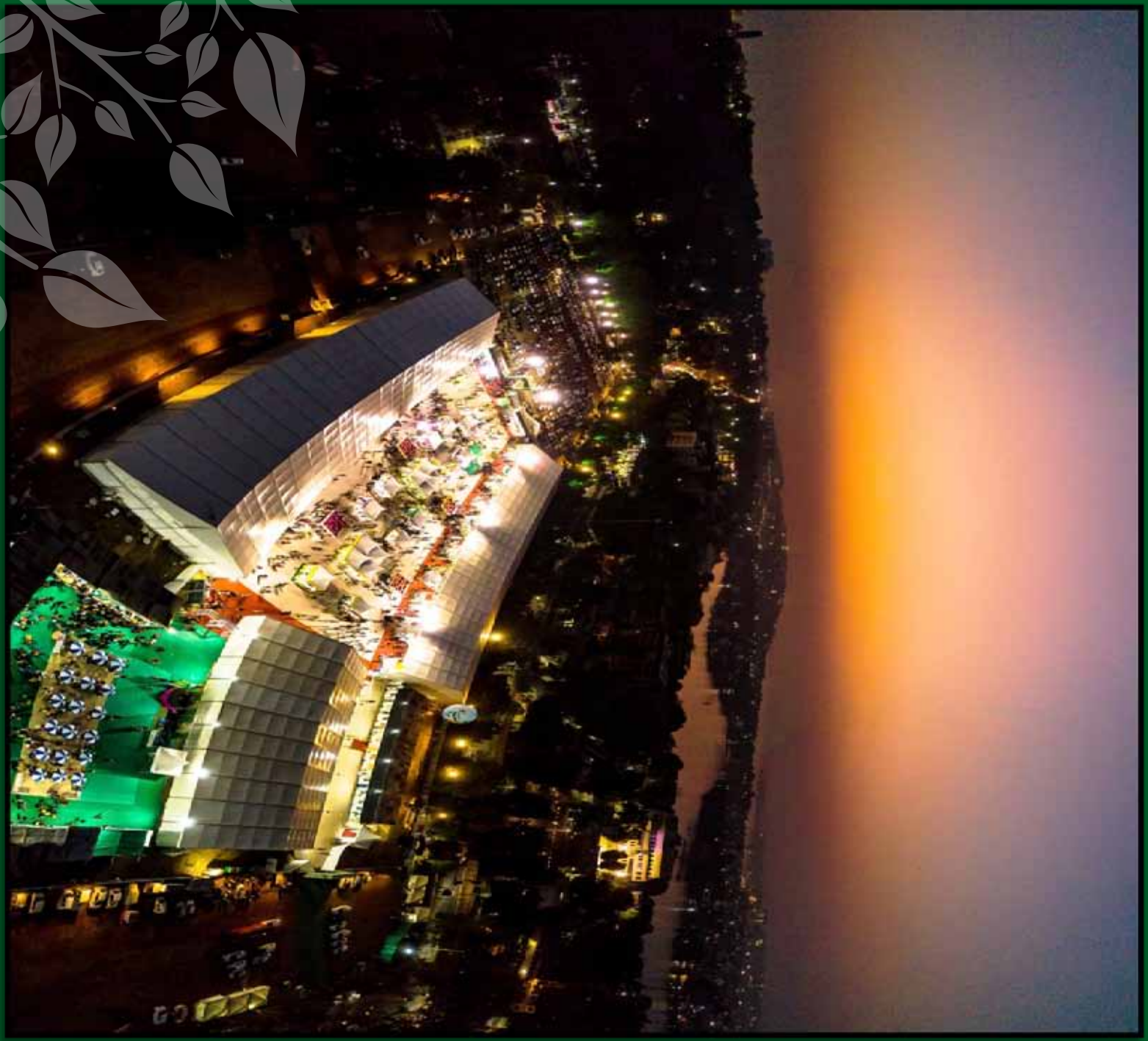
Fishing Cat, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना